पंचम माला, खंड 58, अंक 10, सोमवार, 22 मार्च, 1976/2 चैत्र, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LVIII, No. 10, Monday, March 22, 1976/Chaitra 2, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 58 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LVIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is **translated** version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची / CONTENTS

अंक 10, सोमवार, 22 मार्च, 1976/2 चैत्र, 1898 (शक)

No. 10, *Monday March* 22,/1976/*Chaitra* 2, 1898 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**Oral Answers to Questions**	1—15
तारांकित प्रश्न संख्या 181, 185 से 189, 191 और 193 से 195	Starred Questions Nos. 181, 185 to 189, 191 and 193 to 195	1—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions**	15—71
तारांकित प्रश्न संख्या 182 से 184, 190, 192 और 196 से 200	Starred Questions Nos. 182 to 184, 190, 192 and 196 to 200	15—23
अतारांकित प्रश्न संख्या 998 से 1058 और 1060 से 1076	Unstarred Questions Nos. 998 to 1058 and 1060 to 1076	23—71
सभा पटल पर रखे गये पत्र	**Papers laid on the Table**	71—73
लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन—	Public Accounts Committee—	
198वां प्रतिवेदन प्रस्तुत	Hundered and ninety-eighth Report presented	72
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings—	
79वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत	Seventy-ninth Report and Minutes presented	73
सदस्य की गिरफ्तारी–	Arrest of Member—	
(श्री रामावतार शास्त्री)	(Shri Ramavatar Shastri)	73
सदस्य का त्याग पत्र	Resignation by Member—	
(श्री मधु लिमये)	(Shri Madhu Limaye)	73
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (तमिलनाडू), 1975-76–	Supplementary Demands for Grants—(Tamil Nadu), 1975-76—	73

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES
सामान्य बजट, 1976-77—सामान्य चर्चा	General Budget, 1976-77—General Discussion	74—104
श्री मुल्की राज सैनी	Shri Mulki Raj Saini	74
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal . .	74—77
श्रीमती माया राय	Shrimati Maya Ray .	77—78
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan . .	79—80
श्री एस० के० राय	Shri S. K. Rai .	80—81
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe . .	81
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni .	81—82
श्री खेमचन्दभाई चावडा	Shri K. S. Chavda . .	82—83
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	Shri Raghunandan Lal Bhatia .	83—84
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha .	84
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam . .	84
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari . .	85
श्री बी० तुलसीराम	Shri V. Tulsiram . .	85
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar . .	85—86
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur. . . .	86—87
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	87
श्री राम सहाय पांडे	Shri R.S. Pandey . .	87
श्री रामदेव सिंह	Shri Ram Deo Singh	87—88
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee .	88—90
श्री राज देव सिंह	Shri Rajdeo Singh . . .	90—91
श्री सी० एच० मोहम्मद कोया	Shri C. H. Mohamed Koya . . .	91
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	92
श्री परिपूर्णानन्द पन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli . .	92—93
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan . .	93—94
श्री कुशोक बकुला	Shri Kushok Bakula . . .	94—95
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi .	95—96
श्री जी० विश्वनाथन्	Shri G. Viswanathan	96
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi . .	96—97
डा० महिपतराय मेहता	Dr. Mohipatray Mehta . . .	9

विषय	SUBJECT	PAGES
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar .	97—98
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी	Shri Swami Brahmanandji .	98
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda . .	98—99
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga . . .	99
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar .	99—100
श्री मल्लिकार्जुन	Shri Mallikarjun .	100
श्री शंकरराव सावंत	Shri Shankerrao Savant . . .	100—101
श्री टुना उरांव	Shri Tuna Oraon . .	101
श्री पाग्रोकाई हाग्रोकिप	Shri Paokai Haokip	101—102
श्री एम० एस० संजीवी राव	Shri M. S. Sanjeevi Rao . .	102
श्री ि० गंगादेव	Shri P. Gangadeb . .	102
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia	102—103
श्री इस्माइल हुसेन खां	Shri I. H. Khan	103
श्री शिब्बनलाल सक्सेना	Shri Shibban Lal Saksena . . .	103—104
कार्य मंत्रणा समिति—60वां प्रतिवेदन प्रस्तुत	Business Advisory Committee—Sixtieth Report presented .	104

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, मार्च 22, 1976/चैत्र 2, 1898 (शक)

Monday, March 22, 1976/Chaitra 2, 1898 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दुग्ध चूर्ण का निर्यात

*181. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुग्ध चूर्ण का निर्यात बन्द करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण अथवा पूर्ण दूध के चूर्ण का भारत से बाहर निर्यात नहीं किया गया था । अतः दुग्ध चूर्ण के निर्यात को समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : हम निर्यात नहीं कर रहे हैं । क्या यह भारत में कमी के कारण है या विदेशों में इसकी कोई मांग नहीं है ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : सर्वप्रथम हम अपनी आवश्यकताएं ही पूरी नहीं कर पा रहे हैं । वस्तुतः हम ने अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए इसका आयात किया है । दूसरे यदि हम निर्यात करने का निर्णय भी करें तो हमारे यहां मूल्य स्तर की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य कम है और निर्यात करना लाभप्रद नहीं होगा ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : देश में गायों और भैंसों की बहुत बड़ी संख्या है । फिर हम इस मामले में आत्म निर्भर क्यों नहीं हैं ? मंत्री महोदय दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं जिससे कुछ दुग्ध उत्पादनों का विदेशों में निर्यात कर सकें ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य को भी कुछ कठिनाइयों का पता है। भारत में पशुओं की बहुत अधिक संख्या है और यह सर्वविदित है कि उत्पादन भी सम्भवतः सबसे कम है । हमने शताब्दियों से पशुपालन की उपेक्षा की है । अब प्रौद्योगिकी के विकास और पशु पालन के विकास की बेहतर सूझबूझ होने के कारण स्थिति में सुधार हुआ है; विदेशी नस्लों का सूत्रपात किया जा रहा है और हम अपनी गायों की नस्ल सुधारने के लिए गहन प्रयास कर रहे हैं । भैंस भी हमारे देश की महान सम्पत्ति है । माननीय सदस्य को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि कुछ वर्ष तक गतिरोध के बाद गत दो वर्ष के दौरान अब दुग्ध उत्पादन होने लगा है । वस्तुतः कतिपय क्षेत्रों में तो अधिशेष की समस्या हो गई है ।

प्रारम्भिक शिक्षा के लिये पृथक ब्यूरो

*185. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या न्यूनतम आवश्यकताओं के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन केन्द्र में प्रारम्भिक शिक्षा के लिये एक पृथक ब्यूरो स्थापित किया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : जी, नहीं ।

श्री अर्जुन सेठी : केन्द्रीय स्तर पर निर्देशन और पर्यवेक्षण के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के लिये मूलतः एक पृथक ब्यूरो स्थापित करने का विचार किया गया था। न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम, जिसमें प्राथमिक स्कूल स्तर पर निर्देश देना भी सम्मिलित है, के अन्तर्गत निधियों का सम्यक उपयोग करने हेतु प्राक्कलन समिति ने अपने 79वें प्रतिवेदन में खेद प्रकट किया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों के पंजीकरण में गिरावट आने के कारण प्राथमिक शिक्षा के लिए यह ब्यूरो अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि प्राथमिक स्कूल स्तर पर छात्रों का पंजीकरण करने के सम्बन्ध में पुनरावलोकन करने हेतु ऐसा एक पृथक ब्यूरो स्थापित करने में सरकार को किन विशिष्ट कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : मेरे मंत्रालय में स्कूल शिक्षा के लिए निश्चित प्रबोधक कक्ष वाला एक ब्यूरो है जो प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम लागू करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी रखता है। स्कूल शिक्षा ब्यूरो के इस एकक से मुझे पूरी जानकारी मिलती है और इसी जानकारी के आधार पर मैं राज्य सरकारों से नियमित परामर्श करता हूं और मेरे मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी राज्य सरकारों के अधिकारियों से नियमित रूप से परामर्श करते हैं।

श्री अर्जुन सेठी : आप की जानकारी के लिए मैं प्राक्कलन समिति की सिफ़ारिशों का आपके सम्मुख उल्लेख करना चाहता हूं । इसमें बताया गया है कि जहां तक न्यूनतम आवश्यकताओं के प्रावधान का सम्बन्ध है उन्हें सुचना दी गई है कि केन्द्रीय स्तर पर निदशन और पर्यवेक्षण करने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रथक ब्यूरो की स्थापना की गई है। लेकिन इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित धनराशि आवंटित

नहीं की गई है। मंत्री महोदय का कहना है कि उनका राज्य सरकारों और वरिष्ठ अधिकारियों से सम्पर्क है और इस समस्या की जांच करने के लिए एक पृथक एकक है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम के अधीन एक पृथक ब्यूरो स्थापित करने का विचार है या यह वही ब्यूरो है जिसका उन्होंने सदन में अभी उल्लेख किया है।

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैंने अभी बताया है कि स्कूल शिक्षा ब्यूरो का अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य संविधान के निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार पंजीकरण कार्यक्रम को बनाये रखना है।

श्री जी० विश्वनाथन : हमने संविधान में व्यवस्था की है कि कम से कम प्राथमिक स्कूल स्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। क्या सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के सम्बन्ध में राज्यों की स्थिति का पुनरावलोकन किया है? यदि हां, तो क्या सरकार राज्यों में की गई प्रगति से सन्तुष्ट है?

प्रो० एस० नूरुल हसन : स्थिति का वार्षिक पुनरावोलकन किया जाता है। हम प्राथमिक स्तर पर पंजीकरण के लक्ष्यों के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य सरकार के प्रस्ताव और उनका कार्यनिष्पादन सम्बन्धी ब्यौरा प्राप्त करते हैं। माननीय सदस्यों को पता होगा कि इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से तीसरा अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण कार्य किया है। दूसरा अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण 1965 में हुआ था। तीसरा सर्वेक्षण 31 दिसम्बर, 1973 को बिन्दु मान कर किया गया है जिसको आधार मान कर सभी आंकड़े तैयार किए जायेंगे। तीसरे सर्वेक्षण के प्रथम आंकड़े मिलने आरम्भ हो गये हैं। मुझे भय है कि चौथी योजना के अन्त तक अर्थात् 31 मार्च, 1974 तक वास्तविक पंजीकरणों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा दिए गए आंकड़ों और तीसरे सर्वेक्षण के प्रथम विश्लेषण से प्राप्त आंकड़ों में काफ़ी अधिक त्रुटि है, हालांकि आपको पता है कि यह केवल तीन महीनों का ही अन्तर है और इसमें इतना अधिक परिवर्तन नहीं हुआ होगा। इन आंकड़ों के आधार पर मुझे अपनी और भारत सरकार की चिंता व्यक्त करने में संकोच नहीं है क्योंकि जिस तरह से प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक कार्यक्रम बनाया जा रहा है वह अत्यन्त चिन्ताजनक है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय ने कहा है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारें बच्चों का स्कूलों में पंजीकरण करने के लिए गहन प्रयास कर रही हैं। इसके बावजूद अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या और उनकी प्रतिशतता में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय सभी स्कूल जाने योग्य आयु के बच्चों के लिए स्कूल जाना और कम से कम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य बनायेंगे?

प्रो० एस० नूरुल हसन : केवल सरकार द्वारा ही उसे अनिवार्य घोषित किए जाने का प्रश्न नहीं है। इस सम्बन्ध में संविधान और मार्गदर्शी सिद्धान्त नितान्त रूप से स्पष्ट है। इस सदन का कोई भी सदस्य चाहे वह किसी भी दल का क्यों न हो, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लिए बिना यहां नहीं बैठता है। अतः हम सभी इसे कार्यान्वित करने हेतु कार्य करने के लिए वचनबद्ध हैं। यह वास्तव में महान मार्ग निर्देशक है, लेकिन दुर्भाग्य वश—मैं सदन को या देश को कभी धोखा देने का साहस नहीं करुंगा वास्तविकता यह है कि चौथी योजनावधि में विशेष प्रयास करने के बावजूद हमें अभी बहुत कुछ कार्य करना है और पांचवी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना शामिल की गई है। लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के फ़लस्वरूप पांचवी योजना के पहले दो वर्षों के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के लिए राज्य सरकारों ने पांचवीं योजना के प्रारूप में अन्तर्निहित राशि से भी बहुत कम राशि आवंटित की है।

श्रीमती शीला कौल: मंत्री महोदय ने कहा है कि प्रारम्भिक शिक्षा के लिए कम धन आवंटित किया जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षा की तुलना में जब प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए अधिक बच्चे स्कूलों में जाते हैं तो इसके लिए कम धन क्यों दिया जाता है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : प्रारम्भिक शिक्षा के लिए नियत धनराशि की उच्च शिक्षा में लगाने का तो प्रश्न ही नहीं है। राज्य सरकारों की शिक्षा के लिए कुल राशि नियतन में कमी करनी पड़ी है और इस सदन ने भी कुछ सीमा तक मेरे मंत्रालय के लिए राशि नियतन में कमी की है। क्योंकि उसका यह विचार है कि प्रमुख क्षेत्र को अधिक धन देना है और मुद्रास्फीति का दबाव कम करना है। मुझे आशा है इस वर्ष सदन मेरे मंत्रालय के लिए अधिक उदारता बरतेगा।

Shri M. C. Daga: The Minister has commended the Directive Principles. I want to know whether in order to implement this plan, any positive scheme has been formulated and whether a time limit has been fixed, so that education for all the children of India may be made compulsory ?

Prof. S. Nurul Hasan: Its time limit has been fixed and scheme has also been formulated. It was decided that in the Fifth Five Year Plan at least 97 per cent of children in the age group of 6 and 11 years should be enrolled in the schools. Out of the children between the age group of 11 and 14 years, 50 percent will be taken in the formal education scheme and 25 per cent in the non-formal education scheme. A comprehensive scheme has been prepared in this regard. During 1974 and 1975, when financial stringency came in the way, Central Advisory Board of Education gave some directives and suggestions as to how inspite of all these difficulties we can achieve our goal.

सरकारी आवास का आवंटन

*186. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के बहुत से कर्मचारी सरकारी आवास के आवंटन हेतु प्रतीक्षा सूची में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो 1 मार्च, 1976 को विभिन्न टाइप के आवासों के लिये कितने मामले विचाराधीन थे ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): (क) जी, हां।

(ख) आवंटन के लिये जो आवेदन-पत्र पड़े हुए हैं, इस प्रकार हैं :—

टाइप	आवेदन पत्रों की सं०
I	4,255
II	10,073
III	1,515
IV	868
V	593
VI	250
VII	278
VIII	79
होटल	423
जोड़	18,334

श्री के० सूर्यनारायण : मैं जनाना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई योजना बनाई है। क्योंकि सरकार उच्च अधिकारियों को अत्यधिक किराया दे रही है ? क्या सरकार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने से पहले सम्पूर्ण आवासी या कम से कम टाइप 4,5 और 6 की आवास समस्या को हल करेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : उन सभी व्यक्तियों को, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सरकारी आवास के आवंटन के योग्य हैं, आवास उपलब्ध करना सम्भव नहीं है। मंत्रालय ने इस प्रयोजन के लिए 150 करोड़ रुपये की मांग की है। तभी 75 प्रतिशत लोगों को आवास उपलब्ध हो सकता है। लेकिन 100 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए ह और इस में से गत तीन वर्षों में बहुत कम धन दिया गया है। इसलिए पांचवीं योजना की समाप्ति से पहले उन्हें सरकारी आवास का आवंटन करना सम्भव नहीं है।

श्री के० सूर्यनारायण : कितने अधिकारियों ने सरकारी आवास खाली किए हैं और अपने मकानों में चले गये हैं ?

श्री एच० के० एल० भगत : सरकार की नई नीति के फ़लस्वरूप कुल 4161 क्वार्टरों में से 1665 क्वार्टर खाली हुए हैं। मेरे पास विभिन्न श्रेणियों की सूची है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो वह सूची उन्हें दी जा सकती है।

श्री डी० एन० तिवारी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों के लिए, जो या तो स्वयं बीमार हैं या उनके परिवार का कोई सदस्य बीमार है, कोई विशेष उपबन्ध किया है ? क्या उन्हें क्वार्टरों के आवंटन के मामले में वरीयता दी जायेगी या उन्हें अपनी बारी आने पर ही क्वार्टर आवंटित किया जायेगा ?

श्री के० रघुरामैया : सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य के आधार पर क्वार्टर आवंटित करने में वरीयता दी जाती है। इसके लिए कुछ विशेष प्रकार के रोग स्वीकृत किए गए हैं। एक समिति नियुक्त की गई है जो इस आधार पर क्वार्टर आवंटित करने से पहले सभी आवेदनपत्रों पर विचार करती है।

श्री रामसहाय पाँडे : सरकारी कर्मचारियों को आवास का आवंटन करने में श्री भगत और श्री रघुरामैया द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए--क्योंकि इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं--मैं जानना चाहता हूं कि आवास के आवंटन के लिए आपके पास कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ?

श्री एच० के० एल० भगत : मैंने अपने मूल उत्तर में पहले ही आंकड़े दे दिये हैं। कुल 18,334 आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सरकारी आवास के आवंटन के लिए योग्य कुल व्यक्तियों की सामान्य औसत 42.4 प्रतिशत है। मेरे पास विभिन्न श्रेणियों का विस्तृत ब्यौरा है और यदि सदस्य चाहें तो मैं उन्हें दे सकता हूं।

कीट नियन्त्रण योजना

*187. **श्री हरी सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कीट नियन्त्रण के लिये एक समेकित योजना बनाई है जिसमें बड़े पैमाने पर छात्रों और किसानों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने इस उद्देश्य के लिए एक समेकित योजना तैयार की है।

चूहों की रोकथाम और प्रबन्ध के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाई गयी है। योजना के विभिन्न पहलुओं को सफ़लतापूर्वक अमल में लाने के लिए इस में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, विश्वविद्यालय, स्वेच्छा सेवी संगठन और विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य विभाग जैसी एजेन्सियां सम्मिलित की गयी है। इस राष्ट्रीय योजना में, विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण, आकाशवाणी, दूर दर्शन और समाचार पत्रों जैसी विस्तार एजेन्सियों द्वारा गांव वालों को इस काम के लिए तैयार करना; चूहों, सफ़ेद सूंडी और खरपतवारों की रोकथाम के लिए छात्रों का सहयोग लेना शामिल है। इस योजना के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय समिति बनाने का प्रस्ताव है।

Shri Hari Singh : I would like to know the response of the Universities that have been involved in the National plan for pest Control and would also like to know how many students of each College will be put under this Scheme, and how they will be engaged in this work ?

Shri Shahnawaz Khan : The whole scheme is still under consideration.

Shri Hari Singh: I would like to throw some light on the importance of this question that in India, a substantial part of crops is eaten up by several types of pests. It so happens that if a particular farmer succeeds in controlling the pests in his field, his efforts become ineffective if neighbouring farmers do not adopt pest control measures. I would like to know what scheme has been made by the Government for extensive pest control so as to enforce pest control in some States of India.

Shri Shahnawaz Khan : A number of schemes have been formulated by the Government in regard to pest control. There are various methods of pest control. One of the methods is that of biological control. There are certain pests which kill such pests which damage crops and such pests are called psedatoss. We are making efforts in this direction. When there is an attack by the pests, we do ground spray as well as aerial spray.

Shri Rajdeo Singh : The Executive Director of Pesticides Association of India, Mr. Barua has made a statement that the number of rats is 7 times more than the population of the country. Few days ago a suggestion came before the Central Food Advisory Committee that publicity should be made through Radio, television and pamphlets that whosoever kills a rat, he will be awarded 50 paise or one rupee. We think that we can kill rats throughout the country. I would like to know what is the reaction of the Government thereto ?

Mr. Speaker : Are pests and rats one and the same thing ?

Shri Shahnawaz Khan : Rodents are also included in this. The matter was discussed in the meeting. Steps are being taken by the Government for rodenticide. To kill rodents poison is mixed up with the edible thing and through laying teaps. Efforts are being made for rodenticide.

Shrimati Sheila Kaul: Is it a fact that six rats eat up the same quantity of foodgrains in a day as is consumed by one man ? The work under pest control plan is usually delayed. Pest Control medicines are distributed long after the seeds of wheat are sown and as a result thereof seeds are eaten up by pests. I would like to know what steps are being taken by the Government in this regard ?

Shri Shahnawaz Khan : It is a fact that rodents eat up substantial part of the crops. As far as the quantity eaten up by the rodents is concerned, it depends upon the quantity consumed by the individual.

Shri Shivnath Singh : Pest Control is very essential for increasing production. Rust-proof varieties have proved a total failure. I would like to know what action has been taken by

the Government to prepare a proper rust-proof variety. Rust is spreading as an epidemic in our country. What steps are being taken by the Government for rust-control ?

Shri Shahnawaz Khan : Our Research Institutes, and in particular I.A.R.I. are busy in search of rust-resistant varieties. The hon. Member will be glad to know that we have produced rust-resistant varieties. If the hon. Member thinks proper, I will take him to Pusa Institute and show him some varieties.

गन्ने के मूल्य की बकाया राशि

+

***188. श्री सरजू पांडे :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में चीनी मिलों ने गन्ना उत्पादकों को अभी काफ़ी धनराशि देनी है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक गन्ना उत्पादक राज्य में अलग अलग, ऐसी कितनी राशि बकाया है, और

(ग) गन्ना उत्पादकों को बकाया राशि की वसूली में उनकी सहायता करने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). 15 फ़रवरी, 1976 को 1975–76 और पिछले मौसमों से संबंधित गन्ने के मूल्य की राज्यवार बकाया राशि को बताने वाला विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 10489/76]।

(ग) राज्य सरकारों को समय समय पर यह कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि फ़ैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने के मूल्य का भुगतान शीघ्र हो, चूककर्ता फ़ैक्ट्रियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने सहित सख्त कार्यवाही करें, 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए अपने कानूनों में व्यवस्था करें और भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में गन्ने के मूल्य की बकाया राशि वसूल करने के लिए पग उठायें। कुछ राज्य सरकारों ने ब्याज की दर को बढ़कर 15 प्रतिशत तक करने के लिए पहले ही कार्यवाही की है और भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में गन्ने के मूल्य की बकाया राशि को वसूल करने के लिए व्यवस्था की है। जहां बकाया राशि के भुगतान में विलम्ब हुआ था वहां कुछ मामलो में कानूनी कार्यवाही भी की गई है।

Shri Sarjoo Pandey: The statement laid by the hon. Minister shows huge sum of money as arrears of sugarcane price. In Eastern U.P., farmers are not given money against purchase of sugarcane and instead they are issued slips and the farmers pledge their slips worth. Rs. 200, 300 or 400 and get rupees 50, 100 or so. I would like to know the number of mills against whom arrears are due and the action taken against them ?

Shri Shahnawaz Khan : The hon. Member will be happy to note that situation has altogether changed now in comparison to past years. So far as the question of U.P. is concerned, during 1975-76, upto 15th February, 1976, sugarcane worth rupees 8537 lakhs was purchased, out of which rupees 6810 lakhs have been paid. In grace period of 15 days sugarcane amounting to rupees 1892 lakhs was purchased. Arrears due from U.P. was about Rs. 17 crores. The hon. Member will appreciate that U.P. has not only cleared its dues but has made advance payments and for that I congratulate the Government of U.P. 17 Crores of rupees was due but if grace period is included it amounts to rupees 18 crores. Therefore, there are no arrears in this year.

श्री डी० के० पंडा : ऐसा कई सालों से होता आ रहा है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे सुझाव दिए गए थे कि जिन मिलों की तरफ़ बकाया राशि है उनके मालिकों को जेल में बंद करने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाए ; क्या कोई कानून बनाया जा सकता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री शाहनवाज खां : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, कुछ राज्यों ने दोषी मिल मालिकों के विरूद्ध दांडिक कार्यवाही करने के लिए कानून बनाया है और इस वर्ष रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों तथा राज्य सरकारो और जिला प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता बरतने के परिणामस्वरूप गन्ने की कीमत की अदायगी की स्थिति संतोषजनक है।

Shri Ramdeo Singh: The hon. Minister has stated the position of Uttar Pradesh in this year. I would like to know the amount due from mill owners of U.P. and Bihar for the season preceding to present season ? I would also like to know the names of the factories in U.P. and Bihar which were prosecuted for recovery of arrears ?

Shri Shahnawaz Khan : I have already stated that this year position is very good. I agree that arrears of this year and preceding years amounting to Rs. 4·50 crores are due and State Government has taken action in this regard. The owner of Yashwant Sugar Mill, Meerut was sent to jail in this connection. When we started taking penal action against mill owners, the court started giving stay orders and therefore we are helpless for the time being.

श्री बी० वी० नायक : विवरण से पता चलता है कि चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में गन्ने के मूल्य की अदायगी की स्थिति तुलनात्मक रूप से अच्छी न होते हुए भी 15 फरवरी तक 203 करोड़ रुपये की अदायगी कर दी गई है। इसके बावजूद भी वर्ष 1974–75 का 4 करोड़ रुपया अभी भी बकाया है। यह बात समझ नहीं आई कि जब वे 203 करोड़ रुपये की अदायगी कर सकते हैं तो 4 करोड़ रुपये की अदायगी क्यों नहीं कर सकते जो एक डेढ वर्ष से बकाया है ? पुरानी बकाया राशि का भुगतान क्यों नहीं किया जाता ? जब गन्ने से बनने वाली चीनी नकद दामों पर बिकती है तो सरकार यह सुनिश्चित क्यों नहीं करती कि गन्ना उत्पादकों द्वारा मिल मालिकों को बेचे गए माल का नकद पैसा मिले ? हो सकता है कि इसके क्रियान्वयन में थोड़ा समय लगे, परन्तु क्या सिद्धान्ततः मंत्री महोदय यह स्वीकार करेंगे कि अदायगी नकद की जाए ?

श्री शाहनवाज खां : चीनी उद्योग कुछ इस किस्म का है कि जिसमें समस्याएं पैदा हो जाती हैं। यदि हम नकद भुगतान के लिए कहें तो यह सम्भव नहीं है क्योंकि हो सकता है मिलों के पास उतनी राशि न हो। उद्योगपतियों के प्रतिनिधि एवं गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हैं कि आदयगी के लिए 15 दिनों का समय दिया जाए और इस वर्ष से इस मोहलत को सफलता के साथ अमल में लाया जा रहा है।

श्री बी० वी० नायक : मंत्री महोदय ने प्रश्न के (क) भाग का उत्तर नहीं दिया।

Shri Nar Singh Narain Pandey : The hon. Minister has stated that nothing is due in Uttar Pradesh.

Payment was credited in the accounts of societies and societies have set off the payment due to them. So far the question of dues of price of sugar cane is concerned, there is not even a single mill in Eastern U.P. which does not owe 20 to 40 lakhs rupees. About 10 mills have been closed down due to this reason. It effects production also. Our target was to produce 50 lakhs tonnes of sugar. But I am afraid that we will not be able to produce even 45 lakh

tonnes of sugar. I would like to know from the hon. Minister whether the figure given by the hon. Minister is about the arrears of price of sugar cane or regarding the amount credited in the accounts of societies ?

Shri Shahnawaz Khan: The question of sugar production has no particular relevance with this question.....(*Interruptions*) because not a single mill has been closed down due to this reason.

Mr. Speaker : The hon. Member had asked whether there are no arrears because amount has been credited into the accounts of societies ?

Shri Shahnawaz Khan: He has also asked about sugar production.

Mr. Speaker: You need not give the answer of that question at present.

Shri Shahnawaz Khan: It is a normal practice that payment is made through Development Societies and these societies set off the amount advanced by them in the form of manures or in any other form. The payment to which I am referring to is a payment made through Development Societies.

Shri Narsingh Narain Pandey: My question has not been replied to. I have asked about production of sugar.

Mr. Speaker: He can take up this question with the hon. Minister afterwards.

दिल्ली में सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों का सम्मेलन

***189. श्री डी० के० पंडा :** +
श्री झारखंडे राय :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 8 फरवरी, 1976 को हुए सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशें उन्हें प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगे क्या है ; और उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) कि सामूहिक आवास समितियों को भूमि सस्ते दामों पर, और उसके सदस्यों के कार्य के स्थान के समीप दी जानी चाहिये ; कि सामान्य भूमि किराया वसूल किया जाना चाहिये और समितियों को अधिक क्षेत्र पर निर्माण करने की अनुमति दी जानी चाहिये और समितियों को मकान निर्माण करने के लिए कम दरों पर ऋण दिया जाना चाहिये। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री डी० के० पंडा : प्रश्न यह है कि इस विवरण में समस्या की गंभीरता को समुचित ढंग से महसूस नहीं किया गया है क्योंकि भूमि, ऋण आदि लेने के लिए समिति ने कुछ उपायों की सिफारिशें की हैं। जैसे (1) एक केन्द्रीय निकाय की स्थापना करना (2) विभिन्न सोसाइटियों के सम्बन्ध में कुछ समान उपाय करना (3) विभिन्न राज्यों द्वारा पारित सभी बाधक कानूनों को हटाना। जब हमारी प्रधान मंत्री ने उद्घाटन भाषण दिया था तो उन्होंने इसका विशेष रूप से उल्लेख किया था, और (4) एक स्वतः समर्थनकारी तथा स्वजनित प्रक्रिया तैयार करना। इन बातों को और विशेषकर 20 सूत्री कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इन्हें कितनी अच्छी तरह इसे कार्यान्वित किया जा सकता है ? केवल सस्ती दर पर ऋण लेने से समस्या हल नहीं होगी। इसके लिए समुचित तरीके अपनाने पड़ेंगे और

किसी तरह का तंत्र तैयार करना पड़ेगा। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तत्काल कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री एच० के० एल० भगत : जैसा कि मैं पहले कह चूका हूं यह सम्मेलन हाल ही में हुआ था। उन्होंने ये सिफारिशें भेजी हैं और इन पर विचार किया जा रहा है। कुछ सिफारिशें वे पहले से भी करते आ रहे हैं। एक या दो सिफारिशों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त समिति ने विचार किया था। उस समिति की सिफारिशों पर विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों से बनी समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री डी० के० पंडा : माननीय मंत्री कहते हैं कि सरकार ने अभी निर्णय लेना है। मैं जानना चाहता हूं कि निर्णय कब तक ले लिया जायेगा और इस संबंध में कब तक नीति निर्धारित कर ली जायेगी।

श्री एच० के० एल० भगत : जैसा कि मैंने कहा है कि लगभग एक माह पूर्व हुए सम्मेलन ने ये सिफारिशें की हैं। सिफारिशें सरकार को प्राप्त हो गई हैं। यह स्वाभाविक है कि सरकार उन पर विचार करेगी। किन्तु मैं एक बात कह सकता हूं कि सरकार इस बात के लिए बहुत उत्सुक है कि सहकारी सोसाइटियों द्वारा मकान निर्माण की प्रक्रिया में वृद्धि हो और जहां कहीं किसी तरह की रूकावटें होगीं, उन्हें दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं।

श्री डी० के० पंडा : कब तक ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): मेरे विचार में माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि सरकार कितनी जल्दी निर्णय पर पहुंच जायगी। माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि सम्मेलन ने कुछ सुझाव दिए हैं। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य का यह इरादा नहीं है कि हम इसे सहज रूप में लें और शीघ्र ही कार्यवाही कर दें।

श्री डी० के० पंडा : प्रधान मंत्री ने एक नीति संबंधी स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि विभिन्न राज्यों द्वारा पारित सभी बाधक कानूनों को हटा दिया जाना चाहिये। इन सब कार्यवाहियों को, जैसे एक केन्द्रीय निकाय की स्थापना आदि करने से पूर्व विभिन्न राज्य सरकारों को अनुदेश जारी क्यों नहीं कर दिए जाते कि वे बाधक कानूनों को हटा दें। बाधक कानूनों का पहले वर्गीकरण किया जा चुका है। प्रधान मंत्री ने नीति सम्बन्धी वक्तव्य दे दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसे कार्यान्वित करने जा रही है; और यदि हां, तो कब तक।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं माननीय सदस्य के विचारार्थ निवेदन करता हूं कि यदि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में किसी तरह के बाधक कानून होंगे तो सम्बन्धित राज्य उन पर विचार करेंगे। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि सिफारिशें अभी हाल ही में मिली हैं और हम उन पर विचार कर रहे हैं।

श्री डी० बसुमतारी : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या उन्हें इस बात का पता है कि मध्यम आय वर्ग, कम आय वर्ग, जनता वर्ग तथा सेवा कार्मिक वर्ग जैसे विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न प्रकार के मकान हैं ? पता चला है कि गंदी बस्तियों मे रहने वाले, अधिकांश गरीब लोगों को बेदखल कर दिया गया है और उन्हें विभिन्न स्थानों पर भेज कर उनकी नष्ट की गई सम्पत्ति के बदले में उन्हें केवल 22 वर्ग गज भूमि दी गई है। केवल 22 वर्ग गज भूमि देकर सरकार पुनः गंदी बस्तियों को जन्म दे रही है। उन लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होगा जिन्हें बेदखल करके केवल 22 वर्ग गज भूमि दी गई

है ? मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम समाजवादी समाज की दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, सरकार मामले के इस पहलू पर विचार करेगी।

श्री एच० के० एल० भगत : वैसे इस प्रश्न का ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि अध्यक्ष महोदय अनुमति दें तो मैं इसका उत्तर दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्रीमान्। श्री दीनेन भट्टाचार्य।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : जहां तक मेरा अनुभव है, इन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों पर निहित स्वार्थों का प्रभुत्व होता है जिन के पास बहुत भूमि तथा धन है। यह धन काला है अथवा सफेद इसका मुझे कोई पता नहीं। अतः सरकार विभिन्न राज्यों में भूमि वितरण या ऋण देते हुए मध्यम आय वर्ग और कम आय वाले वर्ग को प्राथमिकता देने के लिए क्या कदम उठा रही है।

श्री एच० के० एल० भगत : माननीय सदस्य ने एक सामान्य प्रश्न पूछा है और मैं उनके विचारार्थ यह बता दूं कि सरकार की नीति यह है कि मध्यम आय वर्ग तथा कम आय वर्ग में आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए मकान निर्माण कार्य को प्रोत्साहन दिया जाये। इस प्रयोजन के लिए भूमि आवंटन तथा ऋण आदि देने हेतु विभिन्न एजेन्सियों को स्पष्ट रूप से अनुदेश जारी किए गए हैं।

चावल की नई किस्म

*191. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब विश्वविद्यालय के चावल अनुसन्धान केन्द्र ने अच्छी किस्म के चावल का उत्पादन करने के लिये, जिन पर बीमारियों का प्रभाव न पड़े, देश भर से तथा विदेशों से धान की 5,000 किस्म प्रयोगशाला और खेतों में परीक्षण के लिए एकत्र की है ;

(ख) क्या इन केन्द्रों पर विकसित की गई चावल की दो नई किस्में एल० ई० टी० 3125 और एल० ई० टी० 3126 को देश भर में खेती के उपयुक्त पाया गया है ; और

(ग) क्या पंजाब में चावल का उत्पादन वर्ष 1975 में 2.8 टन प्रति हैक्टर प्राप्त करने में उक्त चावल अनुसन्धान केन्द्र सहायक रहा है जबकि इसका उत्पादन वर्ष 1965 में एक टन प्रति हैक्टर था ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां, चावल की 5,000 से अधिक किस्में एकत्र की गयी हैं।

(ख) जी हां, अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार प्रयोजना के अन्तर्गत किये गये प्रयोगों में देश के 50 स्थानों पर इन किस्मों से काफी अच्छी उपज मिली है।

(ग) पंजाब में किसानों, वैज्ञानिकों, विस्तार कार्यकर्ताओं और निवेश आपूर्ति एजेन्सियों के मिले जुले प्रयत्नों से चावल के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। चावल का उत्पादन बढ़ाने में अधिक उपज देने वाली किस्मों ने उत्प्रेरकों की भूमिका अदा की है।

श्री राजदेव सिंह : उत्तर के भाग (ग) के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या पंजाब में अधिक उपज देने वाली किस्मों पर परीक्षण किया गया है, और यदि हां, तो क्या परिणाम निकले हैं।

श्री शाहनवाज खां : जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया, हमने 50 विभिन्न स्थानों पर अधिक उपज देने वाली किस्मों की जांच की है और यह कार्य संतोषजनक रहा है।

श्री राजदेव सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि ये 50 स्थल कहां-कहां स्थित हैं और कौन-कौन से राज्यों में हैं।

श्री शाहनवाज खां : हमारे समूचे देश में चावल उत्पादक क्षेत्रों में समन्वयकारी केन्द्र हैं।

Shri R. S. Pandey: Sir, keeping in view the experiments in regard to paddy conducted in Punjab and having an institition in this regard at international level at Manila, I want to know the agency through which such experiments will be conducted in Chhatisgarh, area, which is called paddy belt, so that maximum paddy is produced there.

Shri Shahnawaz Khan: We are expanding the new varieties in Chhatisgarh area through Agricultural Universities Extension staff.

Shri D. N. Tiwari: I want to know whether there is any such variety of paddy out of the five thousands varieties, which have been experimented upon and collected, which can be grown in dry farming area or where water is available in little quantity.

Shri Shahnawaz Khan: Yes, Sir, about 5000 varieties of paddy have been experimented upon in Panjab, Central Rice Research Institute, Cuttack has experimented ten thousands varieties of paddy and some of them can be grown in less water. Experiments on this variety are still going on and if the Hon. Member wants more information, I can give the same.

Shri Paripoornanand Painuli: I want to draw the attention of the hon. Minister towards the famous Basmati rice produced in Dehradun. It is learnt that there is no flavour in this new variety but it can only yield more rice. I want to know from the Minister as to what steps are being taken to increase the flavour in this variety of paddy.

Mr. Speaker: He wants to know whether you want more yield or more flavour from this variety.

Shri Shahnawaz Khan: We want more yield as well as flavour. Hon. Member will be glad to know that the dwarf variety resembled Dehraduni Basmati but that was without flavour, but the new variety is just like Basmati and it gives flavour also.

Expenditure on Bungalows for Officers in Delhi

193. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether bungalows have been taken on rent for the residence of top officers in Delhi and other States; and

(b) if so, State-wise annual expenditure, Government incur on those bungalows ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Shri M. C. Daga: We thank you for the hard work you are doing. You are collecting information about the places outside Delhi. Kindly furnish information about Delhi too. How many Bungalows have been taken on rent and how much rent is being paid.

श्री एच० के० एल० भगत : मैं माननीय सदस्य को सूचनार्थ यह बता सकता हूं कि गैर-सरकारी आवास को किराये पर लेना केन्द्रीयकृत नहीं है विभिन्न मंत्रालय तथा विभाग अपने कुछ नियम विनियमों के अन्तर्गत बंगल किराये पर ले लेते हैं। दिल्ली के बारे में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा उपक्रमों से जानकारी एकत्रित करनी पड़ेगी और इसमें कुछ समय लगेगा।

Shri M. C. Daga: Do you have any scheme under which you take Bungalows on rent for your officers ?

श्री एच० के० एल० भगत : मैं यह कह सकता हूं कि कुछ परिस्थितियों में आवास उपलब्ध नहीं होता तो वित्तीय शक्ति प्रत्यावर्तन नियम 1958 के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालयों को कुछ शक्तियां दी गई हैं जिनके अन्तर्गत वे आवास किराये पर ले सकते हैं। अगर विस्तृत रूप में और जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसके लिए जानकारी एकत्रित की जा रही है।

निर्धन ग्रामीणों के लिए कृषि योजना

*194. **श्री पी० गंगादेव** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में निर्धन ग्रामीणों के लिए कृषि संबंधी योजनाओं के बारे में तेजी से कार्यवाही करने के लिये राज्यों के मुख्य मंत्रियों को कोई निदेश जारी किये हैं ;

(ख) क्या केन्द्र ने उक्त प्रयोजन के लिये राज्यों को अधिक धनराशि देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य को कितनी धनराशि देने की पेशकश की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): जी हां।

(ख) सामान्य योजना बंटनों के अलावा ग्राम विकास विभाग के कार्यक्रमों के अन्तर्गत गरीब ग्रामीणों के लिए कृषि योजनाओं पर तेजी से कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकारों को कोई अन्य विशेष अथवा अधिक धनराशि नहीं दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री पी० गंगा देव : इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि हमारे राष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी/अल्प-रोजगारी है और इसके लिए अधिक कुछ नहीं किया जा रहा है कि लोग गांवों में जाकर काम करें, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस वर्ष के लिए उनकी क्या योजना है और क्या राज्य सरकारों को कोई निदेश दिया गया है जिससे कि वह लोगों को गांवों की ओर आकर्षित कर सकें तथा गांवों में खेती आदि के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतः रोजगार प्राप्त करने के लिए कुछ कर सकें ?

श्री शाहनवाज खां : ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा 160 और सीमांत किसान विकास परियोजनायें आरम्भ की गई हैं। डी० पी० ए० पी० और कमांड क्षेत्र विकास परियोजनाओं, इन सभी से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

श्री पी० गंगा देव : इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि गरीबी तथा सामाजिक मूल्यों की अन्य विकृतियों के सामाजिक सम्बन्ध में क्रांति उत्पादन से ही लाई जा सकती है, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या देश के मुख्य मंत्रियों के साथ इस आशय की कोई बातचीत हुई है कि देश में एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए क्या नीति अपनाई जानी चाहिए तथा इस नीति

के अन्तर्गत लोगों को नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकृष्ट करने के लिए कितनी सहायता देनी पड़ेगी ?

श्री शाहनवाज़ खां : जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों के कमज़ोर वर्ग के लोगों की दशा सुधारने का प्रश्न है, उनकी ऐसी सभी समस्यायें प्रधान मंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दूर हो जायेंगी। उदाहरणार्थ, 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था छोटे किसान विकास एजेंसियों के लिए की गई है और 187 करोड़ रुपया डी० पी०ए०पी० तथा अन्य परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है। कुल मिला कर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए तथा वहां रहने वाले लोगों की दशा सुधारने के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

Shri Bibhuti Mishra: Mr. Speaker, Sir, there is a talk of opening banks in rural areas. You must have observed that in North Bihar there is population of 2½ crores but there is not a single rural bank there. It has been stated by the Minister that rupees 2 hundred crores have been set apart for this purpose and rupees 12 hundred crores will be given later on. It has also been stated by him that this money will be made available to the poor farmers of villages for the agricultural purposes. I want to know the procedure for getting this money because since the abolition of indebtness, they are not getting debt from other sources. What arrangement is being made for making the money available to them. The amount has been set apart in the budget but how this amount will be made available to them?

Shri Shahnawaz Khan: Where there are no Rural Credit Societies and Rural Banks, these are being opened there.

Shri Bibhuti Mishra: Mr. Speaker, Sir, I rise on a point of order. My question was when these rural banks will be opened and time by which loans will be made available?

Mr. Speaker: This information is not available with him. This may be asked from Finance Minister.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : इस आपातकालीन स्थिति में और 20-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा के बावजूद भी अभी हाल ही में यह समाचार देखने को मिला है कि पश्चिम बंगाल में कृषि मजदूर की औसत आमदनी 37 पैसे प्रतिदिन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ग्रामीण कृषि मजदूर को निर्धारित की गई न्यूनतम मजूरी दिलवाने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : राज्य सरकारों को स्पष्ट निदेश दिये गये हैं कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित की गई न्यूनतम मजूरी मजदूरों को दिलाना सुनिश्चित करे और जहां ऐसा नहीं किया जाता वहां राज्य सरकार को उन लोगों को सज़ा देनी चाहिए जोकि इन आदेशों का उल्लंघन करते हैं।

नेत्रहीनों के लिए उद्योग का खोला जाना

*195. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल नेत्रहीन एसोसिएशन ने ऐसा उद्योग खोलने की मांग की है जिसके लिए नेत्रहीनों को प्रशिक्षण दिया गया है : और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) केरल नेत्रहीन एसोसिएशन से ऐसी कोई मांग मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है। पर, केरल फेडेरेशन आफ दि ब्लाइंड ने त्रिवेन्द्रम में ब्रेल प्रेस स्थापित करने के लिए सरकार से सहायता मांगी है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन: श्रीमान् जी, मैं अपनी भूल सुधारता हूं। केरल नेत्रहीन एसोसिएशन का नाम गलती से दिया गया था वास्तव में यह केरल फेडेरेशन आफ दि ब्लाइंड ही होना चाहिए था। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 'केरल फेडेरेशन आफ दी ब्लाइंड', केरल में ब्रेल प्रैस स्थापित करने के लिए भेजे गये प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और क्या यह सत्य है कि केरल सरकार ने इस योजना का समर्थन किया है और यदि हां, तो इस पर केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अरविन्द नेताम : केरल सरकार द्वारा इस योजना का समर्थन किया गया है तथा उसने अपनी सिफारिश के साथ ही इसे हमारे मंत्रालय को भेजा है। हमने फेडरेशन तथा राज्य सरकार से कुछ और अधिक जानकारी मांगी है और ज्यों ही हमें यह अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हो जायेगी, हम निश्चय ही इस पर विचार करेंगे।

Shrimati Sahodrabai Rai: Mr. Speaker, Sir, now a days the Harijans and Adivasis of rural areas are not getting loans from money lenders and there is terror everywhere. I want to know from the Minister the time by which these rural banks will be opened so as to enable them to begin their transactions ?

Mr. Speaker: Mr. Shahnawaz Khan, You may answer this question.

Shri Shahnawaz Khan: Instructions have been issued to State Governments for opening rural banks. This issue also came up in the last conference of Chief Ministers and there too it was decided that these rural banks should be opened at the earliest so that the people who are not getting loans from money-lenders, would be helped.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चावल का उत्पादन और वसूली

*182. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष देश में चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में चावल की वसूली गत वर्ष की तुलना में कम हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में राज्यवार, विशेषकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आसाम संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) वर्ष 1975–76 के चावल के उत्पादन के पक्के अनुमान अभी तक सभी राज्यों से उपलब्ध नहीं

हुए हैं। मौजूदा संकेतों के आधार पर, अधिकांश राज्य में इस वर्ष, पिछले वर्ष की तुलना में चावल के उत्पादन में काफी वृद्धि होगी।

(ग) और (घ) 17 मार्च, 1976 तक उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 1975–76 के दौरान, केवल दो राज्यों अर्थात् केरल और महाराष्ट्र के मामले में चावल की अधिप्राप्ति पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में कम हुई है। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और असम में पिछले वर्ष की तुलना में चावल की अधिप्राप्ति काफी अधिक हुई है। अधिप्राप्ति कार्य अभी भी चल रहा है और अक्तूबर, 1976 के अंत तक जारी रहेगा। वास्तव में असम, बिहार, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, तमिल नाडु और उत्तर प्रदेश में 1975–76 के समस्त विपणन मौसम के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक अधिप्राप्ति कर ली है और 17 मार्च, 1976 तक चावल की 48.01 लाख मीटरी टन की जो कुल अधिप्राप्ति हुई है वह अब तक की मात्रा के मुकाबले में सबसे अधिक है।

केरल में इंट बनाने वाले कारखानों की स्थापना

*183. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा नगरीय विकास निगम केरल में ऐसे कारखाने स्थापित करने के प्रश्न पर सहमत हो गया है, जिनमें सस्ती पोली ईंटें बनाने और निम्न ग्रेड की लकड़ी को इमारती लकड़ी में बदलने का कार्य होगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया): (क) तथा (ख) आवास तथा नगर विकास निगम को केरल सरकार से अथवा केरल के किसी भी संगठन से ऐसी कोई विशिष्ट योजना प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु भवन निर्माण सामग्री के उत्पादन के लिए आवेदन पत्र के साथ ऐसी प्रत्येक योजना के लिए सम्भाव्यता रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवास तथा नगर विकास निगम इनके लिए ऋण सहायता योजनाओं पर विचार कर सकता है।

शरद् ऋतु में गन्ने की बुवाई

*184. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने सुझाव दिया है कि गन्ने की बुवाई के लिये शरद् ऋतु अन्य ऋतुओं की अपेक्षा बहुत अधिक लाभप्रद है; और

(ख) यदि हां, तो गन्ना उत्पादकों को यह तरीका अपनाने के लिये शिक्षित करने हेतु सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क). इस संस्थान द्वारा किये गये परीक्षणों में अप्रैल में देर से बोयी गयी गन्ने की फसल की तुलना में शरद् ऋतु में बोयी गयी गन्ने की फसल से करीब 30 प्रतिशत अधिक उपज मिली।

(ख). भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और राज्य अनुसंधान केन्द्रों ने बुआई की इस विधि को लोक प्रिय बनाने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब में गोष्ठियां, प्रदर्शनों और रेडियो वार्ताओं का आयोजन किया है।

भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून की क्रियान्विति

*190. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने दलील दी है कि धन की कमी के कारण भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून की क्रियान्विति धीमी रही है : और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क). जी नहीं। तथापि, कुछ राज्यों ने भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों की क्रियान्विति के लिये अपने प्रशासन तंत्र को मजबूत बनाने के लिये अधिक वित्तीय सहायता की दलील दी है और उन्होंने अधिशेष भूमि के आबंटियों को खेती के लिये छुट पुट खर्च प्रदान करने के लिये भी अतिरिक्त धनराशि की मांग की है।

(ख). प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के आबंटियों द्वारा किस्तों का भुगतान न किया जाना

*192. **श्री शशिभूषण :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की विभिन्न कालोनियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न और मध्यम आय वर्ग योजनाओं के अन्तर्गत आबंटित कितने ऐसे फ्लैट हैं जिनके आबंटियों द्वारा किस्तों का भुगतान नहीं किया जा रहा है ;

(ख) उक्त आबंटन के रद्द करने और ऐसे फ्लैटों का कब्जा वापस लेने तथा उन्हें लोगों को पुनः आबंटित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या इन फ्लैटों के वास्तविक आबंटियों की प्रमाणिकता के बारे में इस बीच कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई या किये जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री के० रघुरमैया): (क). दिसम्बर, 1975 तक निम्न आय वर्ग के फ्लैटों के 1419 तथा मध्यम आय वर्ग फ्लैटों के 427 आबंटी ऐसे हैं जिन्होंने चार से अधिक किस्तें अदा नहीं की हैं।

(ख). 58 मध्यम आय वर्ग फलैटों तथा 45 निम्न आय वर्ग फलैटों का आबंटन 10–2–76 को जारी किये गये सार्वजनिक नोटिस द्वारा रद्द कर दिया गया था। इन फलैटों का दखल वापिस लेने के प्रश्न पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग). जी, नहीं।

(घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष

***196. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय ने महिलाओं के कल्याणार्थ तथा अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान हुई उपलब्धियों को समेकित करने हेतु दीर्घावधि परियोजनायें कार्यान्वित करने के लिये एक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कितने मामलों में नये कानूनी उपाय करने होंगे तथा कितने मामलों में तत्काल कार्यवाही की जा सकती है एंव बाद वाली श्रेणी के सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) से (ग). इस मंत्रालय के कहने से इंस्टीटयूट आफ एपलाइड मैनपावर रिसर्च ने महिलाओं के संबंध में कार्यवाही की एक योजना बनाई है। स्थिति की समानता तथा सभी क्षेत्रों में जिन में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थय देखभाल के क्षेत्र शामिल हैं, महिलाओं के विकास हेतु अवसरों की प्राप्ति के लिये इस योजना में विधायी और प्रशासनिक कार्यवाही तथा स्वैच्छिक प्रयत्न की व्यवस्था है। इस योजना की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

भारतीय महिलाओं को जो आर्थिक और सामाजिक अन्याय, निर्योग्यताओं तथा पक्षपातों का सामना करना पडता है, उन्हें दूर करने के उद्देश्य से विशिष्ट विधायी और प्रशासनिक उपायों के विस्तृत कार्यक्रम को शुरु करते समय सरकार संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किये गये संकल्पों को ध्यान में रखेगी। इस सम्बंध में जो विधायी उपाय किये जा चुके हैं तथा जिन पर विचार किया जा रहा है, वे नीचे दिये गये हैं :–

(1) संसद ने समान वेतन अधिनियम, 1976 अधिनियमित कर दिया है, जिसमें पुरुष और महिला कामगारों के लिये समान वेतन दिये जाने तथा रोजगार के मामले में लिंग के आधार पर पक्षपात को रोके जाने के लिये उपबंध है।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक संसद में पेश कर दिया गया है। इस विधेयक में उपबंध किया गया है कि विशिष्ट प्रकार के पारिवारिक विवादों के संबंध में मुकदमें विशेष ढंग से चलाये जायेंगे तथा समझौते के प्रयत्नों पर उचित ज़ोर दिया जायेगा।

(3) विवाहित पत्नी-पति का आपसी मनमुटाव हो जाने के कारण उन्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन्हें दूर करने के लिये हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 तथा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के उपबन्धों का संशोधन करने के वास्ते एक विधेयक शीघ्र ही संसद में प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक पणन दमन अधिनियम, 1956 के संबंध में एक संशोधक विधेयक इस वर्ष के दौरान संसद में प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) मातृत्व लाभों, बाल विवाह रोक, दहेज के निषेध, आदि के संबंध में वर्तमान कानून के उपबंधों पर एक अन्तर विभागीय 'अधिकारसम्पन्न समिति, द्वारा पुर्नवलोकन किया जा रहा है।

3. यथासम्भव शीघ्र ही सामने रखे गये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये समुचित प्रशासनिक उपाय भी किये जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में लघु सिंचाई योजनाओं के लिए कृषि पुर्नवित और विकास निगम द्वारा अनुदान

*197. **श्री रानेन सेन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पुर्नवित और विकास निगम ने पश्चिम बंगाल सरकार की लघु सिंचाई योजनाओं को सहायता देने के लिये राज्य को और अधिक सहायता देने का वचन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत धनराशि कुल कितनी है ; और

(ग) शीघ्र आरम्भ की जाने वाली परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). एक अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन साहायित ऋण परियोजना 59 मिलियन डालर (47 करोड़ रुपये) की कुल लागत से मंजूर की गई है जिस में पश्चिम बंगाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन की सहायता 35 मिलियन डालर (27.2 करोड़ रुपये) है। यह परियोजना 4 वर्षों की अवधि के लिये जारी रहेगी। इस परियोजना ने 28–8–75 से काम करना शुरु किया था। यह कृषि पुर्नवित तथा विकास निगम द्वारा 30–6–75 तक मंजूर की गई लघु सिंचाई की 17 योजनाओं के अतिरिक्त है। कुल परिव्यय 3.61 करोड़ रुपये है और कृषि पुर्नवित तथा विकास निगम से पुर्नवित देने की वचनबद्धता 3.29 करोड़ रुपये है।

यह परियोजना पश्चिम बंगाल सरकार को कृषि विकास में सहायता देने के लिये कार्यक्रम की पहली अवस्था है और इस में भूमि विकास तथा नालियां के साथ 18,000 उथले

नलकूपों, 300 गहरे नलकूपों (200 लघु सिंचाई दलों के लिये और 100 लघु सिंचाई निगम के लिये) का निर्माण करना, भूमि विकास तथा नालियों के साथ 600 आंशिक रूप से निर्मित नदीजल उठाऊ सिंचाई तथा गहरे नलकूपों का पूरा करना शामिल है। इस परियोजना में तीन नियमित बाजारों के विकास तथा 200 कृषि सेवाऐं केन्द्रो की स्थापना की भी व्यवस्था है। परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत हुगली, बर्दमान, नादिया, मुर्शिदाबाद, माल्दा तथा पश्चिम दीनाजपुर के जिले आते हैं। इस परियोजना में पश्चिम बंगाल के कृषि विभाग के इंजीनियरिंग निदेशालय और जल बोर्ड के लिये उपकरणों के अधिग्रहण तथा स्टाफ के लिये छात्रवृति तथा तकनीकी सहायता की भी व्यवस्था है।

छोटे और सीमान्त कृषकों को सहायता देने की योजना

*198. **श्री सरोज मुखर्जी :**

श्री वसन्त साठे :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के छोटे और सीमान्त कृषकों को वित्तीय सहायता देने की क्या योजनायें हैं ;

(ख) वर्ष 1974-75 में लघु कृषक विकास एजेंसियों (ए० एफ० डी० ए०) की मार्फत दी गई अल्पावधि उत्पादन ऋणों की, राज्यवार, राशि क्या है; और

(ग) सहकारी समितियों से संबंध न रखने वाले छोटे कृषकों की सहायता के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क). पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु किसानों, सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए देश के विभिन्न भागों में 160 लघु किसान विकास एजेंसी/सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक विकास एजेंसी परियोजनायें स्थापित की गई हैं। ये एजेंसियां कृषि और सहायक धंधों से संबंधित विभिन्न विकास कार्यक्रमों को पूंजी लागत पर उपदान के रूप में छोटे किसानों को 25 प्रतिशत तथा सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों को $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता देती हैं। शेष धनराशि वित्तदायी संस्थाओं अर्थात सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण के रुप में उपलब्ध कराई जा रही है। इसी प्रकार की सहायता विशेष पशुपालन कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही है।

(ख). लघु किसान विकास एजेंसियां कोई ऋण नहीं देती हैं बल्कि वे पहचाने गए सहभागियों के लिए सहकारी/वाणिज्यिक बैंकों जैसे संस्थागत स्रोतों के माध्यम से ऋण जुटाती हैं। वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान लघु किसान विकास एजेंसी/सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक परियोजना क्षेत्रों में सहकारी/वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गये अल्पकालीन उत्पादन ऋणों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग). सहकारी सोसायटियों के अलावा, वाणिज्यिक बैंक भी छोटे किसानों, सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों को ऋण सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में उत्पादी गतिविधियों विशेषकर लघु/सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों आदि के लिए ऋण सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत स्थापित किये जा रहे हैं। अब तक ऐसे 11 बैंक स्थापित किये गए हैं। लघु किसान विकास एजेंसी/सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक एजेंसियां छोटे/सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिकों को सहकारी सोसायटियों के सदस्य के रूप में उनके नामांकन हेतु ब्याज-मुक्त अंश पूंजी ऋण भी प्रदान करती हैं ताकि वे इन संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकें।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1974–75 के दौरान लघु किसान विकास एजेंसी/सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक परियोजना क्षेत्रों में सहकारी/वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए अल्पकालीन उत्पादन ऋणों की राज्यवार स्थिति

(लाख रुपए में)

क्रम संख्या	राज्य	सहकारी/वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए अल्पकालीन उत्पादन ऋण
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	108.24
2.	असम	28.21
3.	बिहार	46.55
4.	गुजरात	242.45
5.	हरियाणा	419.65
6.	हिमाचल प्रदेश	35.87
7.	जम्मू तथा काश्मीर	72.17
8.	कर्नाटक	164.96
9.	केरल	108.19
10.	मध्य प्रदेश	99.50
11.	महाराष्ट्र	120.82
12.	मेघालय	1.81
13.	मणिपुर	5.41
14.	नागालैण्ड	7.07
15.	उड़ीसा	156.32
16.	पंजाब	254.25

1	2	3
17. राजस्थान	. . . .	328.24
18. तमिलनाडु	. . . .	500.78
19. उत्तर प्रदेश	. .	198.15
20. त्रिपुरा		8.72
21. पश्चिम बंगाल	. . . .	78.29
22. गोवा	. . . .	3.94
23. पांडिचेरी	.	11.37
		3001.06

आन्ध्र प्रदेश में प्रजनन फार्म

199. **श्री के० राम कृष्ण रेड्डी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कितने ऐसे विदेशी प्रजनन फार्म हैं ;

(ख) उक्त फार्मों के लिये कितनी धनराशि दी गई ; और

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1976-77 में विदेशी सहायता के अधीन आंध्र प्रदेश में एक "फ्रोजन सीमेन बैंक" स्थापित करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) (1) भारतीय डेरी निगम द्वारा आपरेशनफ्लड परियोजना के अन्तर्गत नैकारीकल्लू और हैदराबाद में जर्सी और होलस्टीन फ्रीसियन नस्लों (बुल मदर यूनिट) के विदेशी पशु के दो छोटे यूनिट स्थापित किये गये हैं ।

(2) राज्य के पशुपालन विभाग ने ममनूर में एक जर्सी--यूथ स्थापित किया है ।

(3) करनूल जिले के बनवासी स्थान पर सिर्फ एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित विदेशी पशु प्रजनन फार्म की मंजूरी दी गई है ।

(ख) (1) इस मंत्रालय ने उपर्युक्त (क) (1) और (क) (2) के लिये सीधे कोई धन राशि नहीं दी है ।

(2) उपर्युक्त (क) (3) के लिये 1975-76 के दौरान 11.11 लाख रुपये की धनराशि स्वीकार की गई है और यह धन राशि अभी तक नहीं दी गई है । केन्द्र द्वारा प्रायोजित पशु प्रजनन फार्म बनवासी के लिये केन्द्रीय सहायता कुल 94.17 लाख रुपये की है ।

(ग) जी हां । वर्ष 1976-77 के दौरान दानिदा सहायता से जिला कुरनूल के नन्दयाल स्थान में एक "हिमित वीर्य बैंक" स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

गन्ने के बीज का विकास

200. **श्री एस0 एम0 बनर्जी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने के बीजों का विकास करने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) यह योजना लघु स्तर के गन्ना उत्पादकों के लिये कहां तक लाभदायक सिद्ध होगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी0 शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने गन्ना विकास के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना स्वीकृत की है जिसमें गन्ने के पुष्ट बीज का उत्पादन और वितरण भी शामिल है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों ने उन स्थानों पर बीज उत्पादन तथा वितरण का एक व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया है जहां चीनी के कारखाने हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को 47 बीज उत्पादन केन्द्रों का नियतन किया गया है। ऊष्मा से उपचार और इस कार्यक्रम की तकनीकी निगरानी के लिये केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक केन्द्र पर ऊष्मा से उपचार करने वाले संयंत्रों तथा तकनीकी विशेषज्ञों के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था की है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चार-पांच वर्षों में एक बार बीज उत्पादन की तिहरी प्रणाली के जरिए उत्पादित गन्ने के पुष्ट बीजों से उप-उष्णप्रदेशीय क्षेत्र में प्रत्येक चीनी के कारखाने के इर्द-गिर्द 2000 हेक्टेयर (नागालैण्ड में 1000 हेक्टेयर) और उष्ण-प्रदेशीय क्षेत्र में 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की बुवाई करने का विचार है।

(ग) इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक चीनी के कारखाने के इर्द-गिर्द गन्ने के पुष्ट बीजों से उप-उष्ण प्रदेशीय क्षेत्रों में 2000 हेक्टेयर तथा उष्ण-प्रदेशीय राज्यों में 1000 हेक्टेयर के सम्पूर्ण सघन क्षेत्रों में गन्ने की बुवाई की जाये। यह बीज सभी गन्ना उत्पादकों को उपलब्ध होगा जिनमें से अधिकांश छोटे और सीमान्त गन्ना उत्पादक होते हैं।

वीरानाम परियोजना

998. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वीरनाम परियोजना की अनुमानित लागत क्या है, उस पर अब तक कितना व्यय हुआ है और उसमें कितने प्रतिशत प्रगति हुई है ;

(ख) इसको पूरा करने के लिये कौन सी तारीख निर्धारित की गई है ; और

(ग) उक्त परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मछली पकड़ने वाली ट्रालर की खरीद के लिये बातचीत

999. **श्री वयालार रवि :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली पकड़ने वाले ट्रालरों के लिये बातचीत करने तथा ट्रालरों की खरीद करने हेतु कोई शिष्ट मंडल विदेश गया है ;

(ख) शिष्टमंडल में प्राइवेट फर्मों के कोई प्रतिनिधि भी शामिल किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन फर्मों के क्या नाम हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) जी हां । अगस्त-सितम्बर, 1975 में एक शिष्टमंडल मैक्सिको भेजा गया था, ताकि उस देश से ट्रालरों के आयात करने सम्बन्धी प्रमुख मामलों पर विचार विमर्श किया जा सके और उन्हें अन्तिम रूप दिया जा सके । इस शिष्टमंडल में कृषि विभाग, अर्थ कार्य विभाग और मेजागोन डाक्स लिमिटेड के प्रतिनिधि शामिल थे ।

(ख) शिष्टमंडल ने ट्रालरों के आयात की जिस योजना पर विचार विमर्श किया वह मत्स्य उद्योग द्वारा ट्रालरों के आयात के लिये जून, 1973 में सरकार द्वारा अधिसूचित योजना से सम्बन्धित है । सरकार ने इस कार्यक्रम का समन्वय किया । ये खरीद सार्वजनिक क्षेत्र की निगमों और मात्स्यकी कम्पनियों द्वारा की जानी है, अतः सरकार ने सब भारतीय पार्टियों को सूचित किया कि यदि वे चाहें तो विचार विमर्श में भाग लेने के लिये अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं । इसके प्रत्युत्तर में एक सार्वजनिक क्षेत्र के मात्स्यकी निगम और दो मात्स्यकी कम्पनियों ने अपने प्रतिनिधि मैक्सिको भेजे । वे सरकारी शिष्ट मंडल के सदस्य नहीं थे ।

(ग) जिन फर्मों के प्रतिनिधियों ने विचार विमर्श में भाग लिया, उनके नाम निम्नलिखित हैं :—

(1) राजकीय मात्स्यकी विकास निगम लिमिटेड, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता (सार्वजनिक क्षेत्र) ।

(2) मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड, कलकत्ता ।

(3) मैसर्स ई० आई० डी० पैरी लिमिटेड, मद्रास ।

सामुदायिक विकास खण्ड और ग्राम पंचायत

1000. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये सामुदायिक विकास खण्डों और ग्राम पंचायतों को वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ बनाने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी नहीं। सामुदायिक विकास खंड तथा ग्राम पंचायतें राज्य के विषय हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में वायु और जल दूषण

1001. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की वायु और जल आज दस वर्ष पहले की तुलना में अधिक दूषित है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में राजधानी में जल और वायु दूषण में अधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) विश्व की अन्य राजधानियों की तुलना में उक्त दूषण कितना है और इसको दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): (क) जी, हां।

(ख) प्रदूषण में हुई वास्तविक वृद्धि की मात्रा का अभी पता नहीं है।

(ग) दिल्ली में प्रदूषण, संसार की अन्य राजधानी—शहरों की उपेक्षा कम है। जल (प्रदूषण निवारण व नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण का केन्द्रीय बोर्ड स्थापित किया गया है तथा उक्त बोर्ड, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में जल प्रदूषण की रोकथाम के लिये कारगर कार्यवाही कर रहा है।

इन्द्रप्रस्थ पावर स्टेशन को चिमनियों से निकलने वाले धुएं से उत्पन्न हुये वायु-प्रदूषण को कम करने के लिये दिल्ली विद्युत् वितरण संस्थान द्वारा कार्यवाही की जा रही है। कूड़े-कचरे को मापने तथा उसका विश्लेषण करने के लिये नगर के विभिन्न भागों में छः मोनीटरिंग स्टेशन स्थापित किये गये हैं। दिल्ली परिवहन निगम की बसों के इन्जेक्शन सिस्टम दोषपूर्ण होने की वजह से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिये कार्यवाही कर रहा है।

वायु-प्रदूषण की रोकथाम के लिये एक व्यापक कानून बनाये जाने तक दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक ने "दी बम्बई स्मोक न्यूसेंसिज् एक्ट, 1972" को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र (दिल्ली छावनी के अलावा) में लागू कर दिया है तथा दिल्ली के लिए एक स्मोक न्यूसेंस कमीशन का गठन कर दिया है जो उक्त एक्ट के कार्यान्वयन की देखरेख तथा नियंत्रण करेगा।

ग्रामीण रोजगार एवं कृषि विकास के लिए द्रुत कार्यक्रम की उपलब्धियां

1002. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन के लिये ग्रामीण रोजगार एवं कृषि विकास के लिये द्रुत कार्यक्रम द्वारा बनी आस्तियों को, जैसे गांवों की सड़कें, सम्पर्क सड़कें, कुएं आदि को राज्यों द्वारा दो द्रुत कार्यक्रम पूरे कर लेने के बाद स्थायी आस्तियों में बदलने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में इस प्रकार कितनी आस्तियां बनाये जाने का अनुमान है ;

(ग) क्या यह प्रत्येक राज्य में दो कार्यक्रमों पर किये गये व्यय के अनुरूप है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कार्यक्रमों के फलस्वरूप बनी आस्तियों की स्थिति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क), (ख), (ग) व (घ): **ग्राम रोजगार की त्वरित योजना**

ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यह व्यवस्था की गई थी कि श्रम गहन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से स्थायी परि-सम्पत्तियां सृजित की जायें। उपलब्ध सूचना के अनुसार लघु सिंचाई के अन्तर्गत कुल 142604 हेक्टेयर भूमि, भू-संरक्षण तथा वनरोपण के अन्तर्गत 63323 हेक्टेयर भूमि, बाढ़ बचाव के अन्तर्गत 187335 हेक्टेयर भूमि, लाई गई थी और 72375 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया था।

तथापि, राज्य सरकारों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे अपने निजी संसाधनों से अधूरे कार्यों को पूरा करें और उनके रख-रखाव की देखभाल करें। कुछ राज्यों ने इस प्रयोजन के लिये प्रचुर धनराशि दी।

कृषि उत्पादन हेतु त्वरित कार्यक्रम

आपातकालीन कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत निष्पादित लघु सिंचाई निर्माण कार्यों ने स्थायी स्वरूप की परिसम्पत्तियां सृजित की हैं जो वर्ष 1972–73 के दौरान तथा बाद के वर्षों में सिंचाई सुविधायें देने के लिये सक्षम थीं। राज्यों द्वारा लघु सिंचाई कार्यक्रमों पर किये गये व्यय तथा कार्यक्रमों से प्राप्त हुये भौतिक लाभों को दर्शाने वाले विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं। [ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 10490/76]। इन सिंचाई योजनाओं से लाभ जो कुछेक वर्षों तक होने की आशा की जाती है, लागत को उचित सिद्ध करते हैं।

अन्दमान में बसे व्यक्ति

1003. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान में अब कौन-कौन से ग्रुपों को बसाया गया है;

(ख) वहां बसे बंगालियों की संख्या कितनी है और क्या उन्हें भूमि और मकान बनाने के लिए स्थान राज सहायता और ऋण के आधार पर दिये गये हैं; और

(ग) क्या उन्होंने ऋण लौटा दिये हैं और यदि नहीं, तो उनकी कठिनाइयां क्या हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पुनर्वास विभाग की पुनर्वास योजनाओं के अधीन भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रवासियों, श्रीलंका तथा बर्मा से स्वदेश लौटे भारतियों और भूतपूर्व सैनिकों को बसाया गया है।

इसके अलावा, भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रवासियों के कृषक परिवारों तथा कुछ अन्य समूहों को गृह मंत्रालय की उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत बसाया गया है। इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा को मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) बसने वाले बंगालियों की कुल संख्या 3638 है (गृह मंत्रालय की योजना के अंतर्गत 2861 तथा पुनर्वास विभाग की योजना के अन्तर्गत 777)।

गृह मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत 1949 तक सम्पूर्ण सहायता अनुदान के रूप में दी गई थी तत्पश्चात् दी गई सहायता ऋण के रूप में थी। पुनर्वास विभाग के अन्तर्गत भूमि मुफ्त दी जाती है परन्तु उर्वरकों तथा हल के पशुओं की खरीद, कुएं खोदने, मकान बनाने आदि के लिए ऋण दिया जाता है।

(ग) पुनर्वास विभाग की पुनर्वास योजनाओं के अन्तर्गत बसने वालों ने वित्तीय कठिनाइयों के कारण ऋणों को लौटाना शुरू नहीं किया है। गृह मंत्रालय की उपनिवेश 7 योजना के अन्तर्गत बसने वालों द्वारा ऋणों के लौटाने के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

सुवर्णरेखा नदी पर बाँध

1004. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के सिंहभूम तथा रांची जिलों और बंगाल और उड़ीसा में सुवर्णरेखा नदी पर बांध कब तक बन जायेंगे;

(ख) बिहार, बंगाल और उड़ीसा में इस नदी पर कितने और किन-किन स्थानों पर बांध बनाये जाने हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य में अलग-अलग, कितने क्षेत्र में खेती की जायेगी; और

(घ) निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार ने तीव्र गति से पूरा कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) से (ग). स्वर्णरेखा बेसिन में बिहार सरकार द्वारा (सिंहभूम जिले में) और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा (पुरुलिया जिले में) प्रस्तावित वृहत्/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की सूची उनकी अनुमानित लागत तथा लाभान्वित होने वाले क्षेत्र के साथ संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी०-10491/76]। अभी तक उड़ीसा सरकार द्वारा स्वर्णरेखा बेसिन में किसी नई परियोजना को प्रयोजित नहीं किया गया है।

(घ) बिहार की स्वर्णरेखा बहुद्देश्यीय परियोजना में अन्तर्राज्यीय पहलू निहित है। इसलिए संबंधित राज्यों नामशः बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच समझौता होने के पश्चात् ही इसकी स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

बिहार की शेष 8 परियोजनाओं में से 7 परियोजनाओं पर टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी जा चुकी हैं। राज्य सरकार के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है। आठवीं परियोजना नामशः मुराहीर जनवरी, 1976 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी और इसकी जांच की जा रही है।

पश्चिम बंगाल की 4 परियोजनाओं पर राज्य सरकार को टिप्पणियां भेजी जा चुकी हैं और उनके उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है। कार्य पर परियोजना रिपोर्ट मार्च, 1976 में प्राप्त हुई है और इसकी जांच की जा रही है।

राज्यों की विकासात्मक योजनाओं में शामिल करने के लिए इन परियोजनाओं का तकनीकी रूप से और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य पाये जाने एवं राज्य सरकारों द्वारा अपनी वार्षिक योजनाओं में आवश्यक धनराशि उपलब्ध करने के पश्चात् ही विचार किया जाएगा।

वर्ष 1970–71 के दौरान कृषि गणना

1005. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970–71 में कराई गई कृषि-गणना के क्या निष्कर्ष हैं; और

(ख) भूमि सुधारों को लागू करने में कृषि गणना के निष्कर्ष कहां तक सहायक सिद्ध हुए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कृषि संगणना 1970–71 की कुछ प्रमुख बातें नीचे दी गई हैं।

1. भारत में 705 लाख संक्रियागत जोतों में खेती की जाती है जिनका कुल क्षेत्र 1620 लाख हैक्टार है। इन जोतों का औसत आकार 2.30 हैक्टार है जिसमें से 2.06 हैक्टार निबल क्षेत्र में खेती की जाती है।

2. कुल 705* लाख जोतों में ये जोतें आती हैं :

— 121 लाख हैक्टार क्षेत्र में 124 लाख पूरी तरह सिंचित जोतें।

— कुल 460 लाख हैक्टार क्षेत्र में 170 लाख आंशिक रूप से सिंचित जोतें। इसमें से 170 लाख हैक्टार क्षेत्र सिंचित है; और

— कुल 770 लाख हैक्टार क्षेत्र में 410 लाख पूरी तरह से असिंचित जोतें जिनमें वर्षा से खेती होती है।

*1 लाख जोतों के 'वर्तमान परती' के अंतर्गत होने के कारण इनका वर्गीकरण उपर्युक्त किसी भी श्रेणी में नहीं किया गया है।

3. कुल 705 लाख संक्रियागत जोतों में 587 लाख वैयक्तिक जोतें (83.3 प्रतिशत) जिसके अंतर्गत 1290 लाख हैक्टार भूमि है, और 118 लाख संयुक्त जोतें (16.7 प्रतिशत) जिसके अंतर्गत 330 लाख हैक्टार भूमि है, शामिल हैं।

4. भारत में सीमांत जोतों (1 हैक्टार से नीचे) की अधिकता संक्रियागत जोतों की एक मुख्य बात है। आधी संक्रियागत जोतें, सीमांत जोतें हैं, यद्यपि वह कुल क्षेत्र का केवल 9 प्रतिशत हैं। 19 प्रतिशत जोत छोटी जोत हैं (1–2 हैक्टार) और यह कुल क्षेत्र का 12 प्रतिशत हैं। अर्ध मध्यम जोतों (2–4 हैक्टार) के अंतर्गत कुल जोतों का लगभग 15 प्रतिशत और कुल क्षेत्र का 19 प्रतिशत क्षेत्र शामिल है। दूसरी ओर मध्यम (4–10 हैक्टार) तथा बड़ी जोतों (10 हैक्टार और इससे अधिक) के अंतर्गत मोटे तौर पर क्षेत्र का दो-तिहाई भाग है। 11 प्रतिशत जोतें मध्यम जोतें हैं और 4 प्रतिशत बड़ी जोतें हैं। सही शब्दों में 10 हैक्टार और उससे अधिक की 28 लाख जोतों के अंतर्गत 500 लाख हैक्टार भूमि है। बड़ी जोत का औसत आकार लगभग 18 हैक्टार है।

5. देश में कुल सिंचित क्षेत्र के दो-तिहाई भाग में (67.6 प्रतिशत) मध्यम वर्ग, अर्थात् छोटी तथा अर्ध मध्यम जोत (39 प्रतिशत) और मध्यम जोत (28.6 प्रतिशत) शामिल हैं।

6. देश में नलकूपों से सिंचाई किये जाने वाले कुल क्षेत्र के 2/5 भाग में छोटी तथा अर्ध मध्यम जोत हैं। सब आकार की जोतों में नहरी सिंचाई के अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्र का 2/5 से कुछ अधिक भाग है। देश में चावल की खेती के कुल क्षेत्र का प्राय: 2/3 भाग असिंचित है।

7. सिंचित तथा असिंचित (क्रमश: 43.6 प्रतिशत तथा 44.1 प्रतिशत) दोनों क्षेत्रों में की जाने वाली चावल की खेती का अधिकांश भाग छोटी तथा अर्ध-मध्यम जोतों (1 से 4 हैक्टार) का है। यद्यपि, देश में सीमांत तथा उप सीमांत जोतों (1 हैक्टार से कम) के अंतर्गत संक्रियागत जोतों की कुल संख्या का 1/2 भाग है, लेकिन इन जोतों के अंतर्गत चावल की खेती के कुल क्षेत्र का 1/5 से कम भाग है।

8. देश में चावल के उत्पादन में छोटे तथा अर्ध-मध्यम जोतों की महत्वपूर्ण भूमिका एवं इस फसल की खेती के लिये इस वर्ग में इन जोतों की तकनीकी तथा आर्थिक सम्भाव्यता को देखते हुए, यदि इस वर्ग की जोतों को काफी सुविधाएं प्रदान की जायें तो यह लाभकारी होगा।

9. चावल की खेती की परिस्थितियों के विपरीत देश में गेहूं की खेती का अधिकांश भाग (गेहूं के अंतर्गत कुल क्षेत्र का 55.9 प्रतिशत) सिंचाई के अंतर्गत है। गेहूं की खेती का अधिकांश भाग (सिंचित क्षेत्र का 38.2 प्रतिशत और असिंचित क्षेत्र का 30 प्रतिशत) छोटी तथा अर्ध मध्यम जोतों (1 से 4 हैक्टार) के अंतर्गत है। चावल की खेती के सम्बन्ध में भी यही देखा गया है। सिंचित क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटी तथा अर्ध-मध्यम जोतों को (जो गेहूं के अंतर्गत सब से बड़ा क्षेत्र है) अधिक सुविधाएं प्रदान करने और पूरक (लघु) सिंचाई की सुविधाओं के माध्यम से असिंचित खेती को सुदृढ़ बनाने से अर्थ व्यवस्था को काफी लाभ होगा।

10. सिंचित तथा असिंचित दोनों प्रकार के क्षेत्रों में मक्का के क्षेत्र का अधिकांश भाग (लगभग 2/5 भाग) छोटी तथा अर्ध-मध्यम जोतों (1 से 4 हैक्टार) का है। यही स्थिति जो के सम्बन्ध में भी है।

11. सीमांत तथा उप सीमांत परिस्थितियों के अंतर्गत लगभग 70 लाख संक्रियागत जोतों में ज्वार तथा बाजरा की खेती होती है, जो इन फसलों की कुल संक्रियागत जोतों का 72 प्रतिशत है।

12. सीमांत और उप सीमांत जोतें, जो कुल संक्रियागत जोतों का 1/2 भाग है, दालों के अंतर्गत की जा रही खेती के कुल क्षेत्र का केवल 8 प्रतिशत है।

13. बड़ी जोतों (10 हैक्टार और उससे अधिक) सिंचित तथा असिंचित दोनों क्षेत्रों में गन्ना के अंतर्गत कुल क्षेत्र का लगभग 16 प्रतिशत है।

14. मध्यम तथा बड़ी दोनों जोतें तिलहनों के अंतर्गत की जा रही खेती के कुल क्षेत्र का 63 प्रतिशत है।

15. देश में कपास की अधिकांश खेती 4 हैक्टार या उससे अधिक के आकार की संक्रियागत जोतों में की जाती है, जो कपास के अंतर्गत कुल क्षेत्र का 77 प्रतिशस है।

16. देश में पटसन की खेती प्रायः अर्ध मध्यम, छोटी तथा सीमांत जोतों में की जाती है।

17. उन संक्रियागत जोतों के अंतर्गत कुल भूमि जिस पर खेती नहीं की जा रही है, 124 लाख हैक्टार है। इस भूमि का 1/2 भाग बड़ी जोतों (10 हैक्टार तथा उससे अधिक) का है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में जिस भूमि पर खेती नहीं की जा रही है, उसका 80 प्रतिशत से अधिक भाग 4 हैक्टार तथा इस से बड़ी जोतों का है।

(ख) ये आंकड़े सरकार के लिए उपयोगी हैं और कृषि विकास योजनाओं को तैयार करने उनकी समीक्षा और क्रियान्वयन करते समय संगणना की प्रवृत्तियों को दृष्टिगत रखा जाएगा।

काश्तकारों को ऋण

1006. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में काश्तकारों को कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये;

(ख) इन ऋणों का राज्यवार तथा संघ-राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है, प्रत्येक राज्य में तथा संघ-राज्य क्षेत्रों में कितने-कितने किसानों को ऐसे ऋण मिले; और

(ग) विभिन्न राज्यों में ऋण की कितनी राशि वसूल की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग). सहकारी सोसाइटियों तथा वाणिज्यिक बैंकों के बारे में सूचना देने वाले दो विवरण (अनुबन्ध 1 और 2) संलग्न हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये संख्या एल०टी०-10492/76**]। वाणिज्यिक बैंकों से सम्बन्धित सूचना प्रत्यक्ष ऋण (बकाया) दर्शाती है।

New Technology for Rice Production

1007. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the conventional old methods are being adopted for the cultivation of rice in Western Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Orissa, West Bengal;

(b) whether no new technology or method of rice cultivation has been evolved;

(c) measures taken in this regard; and

(d) rice production in 1974-75 and 1975-76?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) to (c). The high yielding varieties programme of rice was started in all the States and Union Territories in 1966-67. The Eastern States of Assam, Bihar, Orissa, West Bengal and U.P. have, however, made comparatively less progress due to slower adoption of new technology, besides late sowing of crop.

The farmer's training and education programme has been considerably stepped up in the Eastern States in recent years to promote adoption of new production technology by majority of the farmers. Extensive education of the farmers is being carried out in the proper use of fertilizers and adoption of recommended agronomic practices. For timely showing, the farmers are being educated to raise rice nurseries in advance for the main Kharif crop through the Community Nurseries Programme and rescheduling canal water supplies. This helps in increasing rice yield and also enables the farmers to sow wheat in time to get higher yields. In addition, the Minikit Programme of rice is being implemented (under the Central Sector Scheme) for identification of suitable varieties for different situations, i.e. uplands, midlands and lowlands.

(d) The total production of rice in the country during 1974-75 was 40·25 million tonnes which included 19·84 lakh tonnes in Assam, 45·59 lakh tonnes in Bihar, 31·66 lakh tonnes in Orissa, 65·43 lakh tonnes in West Bengal, and 34·89 lakh tonnes in U.P. Similar information for 1975-76 has not yet become available.

Grant for Construction of Houses in Rajasthan

1008. **Shri Hukum Chand Kachwai:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether Rajasthan Government asked for grant from the Central Government for the construction of houses in the Adivasi and Harijan areas of Rajasthan after the proclamation of emergency; and

(b) if so, amount of grant asked for and amount given to Rajasthan Government ?

The Minister of Works and Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah): (a) No., Sir.

(b) Does not arise.

Housing Schemes for Madhya Pradesh approved by HUDCO

1009. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether the Housing and Urban Development Corporation has approved any housing schemes for Madhya Pradesh;

(b) if so, number of such schemes approved so far;

(c) estimated cost involved; and

(d) whether these schemes have been implemented?

The Minister of Works and Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah): (a) Yes, Sir.

(b) 31.

(c) The total project cost for these schemes is Rs. 17·51 crores, for which the HUDCO has sanctioned loans aggregating Rs. 14·42 crores.

(d) One scheme has been completed, while work on twenty-one schemes is in progress. Documentation in respect of eight schemes has not yet been completed by the borrower. The remaining one scheme has since been withdrawn by the borrower.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों का आवंटन

1010. **श्री एस० सीं० सामन्त** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री निम्न जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संस्थाओं तथा समितियों के नाम जिन्हें गत तीन वर्षों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रियायती दरों पर प्लाट दिये गये हैं और उनसे लिये गये मूल्य की दर ;

(ख) इनमें से कितने संस्थानों समितियों कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं और उच्च न्यायालयों तथा आयकर अधिकारियों द्वारा उन्हें व्यापार संगठन माना गया है चाहे वे लाभ न कमाने वाले निकाय होने का दावा करते हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०–10493/76] ।

(ख) इनमें से कोई भी संस्थान और समिति कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है ।

तावा कमांड एरिया

1011. **श्री नूरुल हुडा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में तावा कमान्ड एरिया (कृषि) परियोजना से सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 300 करोड़ रुपये है ;

(ग) परियोजना के लिये पश्चिम जर्मनी से सहायता की राशि कितनी है ; और

(घ) ऐसी सहायता की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तावा कमांड एक ऐसा सिंचाई कमांड है जो पांचवीं योजना की अवधि के दौरान कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास के लिये चुना गया है । तावा नदी पर बांध पूरा होने पर दाहिने तथा बायें किनारों की नहरों से लगभग 2.469 लाख हैक्टार (लगभग 0.608 लाख हेक्टार दाहिने किनारे की नहरों और लगभग 1.862 हैक्टार बायें किदारे की नहरों से) क्षेत्र की सिंचाई होने की आशा है । तावा कमांड क्षेत्र विकास परियोजना के अन्तर्गत 2.4 लाख हेक्टायर भूमि पर क्षेत्र (आन-फार्म) विकास कार्य करने, जल-निकास नालो बनाने, कृषि अनुसन्धान, विस्तार एवं प्रशिक्षण, आदानों तथा ऋण की सप्लाई, भूमिगत जल का विकास, कृषि उद्योगों, भंडारण, विपणन एवं संचार व्यवस्था का विकास, कुक्कुट-पालन, पशु एवं डेरी विकास और नगर तथा ग्राम आयोजन का विचार है ।

(ख) 9 वर्ष की अवधि के दौरान तावा कमांड परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 3.27 करोड़ रुपये होगी ।

(ग) तथा (घ). इस मामले पर जर्मन संघ गणराज्य की सरकार विचार कर रही है ।

रिहायशी बस्तियों से वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का हटाया जाना

1012. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और नई दिल्ली की रिहायशी बस्तियों में वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की अनुमति न देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो आज तक कितनी रिहायशी बस्तियों से वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हटाये गये हैं ;

(ग) क्या पहाड़गंज और रामनगर जैसी घनी आबादी वाली रिहायशी बस्तियां वाणिज्यिक क्षेत्र बन गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी रिहायशी बस्तियों में से वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हटाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) दिल्ली की बृहत योजना तथा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के उपबन्धों के अनुसार रिहायशी क्षेत्रों में वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की अनुमति नहीं है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने संलग्न अनुलग्नक में उल्लिखित कालोनियों से वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को हटाने के लिये एक अभियान चलाया है ।

(ग) इन कालोनियों के कुछ क्षेत्र दिल्ली की बृहत योजना के आरम्भ होने से पहले ही वाणिज्यिक किस्म के थे ।

(घ) वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों वाले ऐसे क्षेत्रों को हटाने के प्रश्न पर, इन क्षेत्रों की पुनर्विकास/पुनर्निर्माण योजनाएं तैयार करते समय विचार किया जाएगा । इसके लिये लम्बी अवधि की योजना की आवश्यकता है ।

विवरण

1. डिफेंस कालोनी
2. एन० डी० एस० ई० I और II
3. लाजपत नगर I, II, III और IV
4. ग्रीन पार्क
5. ग्रीन पार्क एक्सटेंशन
6. कैलाश कालोनी
7. सफदरजंग एन्क्लेव
8. हौज खास
9. ग्रेटर कैलाश I और II
10. फ्रेन्ड्स कालोनी

11. बसन्त बिहार
12. शान्ति निकेतन
13. आनन्द निकेतन
14. कालकाजी
15. ई० पी० डी० पी० कालोनी
16. अरविन्द आश्रम
17. आनन्द लोक
18. ईस्ट आफ कैलाश
19. महारानी बाग
20. कालिन्दी कालोनी
21. हेमकुण्ड कालोनी
22. चिराग एन्क्लेव
23. मस्जिद मोठ
24. पंचशील एन्क्लेव
25. सर्वोदय एन्क्लेव
26. गुलमोहर पार्क
27. नीति बाग
28. मस्जिद मोठ एक्सटेंशन

वनस्पति में मूंगफली का तेल

1013. **श्री भाउसाहिब धामनकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति बनाने में कितने प्रतिशत मूंगफली का तेल मिलाने की अनुमति है;

(ख) क्या कोई ऐसे मामले सरकार के ध्यान में आये हैं जहां वनस्पति निर्माताओं द्वारा अनुमति से कहीं अधिक मात्रा में मूंगफली का तेल दिलाया जा रहा है ; और

(ग) यह सुनिश्चित कराने के लिये क्या कठोर कदम उठाये गये हैं कि वनस्पति निर्माता मूंगफली के तेल के मूल्यों की कमी का अनुचित लाभ न उठाये और मूंगफली का खाद्य तेल लोगों को न्यायोचित कम मूल्य पर मिल सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) वनस्पति तैयार करने के लिये मूंगफली के तेल की अधिकतम सीमा छः महीनों के आधार पर 25 प्रतिशत निर्धारित की गई है ।

(ख) और (ग) पिछले छः महीनों के दौरान बिनौले के तेल की बहुत ही सीमित उपलब्धता के कारण, वनस्पति उद्योग अधिक मात्रा में मूंगफली के तेल का इस्तेमाल कर रहा है ताकि अधिक उत्पादन की प्रवृत्ति को कायम रखा जा सके । वनस्पति में मूंगफली के तेल को इस्तेमाल करने के लिये हिसाब लगाने वाली अन्तिम अवधि मई, 1976 तक बढ़ा दी गई है ।

आसाम में सोवन सिरी नदी पर बांध बनाया जाना

1014. **श्री विश्वनारायण शास्त्री:** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के लखीमपुर जिले में सोवन सिरी नदी पर बांध के निर्माण कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु विश्व बैंक से सहायता अथवा ऋण लिया जा रहा है ;

(ग) प्रस्तावित बांध की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(घ) आसाम की विभिन्न नदियां पर कितने अन्य बांध बनाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ग). असम सरकार द्वारा लखीमपुर जिले में स्वर्ण श्री नदी पर बहुद्देश्यीय जल संचय जलाशयां के लिये विस्तृत अन्वेषण किये जा रहे हैं और इन अन्वेषणों के पूरा हो जाने और परियोजना रिपोर्ट के तैयार हो जाने के उपरान्त केवल निर्माण की व्यवहारिकता और स्कीम की लागत मालूम हो सकती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) योजना आयोग ने पगलादिया अवरोधन बांध का पहले ही अनुमोदन कर दिया है । कोमिली परियोजना के अन्वेषणों को पूरा कर लिया गया है और परियोजना के क्रियान्वयन को शीघ्र ही हाथ में लिये जाने की सम्भावना है । देहांग, दिखोल और पजी परियोजनाओं पर भी अन्वेषण किये जा रहे हैं ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों तथा अन्य भूमिहीन निर्धन व्यक्तियों को भूमि वितरण के बारे में 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन

1015. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति तथा अन्य भूमिहीन निर्धन वर्गों को भूमि वितरण के बारे में 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन का पुनर्विलोकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इसको शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) : जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के क्रियान्वयन से उपलब्ध अधिशेष भूमि के वितरण के कार्यक्रम की क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है [**ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या** एल० टी०--10494/76] ।

(ग) जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी उपायों से उपलब्ध अधिशेष भूमि के वितरण के कार्यक्रम के तीव्र, क्रियान्वयन में आने वाली मुख्य कठिनाइयों पर मुख्य मंत्रियों के हाल के सम्मेलन में समीक्षा की गई। उन्होंने निम्नलिखित मुख्य कदमों का सुझाव दिया है :-

(1) जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों को न्यायालयों की चुनौतियों से बाहर रखने के लिये और आवश्यक वैधानिक एवं संवैधानिक उपायों की जांच करना।

(2) क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्य और निलम्बित मामलों को निपटाने के लिये प्रशासनिक एवं न्यायिक मशीनरी को मजबूत बनाना।

(3) जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के क्रियान्वयन के लिये क्रियाविधि सरल बनाना। इस सम्बन्ध में कई विशेष सुझाव दिये गये हैं।

(4) प्रशासनिक मशीनरी के प्रयासों में सहायता देने के लिये संचालन स्तरों पर जनता के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, काश्तकारों और बटाईदारों और विशेषकर भूमि सुधार कार्यक्रम के लाभानुभोगियों का सहयोग लेना।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति लोगों को भूमि वापिस दिलाना

1016. **श्री दशरथ देव** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उन आदिवासियों को भूमि वापिस दिलाने के लिये कार्यवाही की है जिनकी भूमि अवैध हस्तान्तरण के कारण गर-जनजाति लोगों के पास चली गई थी ;

(ख) अब तक वापिस लौटाई गई भूमि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में विलम्बकारी नीति अपनाने वाले राज्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी

बाढ़ परियोजना

1017. **श्री डी० के० पंडा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा राज्य सरकार से राज्य में आपरेशन फ्लड प्रोजेक्ट, बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसका अनुमोदन कर दिया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां। आपरेशन फ्लड परियोजना के दूसरे चरण में उड़ीसा राज्य के लिए डेरी विस्तार और दुग्ध विपणन संबंधी प्रस्ताव शामिल किया गया है।

Central Assistance provided to State Housing Boards

1018. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state the State-wise details of the financial assistance provided by Central Government to State Housing Boards during the last three years?

The Minister of Works and Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah): The Ministry of Works and Housing do not provide financial assistance direct to the State Housing Boards. Necessary financial assistance to the Boards is made available by the State Governments themselves out of the block Central assistance given to them for implementation of the various State sector schemes, including Housing. Besides, Housing and Urban Development Corporation, a Government of India Undertaking, provides loan assistance to the State Housing Boards direct. A statement showing loan assistance sanctioned and released during the years 1972-73 to 1974-75 to the Housing Boards in the various States by the Housing and Urban Development Corporation is attached.

Statement

Assistance provided to housing Boards in various States by housing and Urban Development Corporation during the years 1972-73 *to* 1974-75.

Sl. No.	Name of State/Union Territory	Loan sanctioned and released by Housing & Urban Development Corporation to State Housing Boards during the years 1972-73 to 1974-75.	
		Sacntioned	*Released*
1.	Andhra Pradesh	1·81	0·53
2.	Bihar	3·50	0·16
3.	Gujarat	5·60	1·30
4,	Haryana	4·35	3·42
5.	Himachal Pradesh	0·34	..
6.	Karnataka	5·95	0·83
7.	Kerala	2·11	1·13
8.	Madhya Pradesh	7·49	2·52
9.	Maharashtra	5·61	3·80
10.	Punjab	0·66	0·56
11.	Rajasthan	5·52	3·47
12.	Tamil Nadu	7·81	4·27
13.	Uttar Pradesh	4·28	1·44
14.	Goa, Daman & Diu	0·05	0·02
	TOTAL	55·08	23·45

भारत-जोर्डन सांस्कृतिक समझौता

1019. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जोर्डन ने हाल ही में सांस्कृतिक समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) भारत गणराज्य की सरकार तथा जोर्डन के हाशमी राज्य की सरकार के बीच हाल ही में एक सांस्कृतिक करार हुआ है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच घनिष्टतर सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना और उनको विकसित करना है । इस करार में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, खेलकूद, जन-स्वास्थ्य, तथा सूचना और शिक्षा के जन-साधनों के क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यकलाप सहित कला, संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्रों में भारत तथा जोर्डन के बीच संबंधों और सद्-भावना को हर सम्भव तरीके से प्रोन्नत और विकसित करने की व्यवस्था है ।

भागीरथी पर जांगीपुर उप-बांध को खतरा

1020. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फ़रक्का बांध द्वारा गंगा जल के बढ़े हुए बहाव के कारण इस वर्ष (1975-76) में गंगा के दायें किनारे में हुए असाधारण तेज कटाव के कारण फ़रक्का बांध परियोजना के अधीन भागीरथी पर जांगीपुर उप-बांध के उत्पन्न हुए खतरे के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में वास्तविक स्थिति क्या है और उपचारात्मक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) इस वर्ष (1975-76) में कटाव के कारण जंगीपुर बराज को खतरों के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, पश्चिम बंगाल सरकार से दिसम्बर, 1975 में गंगा के दोनों तटों पर कटाव की समस्या का अध्ययन करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ था । बाढ़ नियंत्रण राज्य विषय है । राज्य सरकार को विशेषज्ञ समिति स्थापित करने का परामर्श दिया गया है और संबंधित केन्द्रीय संगठनों से तकनीकी परामर्श के रूप में सभी सहायता देने का आश्वासन दिया गया है ।

Dam to control Floods in Bihar, Central Assistance for construction of protective Dam from Danapur to Vikram

1021. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether a protective dam is being constructed from Danapur to Vikram with Central assistance with the object of protecting from floods Patna, the Capital town of Bihar and Danapur, Maner etc. and its construction work is in full swing;

(b) If so, the estimated cost of it and when it is likely to be completed; and

(c) whether a major portion of it will be Kucha ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Kedar Nath Singh): (a) Embankments are being constructed from Danapur to Maner and from Maner to Saidabad by the Bihar State Government, forming part of the protection works for Patna and the surrounding areas against spills of rivers Ganga and Sone for which advance plan assistance has been made available during the current financial year. The work is reported to be in full swing now.

(b) The estimated cost of the scheme for Patna protection is Rs. 10·67 crores. The first priority works of the scheme *i.e.* Digha-Maner and Maner-Saidabad embankments, raising and strengthening of Danapur distributory and a portion of drainage scheme is scheduled, to be completed by June, 1976 at an estimated cost of Rs. 8·67 crores. Out of this an expenditure of Rs. 2·65 crores is expected to be incurred by the end of the current financial year (1975-76). The rest of the work is proposed to be completed during 1976-77.

(c). Properly constructed and maintained earthen embankments afford most satisfactory solution for protecting countryside against spills. However, revetments are required to be provided when they are in close proximity of the river and exposed to its erosive action.

दालों का निर्यात

1022. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष दालों की भरी पूरी फ़सल हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने मूल्य स्थिर करने की दृष्टि से दालों का निर्यात करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) तथा (ख) वर्ष 1975 76 के लिये दालों के उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है। मौजूदा संकेतों के अनुसार चालू वर्ष के दौरान दालों का उत्पादन 1975–76 के 104 लाख मीटरी टन के उत्पादन के मुकाबले अधिक होने की सम्भावना है।

(ग) तथा (घ) अप्रैल 1975 से मार्च, 1976 तक की अवधि के दौरान केवल 5000 मीटरी टन दालों के निर्यात करने की नीति है। अप्रैल, 1976 से मार्च, 1977 तक की अवधि के लिये नीति अभी निर्धारित की जानी है।

आवास और नगरीय विकास निगम की वित्तीय सहायता से फ्लैटों का निर्माण

1023. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा प्रत्येक राज्य आवास बोर्ड को दी गई वित्तीय सहायता से राज्यों में जिन फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है उनमें से अधिकांश विलासमय हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या हैं ;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क). जी, नहीं।

(ख) तथा (ग), प्रश्न ही नहीं उठता।

प्राचीन कलाकृतियों की तस्करी

1024. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राचीन कलाकृतियों के तस्कर तथा विक्रेता आगरा में काफ़ी अच्छा कारोबार कर रहे हैं ; और

(ख) क्या एन्टीकिवटीज एन्ड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट, 1972 को क्रियान्वित न किये जाने के कारण ऐसी गतिविधियां बराबर बढ़ रही हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) :(क) और (ख). सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, 5-4-76 से पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के कार्यान्वित होने पर पुरावस्तुओं और कलाकृतियों के सभी विक्रेताओं को पुरावस्तु आदि के विक्रय संबंधी व्यवसाय को चलाने के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त करने के निमित्त प्रार्थना पत्र देना आवश्यक होगा।

कोठारी आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों की क्रियान्विति

1025. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कोठारी प्रतिवेदन अब दस वर्ष पुराना हो गया है ;

(ख) क्या प्रतिवेदन की प्रमुख सिफारिशों में से कोई सिफारिश क्रियान्वित की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस क्रियान्विति के क्या परिणाम निकले हैं और शेष के क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग). शिक्षा आयोग (जो कोठारी आयोग 1964-66 के नाम से प्रसिद्ध है) की प्रमुख सिफारिशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्बन्धी सरकारी संकल्प (1968) में समावेश कर लिया गया है, जिनकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों का है। बहुत सी सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं हालांकि कुछ सिफारिशों को अभी तक कार्यान्वित किया जाना है।

तथापि, सभी सिफारिशों का पूरी तरह से कार्यान्वित करना एक सतत तथा दीर्घकालीन प्रक्रिया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय समूह के लोगों को फ्लैटों का आवंटन

1026. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्न आय समूह के लोगों को फ्लैट आवंटित करने के लिए 1969 में एक योजना बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कितने लोग पंजीकृत हुए और उनमें से कितनों को फ्लैट आवंटित कर दिये गये हैं; और

(ग) प्रत्येक फ्लैट की अनुमानित लागत कितनी है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्न आय वर्ग के लोगों के फ्लैटों के समेत, डी० डी० ए० के विभिन्न वर्गों के फ्लैटों के प्रत्याशित खरीददारों के रजिस्ट्रेशन की एक योजना 1969 में आरम्भ की।

(ख) निम्न आय वर्ग में रजिस्टर्ड तथा आवंटन के पात्र 4591 व्यक्तियों में से 4435 व्यक्तियों को अब तक फ्लैट आवंटित किये गये हैं।

(ग) निम्न आय वर्ग के फ्लैटों की अनुमानित लागत 12,000 रुपये से लेकर 34,900 रुपये तक की रेंज में है।

कर्नाटक में सिंचाई परियोजनाएं

1027. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) कर्नाटक की ऐसी कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं जो केन्द्र के अनुमोदनार्थ पड़ी हुई हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं का अब तक अनुमोदन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) और (ख) कर्नाटक की 13 वृहत् और 33 मध्यम स्कीमें केन्द्र के पास स्वीकृति के लिए पड़ी हैं।

इनमें से 5 वृहत् और 7 मध्यम परियोजनाएं कावेरी बेसिन में हैं। इन परियोजनाओं की स्वीकृति पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के राज्यों के बीच कावेरी जल के प्रयोग एवं विकास के सम्बन्ध में हल हो जाने के पश्चात् ही विचार किया जा सकता है।

एक वृहत् परियोजना गोदावरी बेसिन में हैं जो सम्बन्धित राज्यों के बीच हुए गोदावरी समझौते के अन्तर्गत नहीं आती है।

6 वृहत् और 17 मध्यम सिंचाई स्कीमों को राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। राज्य सरकार से टिप्पणियों के उत्तर प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही इन परियोजनाओं पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा एक वृहत् परियोजना को स्वीकार्य पाया गया है तथा इसकी स्वीकृति यथासमय दे दी जायेगी। 2 मध्यम परियोजनाओं पर सलाहकार समिति की अगली बैठक में विचार किया जाएगा।

7 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय जल आयोग, कृषि विभाग तथा वित मन्त्रालय में परीक्षण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

छोटे किसान विकास एजेन्सियों के कार्यों का मूल्यांकन

1028. **श्री के० लकप्पा :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छोटे किसान विकास एजेंसियों के कार्य के मूल्यांकन प्रतिवेदनों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या इससे पट्टेदारों सहित वास्तविक छोटे किसानों को छोटे किसान विकास एजेंसियों से वित्तीय लाभ मिलेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) चौथी पंचवर्षी योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में 46 लघु किसान विकास एजेंसी तथा 41 सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक विकास एजेंसी परियोजनाएं स्थापित की गई थीं। इन एजेंसियों के कार्यकरण का भारतीय रिजर्व बैंक तथा योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा मूल्यांकन किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुल 13 लघु किसान विकास एजेंसी और 13 सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक परियोजनाओं और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने 21 लघु किसान विकास एजेंसी तथा 13 सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक परियोजनाओं में अपना अध्ययन किया। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की रिपोर्ट अभी संकलित की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने केवल लघु किसान विकास एजेंसी परियोजनाओं के बारे में रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया है। लघु किसान विकास एजेंसी परियोजनाओं के परिचालन के अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिये गये हैं [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए** संख्या एल० टी०—10495/76]

(ख) छोटे किसान तथा काश्तकार लघु किसान विकास एजेंसी/सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक कार्यक्रम से लाभ उठायेंगे।

आयात किया गया अनाज

1029. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74, 1974–75, 1975–76 के दौरान कितना और किस किस्म का अनाज आयात किया गया;

(ख) यह अनाज किन-किन राष्ट्रों से कितनी-कितनी मात्रा में और कितने-कितने मूल्य का आयात किया गया; और

(ग) क्या 1976–77 के दौरान किसी अनाज का आयात करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०—10496/76]

(ग) भारत सरकार खाद्यान्नों का आयात करने की आवश्यकता के बारे में स्थिति की बराबर समीक्षा करती रहती है और फसल-सम्भावनाओं, आन्तरिक उपलब्धता, आन्तरिक उपलब्धता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता के बीच के अन्तर, उपयुक्त मात्रा में बफर स्टाक तैयार करने की आवश्यकता, विदेशी मुद्रा के स्रोतों, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य प्रवृत्ति और अन्य सम्बन्धित बातों को ध्यान में रख कर विदेशों से यथा आवश्यक मात्रा में खरीदारी करती है। इस समय यह बताना कि 1976–77 में कितना आयात किया जाएगा न तो सम्भव ही है और न ही लोकहित में है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नेपाल से खाद्यान्न का आयात

1030. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार नेपाल से 40,000 टन चावल आयात करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या पश्चिमी बंगाल में खाद्यान्न की वसूली के लक्ष्य में कमी कर दी गई है; और

(घ) जब सरकार को विश्वास है कि इस वर्ष 11 करोड़ 40 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो खाद्यान्न का आयात किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं था, लेकिन पश्चिमी बंगाल सरकार ने नेपाल से 40,000 मीटरी टन सेला चावल आयात करने के बारे में भारत सरकार से सलाह मांगी थी। उनको सूचित किया गया था कि नेपाल सरकार ने भारत सरकार को सरकार से सरकार के आधार पर 50,000 मीटरी टन सेला चावल सप्लाई करने की पेशकश की थी और इस सम्बन्ध में अभी भी बातचीत चल रही थी।

(ग) जी नहीं। चालू खरीफ विपणन मौसम के लिए पश्चिमी बंगाल के लिए 3 लाख मीटरी टन चावल अधिप्राप्त करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(घ) उत्पादन की सम्भावनाओं, आन्तरिक अधिप्राप्ति तथा उपलब्धता और अन्य सम्बन्धित बातों को ध्यान में रख कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा खाद्यान्नों का उपर्युक्त मात्रा में बफर स्टाक तैयार करने के लिए यथा आवश्यक मात्रा के खाद्यान्नों का आयात करने की व्यवस्था की जाती है।

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

1031. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :**
श्री समर मुखर्जी :
श्री दिनेश जोरदार :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार छात्रों की मैट्रिक तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने पर विचार कर रही है?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : भारतीय संविधान में दिये गये निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार, सभी राज्यों में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क आरम्भ करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम तथा त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्यों ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए कानून बना दिये हैं। दिल्ली, अण्डमान, निकोबार द्वीप समूह तथा चण्डीगढ़ ने भी ऐसे कानून बना दिए हैं। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू तथा कश्मीर, केरल, कर्नाटक, नागालैंड तमिलनाडु अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, दादरा तथा नागर हवेली और पांडिचेरी में लड़कों तथा लड़कियों, दोनों के लिए माध्यमिक स्तर तक शिक्षा निःशुल्क है। मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा में लड़कियों के लिए माध्यमिक स्तर तक शिक्षा निःशुल्क है। अन्य राज्यो ने जनता के पिछड़े वर्गों तथा कमजोर वर्गों के लिए माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है।

केरल में उर्वरक किस्म नियंत्रण प्रयोगशालाएं

1032. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से केरल में त्रिवेन्द्रम और पट्टाम्बी में दो उर्वरक किस्म नियन्त्रण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के बारे में कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बात क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना को स्वीकृति दे दी है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री श्री प्रभुदास पटेल : (क) जी हां। केरल सरकार ने उर्वरक किस्म नियन्त्रण की दो प्रयोगशालाएं (एक त्रिवेन्द्रम तथा एक पट्टाम्बी में) स्थापित करने के लिए कृषि और सिंचाई मन्त्रालय को प्रस्ताव भेजे हैं।

(ख) प्रत्येक प्रस्तावित उर्वरक किस्म नियन्त्रण की प्रयोगशाला प्रतिवर्ष 1,500 से 2,000 उर्वरक के नमूनों का विश्लेषण करेगा। ये प्रयोगशालाएं सहायक कृषि निदेशक (उर्वरक किस्म के नियन्त्रण) में रखी जाएंगी। राज्य सरकार ने एक सहायक निदेशक, 2 निरीक्षको, 2 वरिष्ठ रसायनों

विश्लेषकों, 2 कनिष्ठ सहायक विश्लेषकों और कुल 5 गैर-तकनीकी पदों के प्रस्ताव भेजे हैं। प्रतिवर्ष योजना का अनावर्ती व्यय 1.18 लाख रु० और आवर्ती व्यय 87,000 रुपए होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) कृषि विभाग ने हाल ही में वित्त मन्त्रालय के परामर्श से योजना के अन्तिम मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए हैं। वर्ष 1976–77 के दौरान देश में केरल राज्य की एक प्रयोगशाला सहित 9 प्रयोगशालाएं स्थापित करने का विचार है। स्वीकृति मार्ग दर्शी सिद्धान्तों के आधार पर संशोधित योजना भेजने के लिए अब राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।

दिल्ली में भूमि के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के हितों का संरक्षण

1033. **श्री दशरथ देव** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में इस समय लागू किसी अधिनियम में इस प्रकार का कोई उपबन्ध है जिसमें अनुसूचित जाति के भूस्वामी के नाम से भूमि के गैर-अनुसुचित जाति के मालिक के नाम स्थानान्तरण पर कोई रोक हो ; और

(ख) यदि नहीं, तो अनुसुचित जातियों और अनुसुचित जनजातियों के लोगों को भूमि के मामले में उनके हितों को बचाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख). जहां तक दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का सम्बन्ध है, इस समय अनुसूचित जातियों के भू-स्वामियों के नाम से भूमि को अन्य व्यक्तियों को स्थानान्तरित करने पर कोई रोक नहीं है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के हितों की रक्षा के लिये सरकार कानून बनाने पर विचार कर रही है।

छोटे और सीमान्त किसान

1034. **श्री वसन्त साठे** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक राज्यों में गत दस वर्षों के दौरान छोटे/सीमान्त किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन किसानो को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिये कोई विशेष कार्यक्रम बनाया है तथा इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कितने प्रतिशत छोटे सीमान्त किसानों को लाया गया है ;

(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा स्वीकार की गई छोटे किसानों और सीमान्त किसानो की परिभाषा समान नहीं है ; और

(घ) क्या इन योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्तकर्ताओं का समान दृष्टि से पता लगाने के लिये सरकार का विचार छोटे/सीमान्त किसानों की युक्तसंगत कसौटियों पर आधारित उपयुक्त परिभाषा बनाने के लिए एक कार्यकारी ग्रुप बनाने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में 87 परियोजना क्षेत्रों में लघु कृषक विकास ऐजेंसी तथा सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक विकास एजेन्सी की एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम आरम्भ की गई थी ताकि कृषि और सहायक धन्धों से सम्बन्धित विभिन्न विकासात्मक स्कीमों के लिये परियोजना निधियों के उपदान से लघु/सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों के आय स्तर को बढ़ाया जा सके। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में परियोजनाओं की संख्या बढा कर 160 कर दी गई है। इसके अलावा, कुछेक राज्य सरकारों ने अपनी निजी लघु कृषक विकास एजेंसियां भी शुरू की है। लघु कृषक विकास एजेंसी/सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजनाओं के अतिरिक्त लघु/सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक को पांचवीं योजना में विशेष पशुपालन कार्यक्रमों सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसी अन्य केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध होगी। प्रत्येक राज्य में लाभान्वित लघु/सीमान्त कृषकों का प्रतिशत ज्ञात नहीं है, किन्तु लघु कृषक विकास ऐजेंसी/सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजनाएं, जो कमजोर वर्गों के विकास के लिये मुख्य योजना का गठन करती हैं, के अन्तर्गत 1974-75 के अन्त तक विकसित कृषि पद्धतियों के अधीन 16.50 लाख भागीदार लिये गये और लघु सिंचाई भूसंरक्षण, सहायक धन्धों आदि जैसे अन्य कार्यक्रमों के अधीन और 10.00 लाख भागीदार लिये गये।

(ग) इस समय, विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान परिभाषा के अनुसार सभी राज्यों में लघु-सीमान्त कृषकों का पता लगाया जा रहा है। लघु कृषक वे हैं जिनके पास 2.5 एकड़ से 5.00 एकड़ तक शुष्क भूमि और सीमान्त कृषक वे हैं जिनके पास 2.5 एकड़ से कम शुष्क भूमि की जोत है।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

केरल, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश में मत्स्य बंदरगाह

1035. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश में मत्स्य बन्दरगाह स्थापित करने के बारे में 12 जनवरी, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 474 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश में मत्स्य बन्दरगाहों के निर्माण सहित स्वीकृत मत्स्य परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक के प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) इस सम्बन्ध में आगे अध्ययन और विचार विमर्श के लिये विश्व बैंक के एक दल के शीघ्र ही भारत आने की सम्भावना है।

सुवर्णरेखा जल के उपयोग के बारे में सहमति

1036. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुवर्णरेखा जल के उपयोग के बारे में उड़ीसा और बिहार के मुख्य मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते की शर्तें क्या हैं ;

(ख) इस अन्तर्राज्यीय समझौते पर पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री कब हस्ताक्षर करेंगे।

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बारे में कोई मतभेद प्रकट किया है ;

(घ) क्या समुद्र के लिये प्रस्तावित सीधे कटाव के नमूने का पूना में अध्ययन कर लिया गया है ; और

(ङ) क्या इस वर्ष वहां काम शुरू हो जायेगा और क्या जल निकासी नहरें भी इस वर्ष खोद दी जायेंगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग). बिहार और उड़ीसा के बीच जनवरी, 1976 में एक द्विपाक्षिक समझौता हुआ है जो मुख्यत: बिहार द्वारा यथा आयोजित सुवर्ण-रेखा बहुद्देश्यीय परियोजना के कार्यान्वयन, खरकई बांध और आनुषांकिग कार्यों की लागत और लाभों के विभाजन, खरकई बांध के प्रतिप्रवाह तथा सुवर्ण-रेखा टैनिस में दोनों राज्यों द्वारा जल के समपयोजन, गलुडीह में दोनों ओर नहरों के साथ बराज का निर्माण, दक्षिण तट नहर के जरिये गलुडीह बराज से उड़ीसा द्वारा अपने हिस्से के पानी को लेने तथा गलुडीह राज और दक्षिण तट नहर की लागत के विभाजन से सम्बद्ध है। सुवर्ण-रेखा जल के मामले में बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श किया जा रहा है। अन्तिमत: तीनों सम्बन्धित राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मध्य एक समझौता किया जाना है।

(घ) और (ङ). समुद्र तक सीधे कटाव के सम्बन्ध में विभिन्न वैकल्पिक प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग के साथ परामर्श करके अध्ययन किया जा रहा है और उसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

ऐसा मालूम हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जल निकास कार्यों के लिये विस्तृत स्कीमें तैयार की जा रही हैं। ऐसी एक स्कीम केन्द्र को प्राप्त हुई थी जिसको परीक्षण के उपरान्त राज्य सरकार को कुछ टिप्पणियों के साथ वापस भेज दिया गया है। इस स्कीम के अनुमोदन होने के उपरान्त ही फ़ील्ड में कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।

सालन्दी परियोजना

1037. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की सालन्दी परियोजना के लाभ अब जनता को पहुंचे हैं ; यदि हां, तो कितने मील लम्बी नहरें खोदी गई हैं और इस योजना के अन्तर्गत कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होती है ; और

(ख) क्या यह योजना बालासौर तक है और क्या इसको सिंचाई योग्य अधिक पानी के लिये वेटवीनी नदी के साथ जोड़ने की योजना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी, हां।

1974–75 के दौरान 46247 हेक्टेयर क्षेत्र की सिचाई की गई थी जिसमें 36,537 हैक्टेयर खरीफ़ के दौरान और 9,710 हैक्टेयर रबी के दौरान हुई थी। 1975–76 में 60,004 हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने का कार्यक्रम है जिसमें 39,770 हैक्टेयर खरीफ़ के दौरान और 20,234 हैक्टेयर रबी के दौरान सिंचित करना शामिल है। नहर की 429 किलोमीटर तक खुदाई की जा चुकी है।

(ख) सालन्दी परियोजना में सालन्दी और कान्स बान्स नदियों के बीच क्षेत्रों की सिंचाई करना परिकल्पित है और यह बालासौर तक नहीं गई है।

उड़ीसा का आनन्दपुर बराज बैतरनी को सालन्दी से मिला देगा। राज्य सरकार ने आनन्दपुर बराज परियोजना का निर्माण कार्य चरणों में करने का प्रस्ताव किया है। प्रथम चरण में वर्तमान बिध्याथरपुर बराज से सालन्दी के दक्षिण तट पर एक नहर का निर्माण करके सालन्दी और बैतरणी के मध्य के क्षेत्र का नहरीकरण किया जाएगा।

उड़ीसा में बुडलंगा नदी में बाढ़ पर नियंत्रण हेतु जलाशयों का निर्माण

1038. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बुडलंगा नदी के ऊपरी क्षेत्र में जलाशय बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या हाल में स्थल बदल कर दूसरा स्थल चुन लिया गया है, और यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ होगा और क्या बुडलंगा नदी में बाढ़ पर नियंत्रण की सरकार की योजनायें हैं ; और

(ग) क्या बरीपदा शहर को धंसने से तथा बाढ़ों के खतरों से बचाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) मयूरगंज जिले में बुढ़ाबलांग नदी पर कुलियाना में एक जलाशय के लिए उड़ीसा की राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रारम्भिक अन्वेषणों से पता लगा है कि इस स्थल पर बांध का निर्माण करना महगा रहेगा। इसलिये राज्य सरकार ने बंगीरीपोरी में वैकल्पिक बांध स्थल के लिये अन्वेषण करना प्रस्तावित किया है। ये अन्वेषण पूरे हो जाने, इस स्थल पर बांध की व्यवहार्यता के निर्धारित किए जाने, परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जाने एवं परियोजना के स्वीकृत हो जाने पर ही कार्य को हाथ में लेने का प्रश्न उठेगा।

(ग) बुढाबलांग के वाम तट पर बारीपाड़ा में तट सुरक्षा कार्यों के लिये 26.60 लाख रुपये की अनुमानित लागत की एक स्कीम को राज्य की पांचवीं योजना के प्रारूप में बाढ नियंत्रण सैक्टर में शामिल की गई है। इस स्कीम को अभी तक राज्य बाढ नियंत्रण बोर्ड की तकनीकी सलाहकार समिति की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही राज्य सरकार से कार्य के आरम्भ करने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है यद्यपि इस स्कीम के लिये 1975–76 की राज्य की वार्षिक योजना में कुछ परिव्यय दिये गये हैं।

ग्रामीण व्यक्तियों को ऋण मुक्त कराने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

1039. **श्री वसन्त साठे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और सिंचाई मंत्रालय ने ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों को ऋणमुक्त करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने हेतु एक अन्तर्मंत्रालय कार्यकारी ग्रुप/समिति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है और इस संबंध में बनाये गये मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों/निदेशों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस व्यवस्था को समान रूप में लागू करने के लिए राज्य सरकार को मार्ग-दर्शी सिद्धान्त/निदेश जारी किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता के विषय पर वर्तमान राज्य विधानों तथा ग्रामीण ऋणग्रस्तता को परिसमाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा सकती है, पर विचार करने के लिए कृषि और सिंचाई मंत्रालय में विधि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग), भारतीय रिजर्व बैंक तथा केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन के प्रतिनिधियों का एक अंत मंत्रालीय दल गठित किया गया था ।

(ख) और (ग) दल ने 28 जुलाई, 1975 को हुई अपनी बैठक में रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया । तैयार किए गए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांतों के अन्तर्गत भूमिहीन श्रमिकों, सीमान्त किसानों, छोटे किसानों अथवा ग्रामीण कारीगरों से बकाया ऋणों पर एक वर्ष की अवधि के लिए ऋण स्थगन लागू करने और जब कभी आवश्यक हो, इस अवधि को बढ़ाने की व्यवस्था करने के लिए उपयुक्त विधान है । इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत उन सीमान्त किसानों , भूमिहीन श्रमिकों तथा ग्रामीण कारीगरों, जिनकी घरेलू आय 2,400 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है, के मामले में पूर्णतः राहत की भी व्यवस्था है । ग्रामीण ऋण को सोपानवार परिसमाप्त करने के लिए भी वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है । दल की रिपोर्ट में कमजोर वर्गों की परि-भाषा, साहूकारों का पंजीकरण, ऋणों का घटाना, ऋण आदि की व्यवस्था करने के लिए प्राधिकरण के गठन की भी व्यवस्था है । भारत सरकार ने राज्य सरकारों को इन आधार पर आवश्यक विधायी कार्यवाही करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धात जारी किए हैं ।

छोटे और सीमान्त किसान

1040. **श्री वसन्त साठे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार, सीमान्त और छोटे किसानों की संख्या कितनी है और इनमें से कितने प्रतिशत किसानों को केन्द्रीय सैक्टर/केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं से लाभ पहुंच रहा है; और

(ख) संस्थागत वित्त से कितने प्रतिशत छोटे और सीमान्त किसानों को, राज्यवार, लाभ पहुंच रहा है और पांचवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान उत्पादन और खपत के प्रयोजन

के लिये छोटे और सीमान्त किसानों को ऋण सुविधाएं देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) सीमान्त किसानों (1·0 हैक्टेयर तक की जोतें) तथा लघु किसानों (1 से 2 हेक्टेयरों के बीच की जोतें) की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण (अनुबंध 1) संलग्न है [ग्रथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—10497/76] विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत लघु/सीमांत किसानों तथा कृषि श्रमिकों के लिए सहायता उपलब्ध है। चौथी पंचवर्षीय योजना में विशिष्ट योजनायें अर्थात् लघु किसान विकास एजेंसी/सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक विकास एजेंसी चलाई गई थीं और इन्हें पांचवीं योजना अवधि में जारी रखा जा रहा है। इनके अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में कुल 160 परियोजनाएं हैं। लघु सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों के लाभ के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में दोगले बछड़े उपदान तथा कुक्कुटपालन, सूअरपालन तथा भेड़ विकास से संबंधित विशेष पशु पालन कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं। इसके आलावा, उक्त श्रेणियों के किसानों को सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत आये छोटे किसानों/सीमान्त किसानों का प्रतिशत ज्ञात नहीं है, किन्तु लघु कृषक विकास एजेंसी/सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजनाएं जो कमजोर वर्गों के विकास के लिए मुख्य योजना का गठन करती हैं, के अन्तर्गत 1974-75 के अन्त तक, विकसित कृषि पद्धतियों के अधीन 16.50 लाख भागीदार लिये गये और लघु सिंचाई, भू-संरक्षण सहायक धन्धों आदि जैसे अन्य कार्यक्रमों के अधीन 10.00 लाख भागीदार लिए गए।

(ख) संस्थागत वित्त के अन्तर्गत आये लघु तथा सीमान्त किसानों के प्रतिशत के बारे में राज्यवार सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, संलग्न विवरण (अनुबंध 2) में वर्ष 1973—74 के दौरान प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों की स्थिति दी गई है।

कमजोर वर्गों को सहकारी संस्थाओं से ऋण दिलाने में वृद्धि करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1. ऋणों की वापसी-अदायगी की अवधि की आसान शर्तें।

2. कम अदायगी।

3. दी गई प्रयाभूति के मूल्य की अपेक्षा सुधार के बाद बढ़ती हुई आय के आधार पर ऋण के लिए पात्रता निश्चित करना।

4. किस्तों में अंश पूंजी देना।

5. उन किसानों के समूह को ऋणों में बढ़ोतरी करना जिन्हें व्यक्तिगत आधार पर ऐसे ऋण नहीं दिये जाते हैं।

6. केन्द्रीय सहकारी बैंकों/भूमि विकास बैंकों द्वारा छोटे/आर्थिक दृष्टि से कमजोर किसानों के हित में कम से कम 20 प्रतिशत अग्रिमों की व्यवस्था।

7 डेरी जैसे सहायक धंधों के लिए 2000 रुपये तक और लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 3,500 रुपये तक की भूमि-प्रत्याभूति के बिना मध्यकालीन ऋणों की व्यवस्था ।

जहां तक सहकारी संस्थाओं के माध्यम से खपत उद्देश्यों के लिए ऋण देने का संबंध है, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे कमजोर वर्गों को ऐसी सुविधाएं देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उपयुक्त योजना तैयार करें । खपत ऋण अपेक्षाओं की जांच करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक कमेटी गठित की गई है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा टाट की बोरियों की सप्लाई

1041. **श्री समर गुह:** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न वाली टाट की बोरियों अब भी व्यापारियों को निशुल्क दे दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम को 1973–75 के वर्षों में इन बोरियो की कितनी कीमत देनी पड़ी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राज्य सरकारों के नामितों को खाद्यानों से भरे बोरे मुफ्त दिए जाते हैं क्योंकि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए निर्गम मूल्यों में बौरी की लागत भी शामिल होती हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1973-74 और 1974-75 में प्रति बोरे पर खर्च की गई औसत खरीब लागत क्रमश 3,22 रुपए और 3,45 रुपए बैठती है ।

Janata Houses in Backward areas

1042. **Shri Bhagirath Bhanwar**: Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any scheme for constructing Janata houses in the backward areas of the country and if so. the draft outline thereof;

(b) names of the places in the various States of the country where such housing scheme are being implemented; and

(c) names of the places in Madhya Pradesh which have benefited as a result thereof ?

The Minister of Works and Housing and Parliamentary Affairs (Shri K Raghuramaiah): (a) The Ministry of Works and Housing have not formulated any Scheme exclusively for construction of Janata houses in the backward areas of the country. However. the Housing and Urban Development Corporation has sanctioned loans for a number of schemes in the backward areas of the country also. The plinth area of most of such houses is within 35 Sqllmeters and all inclusive cost is within Rs. 8.000 per dweling unit. A subsidised rate of interest is charged for such schemes and in many cases the sale price is also subsidised by utilising profits from other categories. In addition the State Governments are undertaking construction of houses for the economically weaker sections of society in both urban and rural areas as part of the State Plan.

(b) & (c). The names of the places in the various States (including Madhya Pradesh) where HUDCO assisted projects are undertaken are given in the attached statement. [*Placed in the Library. See* No. L.T.—10498/76]. Under the schemes sanctioned by HUDCO in Madhya Pradesh. about 5800 dwelling units for Economically Weaker Sections would be constructed. Details regarding the places where States are executing projects under the State Plan Schemes are not available.

Besides. Madhya Pradesh Housing Board is also constructing Janata houses in the Backward Areas under 'Deposit Scheme' from Tribal Welfare Department. Places benefited as a result thereof are Mandla, Shahdol, Chhindwara, Raigarh, Bastar, Hoshangabad, Betul, Jhabua and Balaghat Districts.

Buffer Stock of Wheat and Rice in M.P.

1043. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state the buffer stock of wheat and rice built in Madhya Pradesh ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): The buffer stock of foodgrains is maitained on an All-India basis. However. at the end of February, 1976. the Food Corporation of India was holding a stock of about 235 thousand tonnes of wheat in Madhya Pradesh on Central account. In addition, the State Government had at the end of February, 1976, a stock of about 194 thousand tonnes of rice and 29 thousand tonnes of wheat.

कावेरी नदी जल विवाद का हल

1044. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों के बीच कावेरी नदी जल विवाद जून 1976 से पूर्व हल करने के लिए कृतसंकल्प है ताकि थनजायूर जिले के वर्तमान तटीय अधिकारों में कोई बाधा न हो ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : इस समय, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु द्वारा कावेरी जल का पूरी तरह से समुपयोजन किया जा रहा है। सभी तीनों राज्य और अधिक क्षेत्र पर सिंचाई करने की योजनाएं रखते हैं। ऐसा करना तभी संभव हो सकता है जब कि कर्नाटक और तमिलनाडु के द्वारा वर्तमान जल के प्रयोग में बचत की जाय। केन्द्रीय सरकार तीनों राज्यों के बीच मतभेदों को यथाशीघ्र बातचीत के द्वारा सुलझाने के लिए उत्सुक है। तदनुसार, सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने सितम्बर, 1975 में तीनों राज्यों के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया था। इसके फलस्वरूप, तीनों राज्यों के द्वारा वर्तमान प्रयोग और संभव विकास जो युक्तियुक्त आवश्यकता के अनुसार हो, के लिए अध्ययन किए जा रहे हैं।

कावेरी डेल्टा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता

1045. **श्री एस० डी० सोमसुंदरम्** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान नहरों से गाद निकाल कर, उन्हें गहरा करने तथा उनकी लाईनिग करके कावेरी डेल्टा में सुधार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता की मांग की गई थी जिससे वर्तमान प्रणाली को आधुनिक बनाया जा सके तथा वर्तमान जल संसाधनों का प्रभावकारी उपयोग किया जा और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख). पुरानी कावेरी डेल्टा प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए तमिलनाडु परियोजना विश्व बैंक से ऋण सहायता के लिए प्रस्तुत करने के लिए 1969 में विचार किया गया था। बहरहाल इस पर आगे कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि परियोजना में कावेरी जल के प्रयोग के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय पहलु निहित है।

निरक्षरता

1046. **श्री नूरुल हुडा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में निरक्षरता में अत्यधिक वृद्धि की जानकारी है;

(ख) निरक्षरता की इस अत्यधिक वृद्धि की रोकथाम के लिए सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में, विशेषकर आपात स्थिति के बाद, क्या कार्यवाही की है; और

(ग) गांवों पर विशेष बल देने के साथ-साथ समूचे देश में बड़े पैमाने पर साक्षरता अभियान चलाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) 1961 और 1971 की जनगणना के अनुसार साक्षरों और निरक्षरों की संख्या निम्नलिखित है :—

(आंकड़े लाखों में)

आयु-वर्ग	1961		1971	
	साक्षर	निरक्षर	साक्षर	निरक्षर
5—14 . .	336.6	803.2	523.3	973.6
15—24 . .	263.3	468.8	430.1	475.9
25—34 . .	192.3	481.9	260.0	506.1
35 + . .	262.7	917.7	366.2	1126.7

15—24 वर्ष की आयु-वर्ग में जहां सरकार की शैक्षिक नीतियों के पूरे प्रभाव को महसूस किया जाता है, अनपढ़ों की संख्या में लगभग 7 लाख की वृद्धि हुई है। जनसंख्या के अधिक आयु वाले वर्गों की इस संख्या में वृद्धि अधिक हुई है। 25—34 वर्ष की आयु-वर्ग में 24 लाख और 35 तथा उससे अधिक वर्ष के आयु-वर्ग में 209 लाख।

(ख) तथा (ग). इस स्थिति में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कुल प्रमुख दीर्घकालीन उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) 6—11 वर्ष की आयु-वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाओं में वृद्धि ।

(2) स्कूल में बच्चों को आकर्षित करने और उनकी नियमित उपस्थिति और पढ़ाई करने के लिए उन्हें रोक कर रखने को सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रेरक उपाय किये हैं जैसे लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और लेखन-सामग्री, मध्याह्न भोजन तथा मुफ्त वर्दियां प्रदान करना है।

(3) काम करने वाले बच्चों के लिए शिक्षा पद्धति में बहुत तरह से प्रविष्टि की व्यवस्था सहित अंशकालीन कक्षाएं तथा उन बच्चों के लिए जो पूर्ण-कालिक अथवा अंश-कालिन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते, उनके लिए औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना।

(4) स्कूल से बाहर युवकों के लिए अनौपचारिक और कार्यात्मक साक्षरता के कार्यक्रम आयोजित करना।

यह आशा की जाती है कि इन उपायों तथा अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकारों तथा अनेक स्वैच्छिक एजेन्सियों के प्रयासों से निरक्षरता कम होगी। आपात् कालीन स्थिति से उत्पन्न वातावरण ने इन सभी उपायों को अधिक बल तथा प्रोत्साहन दिया है जिससे नागरिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए शिक्षा सहायक हो सकेगी।

भरपूर फसल का खाद्यान्न के मूल्यों पर प्रभाव

1047. **श्री नूरुल हुडा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975–76 में खाद्यान्न की 11 करोड़ 40 लाख टन की अनुमानित भरपूर फसल को देखते हुए सरकार का विचार बड़े पैमाने पर खाद्यान्न खरीदने का है ताकि गांवों और शहरों एवं नगरों के वास्तव में निर्धन व्यक्तियों को, जिनकी क्रय-क्षमता बहुत ही कम है, राज सहायता-प्राप्त मूल्यों पर चावल और गेहूं सप्लाई किया जा सके; और

(ख) खाद्यान्नों के मूल्यों एवं अन्य वस्तुओं के मूल्यों पर भरपूर फसलों का क्या प्रभाव पड़ा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता पूरा करने के लिए तथा बफर स्टाक तैयार करने के लिए सरकार अधिप्राप्ति मूल्यों पर बिक्री के लिए पेश किये गये सभी खाद्यान्नों की पहले ही खरीदारी कर रही है। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज-सहायता प्राप्त दरों पर उपभोक्ताओं के हित में भी खाद्यान्नों की सप्लाई कर रही है।

(ख) खाद्यान्नों तथा अन्य जिन्सों के मूल्यों में काफी गिरावट आयी है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों का कार्य

1048. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने अपने मुख्यालय के ऐसे जूनियर तथा सहायक वैज्ञानिकों के कार्य का जिनकी आयु 50 वर्ष अथवा इससे अधिक है, मूल्यांकन किया है; और

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में अब तक अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्यालय संबंधी काम करने वाले (डेरक जोब) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) और (ख). भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय में काम करने वाले कनिष्ठ और सहायक वैज्ञानिकों में से

किसी की भी आयु अभी तक 50 वर्ष की नहीं है। उपयुक्त समय पर इनके मामलों पर विचार किया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय में प्रतिनियुक्त इन श्रेणियों के ऐसे दो वैज्ञानिकों के मामलों पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा के तटवर्ती मछली पकड़ने वाले गांवों का आधार मूल ढांचा

1049. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और सिंचाई मंत्रालय को उड़ीसा के तटवर्ती मछली पकड़ने वाले गांवों के आधार मूल ढाचे का विकास करने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना अगस्त, 1975 में प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर की दुकानें

1050. **श्री समर गुह :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों तथा पिछड़े मुस्लिम क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों अथवा शोधित राशन की दुकानों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). देश भर में 30 जून, 1975 को विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों में उचित मूल्य की दुकानों/राशन की दुकानों की संख्या 2,24,805 थी। आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद सरकारी वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए किये गये विभिन्न उपायों के फलस्वरूप, फरवरी, 1976 के अंत तक प्राप्त सूचना के अनुसार उन दुकानों की संख्या बढ़कर 2,33,282 हो गयी थी। कुछ राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों से प्राप्त सूचना के आधार पर यह मालूम होता है कि कुल मिलाकर, उचित मूल्य की दुकानों/राशन की दुकानों में जो वृद्धि हुई है वह ग्रामीण क्षेत्रों में हुई थी।

मत्स्य संसाधनों का उपयोग

1051. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मत्स्य संसाधनों की क्षमता का केवल 12 प्रतिशत ही उपयोग में लाया जा रहा था; और

(ख) यदि हां, तो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने विशेष रूप से केरल में इस कार्य में आगे प्रोत्साहन देने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां। मात्स्य-संसाधनों की क्षमता का केवल एक छोटे से भाग का उपयोग किया जा रहा है।

(ख) इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) रायचौक, विशाखापतनम्, माल्पे और कोचीन में गहन समुद्र मात्स्यकी बन्दरगाहों का निर्माण किया जा रहा है। कुछ अन्य बन्दरगाहों में भी मत्स्य नौकाओं के अवतारण तथा घाट लगाने की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

(2) यंत्रीकृत नौकाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है और मेक्सिको से 23 एम० के 30 ट्रालर आयात किये जा रहे हैं।

(3) नार्वे की सहायता के अंतर्गत 2 मात्स्यकी प्रशिक्षण नौकाओं की सप्लाई के लिये एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

(4) उत्तरी-पूर्वी, दक्षिणी-पश्चिमी और दक्षिणी-पूर्वी तटों पर गहन समुद्र मात्स्यकी संसाधनों के सर्वेक्षण की व्यवस्था की जा रही है ।

(5) देश में शिप-यार्ड को सुदृढ़ लाइसेन्स देकर देशी मात्स्यकी नौकाओं के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। देशी नौकाओं के निर्माण की लागत पर आर्थिक-सहायता देने की एक योजना भी चालू है।

(6) मात्स्यकी नौकाओं की खरीद के लिये ऋण स्वीकृत करने हेतु नौपरिवहन विकास सम्बन्धी धनराशि को बढ़ाया गया है।

दिल्ली में भूमि पर नाजायज कब्जा

1052. **श्री दशरथ देव:** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लगभग 3,000 एकड़ भूमि पर नाजायाज कब्जा है;

(ख) यदि हां, तो बिना और विलम्ब किये नाजायज कब्जा हटाने के लिये क्या कारगर उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) नाजायज कब्जे वाली भूमि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन खेतिहरों में वितरण के लिये कब तक उपलब्ध हो जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) लगभग 3,000 एकड़ गांव सभा भूमि नाजायज कब्जे में है।

(ख) और (ग). दिल्ली प्रशासन ने विकास विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के एक-एक अधिकारियों का एक विशेष प्रवर्तन दस्ता स्थापित किया है जिसे उपयुक्त प्रशासनिक उपायों द्वारा गांव सभा की भूमि पर इस प्रकार नाजायज कब्जे को हटाने के अधिकार हैं। इस भूमि से नाजायज कब्जा हट जाने पर इसे कानून के उपबन्धों के अनुसार पात्र व्यक्तियों में वितरित करने का प्रस्ताव है।

सभी राज्यों में गन्ने के मूल्यों में एकरूपता

1053. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दक्षिणी राज्यों के गन्ना उत्पादकों के हाल में हैदराबाद में हुये सम्मेलन में आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि केन्द्र को सभी राज्यों में गन्ने का एक मूल्य निर्धारित करना चाहिये तथा इसकी घोषणा फसल के पहले अथवा बाद में की जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) दक्षिणी राज्यों के गन्ना उत्पादकों की हैदराबाद में हुई कन्वेंशन में आंध्रप्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये भाषण का सरकारी स्रोतों से कोई प्राधिकृत मजमून भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल राज्य सरकार द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन

1054. **श्री सी० जनार्दनन :**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने 13 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है;

(ग) क्या सरकार ने अब तक इन परियोजनाओं के लिए कोई सहायता दी है अथवा क्या वर्ष 1976-77 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय में आवश्यक धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) केरल सरकार ने 13 सिंचाई स्कीमों (8 वृहत् और 5 मध्यम) की परियोजना रिपोर्टें केन्द्रीय मत आयोग को भेजी हैं। इन स्कीमों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन 13 बाकी पड़ी स्कीमों में से 8 स्कीमें कावेरी बेसिन में पड़ती हैं। चूंकि कावेरी के जल के प्रयोग एवं विकास के सम्बन्ध में मतभेद हैं इसलिए सम्बन्धित राज्यों के बीच कावेरी जल के सम्बन्ध में समझौता हो जाने के पश्चात् ही इन परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए कार्यवाही की जाएगी। बाकी 5 स्कीमें राज्य सरकार के परामर्श के साथ आयोग में परीक्षण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ग) और (घ). सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राशि की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपनी समग्र विकासात्मक योजनाओं के ढांचे के अन्तर्गत की जाती है ।

1966–67 की वार्षिक योजना के लिए योजना आयोग द्वारा स्कीमों को स्वीकृति दिए जाने की शर्त के साथ चिमोनी एवं मुवाटुपुझा परियोजनाओं के लिए 10–10 लाख रुपये के परिव्यय की सिफारिश की गई है ।

विवरण

परियोजना का नाम

कावेरी बेसिन

बृहत्

1. केरलभवानी टेलरेस
2. बाण सुर सागर
3. त्रिरुनेल्ली

मध्यम

1. करापुझा
2. नूलपुझा
3. अट्टा पड्डी
4. मंजात
5. थोन्डर

अन्य बेसिन

बृहत्

1. इडमालायर
2. वानपुरम
3. कक्काडावू
4. मुआटुपुझा
5. चिमोनी

खेती योग्य बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना

1055. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 160 लाख हैक्टेयर भूमि "खेती योग्य बंजर" भूमि की श्रेणी में है जिसका कृषि कार्यों के लिये उपयोग किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्नों की खेती करने वाले क्षेत्र में वृद्धि करने और खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये "खेती योग्य बंजर भूमि" को खेती योग्य बनाने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां। भूमि सम्बन्धी उपयोग के अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों (1972-73 अनंतिम) के अनुसार देश में लगभग 158 लाख हेक्टार कृषि योग्य बंजर भूमि है।

(ख) प्रारम्भ में ही यह उल्लेख कर दिया जाए कि "भूमि" का विषय संविधान की राज्य सूची के अन्तर्गत आता है। अतः भूमि का विकास करना सम्बन्धित राज्य सरकारों की प्रमुख जिम्मेदारी है। तथापि, इन भूमियों को कृषि योग्य बनाने के लिये लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप कृषि योग्य बंजर भूमि का क्षेत्र 1972-73 में घट कर 158 लाख हेक्टार हो गया जबकि 1951-52 में यह 230 लाख हेक्टार था।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में केन्द्रीय क्षेत्र के नीचे लिखे कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है जिनका सम्बन्ध कृषि योग्य बंजर भूमि को खेती के योग्य बनाने से है।

कार्यक्रम का नाम	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित परिव्यय (करोड़ रु० में)
1. समतल भूमि के संरक्षण तथा ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों के स्थिरीकरण की मार्गदर्शी परियोजनायें	3
2. झूम खेती के नियन्त्रण की मार्गदर्शी परियोजना .	10*
3. भूमि के समूहीकरण के जरिए लाभदायक रोजगार की मार्गदर्शी परियोजना	5
4. क्षारीय, लवणीय तथा अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने की मार्गदर्शी परियोजनायें	13

*इसमें गृह मन्त्रालय के जरिए उत्तर-पूर्वी परिषद् द्वारा प्रदान की गई 5 करोड़ रु० की धनराशि भी शामिल है। मद सं० 1, 2 और 4 पर पहले से ही काम हो रहा है।

डाक्टरी आधार पर सरकारी क्वार्टरों का आवंटन

1056. श्री हरी सिंह : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के सभी वर्गों के कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में वर्ष 1975 में डाक्टरी आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर सरकारी आवास के लिये आवेदन पत्र दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने व्यक्तियों को सरकारी आवास आवंटित किये गये हैं?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) (क) जी, हां।

(ख) 477।

Juvenile Delinquency

1057. **Shri Hari Singh:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the increasing incidence of juvenile delinquency; and

(b) if so, new measures contemplated by Government for checking juvenile delinquency ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) The available statistics on juvenile crime in India indicate some increasing trends.

(b) As much of the juvenile delinquency is due to neglect of children, the coverage under the scheme of financial assistance to voluntary organisations for the care of destitute children is being extended. General welfare measures like slum clearance and provision of increased facilities for education and recreation are also being pursued, as they have an undoubted depressant effect on juvenile delinquency. Besides, all the State Governments, except Nagaland, Meghalaya, Orissa and Tripura are implementing the Children Act which provide for the care, protection, treatment, training and rehabilitation of delinquent and neglected children. A scheme of non-institutional services has also been implemented in cities like Ahmedabad, Bangelore, Bombay, Hyderabad, Kanpur and Madras. These programmes are being further developed by the State Governments in the State Sector Plans.

उत्तर प्रदेश में आलू की अत्याधिक पैदावार

1058. **श्री हरि सिंह :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में आलू की अत्याधिक पैदावार एक समस्या बन गई है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). इस समस्या के हल के लिए सरकार ने नीचे लिखे उपाय किए हैं :—

(1) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० के माध्यम से आलू की निर्यात योग्य किस्मों की लगभग 45 रुपये प्रति क्विटल के न्यूनतम मूल्य पर खरीद करने की व्यवस्था की गई है।

(2) भारतीय खाद्य निगम को राज्य के छः महत्वपूर्ण आलू पैदा करने वाले जिलों में आलू की सीमित वाणिज्यिक खरीद करने का काम सौंपा गया है।

(3) रेलवे बोर्ड से अनुरोध किया गया है कि वह आलू पैदा करने वाले क्षेत्रों से आलू की खपत वाले क्षेत्रों को आलू की ढुलाई करने के लिए पर्याप्त रेल वैगनों की तेजी से व्यवस्था करे।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली

1060. **श्री शशि भूषण :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने द्वितीय विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन करते हुए देश में विकसित राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली की अवश्यकता पर बल दिया था जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी पुस्तकें उपलब्ध हो सकें; और

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) देहातों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य से 1972 में राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना की गई थी । इस उद्देश्य के अनुसरण में, यह प्रतिष्ठान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के 2700 से अधिक जिला, ब्लाक और ग्रामीण पुस्तकालयों को पढ़ने की सामग्री मुहैया करता है ।

उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशालाएं

1061. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों की किस्म की जांच करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित किसी योजना के अन्तर्गत और प्रयोगशालाओं की स्थापना की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे किसानों को बेचे जाने वाले उर्वरकों की किस्म पर ठोस नियंत्रण सुनिश्चिय हो सकेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां । पांचवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत क्रमबद्ध रूप से उर्वरक किस्म नियंत्रण की 36 प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का विचार है ।

(ख) तथा (ग). आशा है कि विभिन्न राज्यों में पहले से विद्यमान सुविधाओं के अतिरिक्त सम्पूर्ण देश में उर्वरक किस्म नियंत्रण की इन 36 प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के बाद सारे देश में स्थित विभिन्न विक्रय केन्द्रों से उर्वरकों के प्रमुख नमूनों के पर्याप्त संख्या में तैयार करना और उनका विश्लेषण करना संभव होगा और इससे राज्य सरकारें अपमिश्रण का पता लगाने और दोषियों को दंड देने में समर्थ होंगी । यह आशा की जाती है कि उर्वरक के वितरण में कदाचारों को कम किया जाएगा और किसानों को ठोस उर्वरक बेचे जायेंगे ।

सामुदायिक सिंचाई सुविधाएं

1062. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सामुदायिक सिंचाई सुविधाएं देने के बारे में राज्यों को कोई निदेश दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्यों ने इन निदेशों का कहां तक पालन किया है ; और

(ग) इन निदेशों की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग). लघु कृषक विकास एजेन्सी/सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक कार्यक्रमों की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर सामुदायिक सिंचाई कार्यों के परियोजना की धनराशि से 50 प्रतिशत तक राज-सहायता देने के लिये राज्य सरका ों को अनुदेश जारी किये हैं:–

(1) छोटे तथा सीमांत कृषकों के लाभ के लिये निर्माण-कार्यों की व्यवस्था और देखभाल सहकारी पंचायत या निगम के द्वारा की जानी चाहिए ।

(2) ऐसे सामुदायिक सिंचाई कार्यों के 50 प्रतिशत से अधिक लाभानुभोगी छोटे/सीमांत कृषक होने चाहिए ।

(3) ऐसे सामुदायिक कार्यों के आयकर के अन्तर्गत आने वाले छोटे तथा सीमांत कृषकों से कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिये रियायती दरों से व्यय भार लिया जाये, जो अन्य लाभानुभोगियों से लिये जा रहे सामान्य दरों के 50 प्रतिशत हों ।

(4) 50 प्रतिशत राज-सहायता छोटे/सीमांत कृषकों को उनके स्वामित्व में रखे गये आयकर की लागत पर देय होगी ।

इन परियोजनाओं के अन्तर्गत अगस्त, 1975 के अन्त तक 3295 सामुदायिक सिंचाई कार्यों को सहायता दी गई है ।

स्कूल पाठ्य पुस्तकों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन

1063. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने पाठ्य पुस्तकों का स्तर और विषय वस्तुओं का पता लगाने के लिये स्कूल पाठ्य पुस्तकों का व्यापक सर्वेक्षण और मूल्यांकन करने के बारे में राज्यों को निदेश दिए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : अक्तूबर, 1975 में आयोजित चौथे राष्ट्रीय स्कूल पाठ्य पुस्तक सम्मेलन ने जिस में राज्यों के राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तक एजेंसियों के अध्यक्षों ने भाग लिया था, स्कूल पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफ़ारिशें की :

(i) राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के सहयोग से राज्यों द्वारा पाठ्यपुस्तकों का व्यापक मूल्यांकन किया जाए । राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् और संबंधित राज्यों द्वारा प्रक्रिया के ब्यौरे तैयार किए जाएं ।

(ii) सभी राज्य उपकरणों में पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन सेल स्थापित किए जाने चाहिएं ।

राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफ़ारिशें सभी

पाठ्यपुस्तक एजेंसियों को, उचित कार्रवाई हेतु भेज दी गई हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की महा समिति ने जिस में अधिकांश रूप से राज्य सरकारों के मंत्री स्तर के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, 30-1-1976 को आयोजित अपनी 13 वीं बैठक में स्कूली पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन करने के उपरोक्त कार्यक्रम पर विचार किया।

राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के पाठ्य पुस्तक विभाग ने तदनुसार राज्यों में स्कूली पाठ्य पुस्तकों का व्यापक मूल्यांकन करने के कार्यक्रम को क्रमिक रूप से आरम्भ किया है।

नारियल की खेती

1064. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कुल कितने क्षेत्र में नारियल की खेती होती है, तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में नारियल का वार्षिक उत्पादन क्या था; और

(ख) नारियल की खेती के संवर्धन के लिए केन्द्र ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) 1972-73 से 1974-75 तक गत 3 वर्षों में नारियल की खेती के अन्तर्गत राज्यवार अनुमानित क्षेत्र और उत्पादन का विररण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०—10499/76]

(ख) नारियल उगाने वाले महत्वपूर्ण राज्यों में नारियल की खेती बढाने के लिये, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 125 लाख रुपए के कुल परिव्यय से निम्नलिखित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :—

योजना का नाम	पांचवीं योजना का लक्ष्य
1. पैकेज कार्यक्रम . . .	1,24,500 हैक्टार
2. टी० डी० संकर किस्मों का उत्पादन तथा वितरण	6.25 लाख
3. डी० टी० संकर किस्मों का उत्पादन तथा वितरण (बीज उद्यान)	250 हैक्टार
4. विशिष्ट बीज फार्म	40 हैक्टार
5. रोगग्रस्त नारियल के बागानों के पुनर्नवीकरण के लिये मार्गदर्शी परियोजना . .	5000 हैक्टार

विदेशों से अनाज की खरीद के लिए ठेके

1065. **श्री नरेन्द्र कुमार साँघी : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में विदेशों से अनाज की खरीद का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ख) क्या उचित समय पर कार्यवाही किये जाने के परिणामस्वरूप सरकार ने गत वर्ष बड़ी मात्रा में धनराशि की बचत की थी और क्या विदेशी समाचार पत्रों में इस आशय के समाचारों के प्रकाशित होने को देखते हुए कि वर्ष 1975–76 में गत वर्ष की तुलना में अनाज कम मात्रा में उपलब्ध होने की सम्भावना है, क्या सरकार ने उन देशों से जो अभी भी अनाज बेचने के इच्छुक हैं, पक्के ठेके किये हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारत सरकार खाद्यान्नों के आयात की आवश्यकता के बारे में स्थिति की बराबर समीक्षा करती रहती है और फसल की सम्भावनाओं, आन्तरिक उपलब्धता, सरकारी वितरण प्रणाली की जरूरतों और आन्तरिक उपलब्धता के बीच अन्तर, उचित परिमाण में बफर स्टाक तैयार करने की जरूरत विदेशी मुद्रा सम्बन्धी साधनों, अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में मूल्य प्रवृत्ति और अन्य सम्बन्धित तथ्यों पर विचार करने के बाद यथा आवश्यक मात्रा में विदेशों से खाद्यान्नों की खरीदारी करती है । 1976 के दौरान आयात की जाने वाली कुल मात्रा के बारे में संकेत देना न तो इस समय सम्भव है और न ही यह लोक हित में वांछनीय है ।

(ख) विश्व की खाद्य स्थिति, प्रमुख निर्यातक देशों में फसल की सम्भावनाएं, मंडियों में स्थिति, मूल्य प्रवृत्ति, निवल निर्यात योग्य अधिशेष, सुपुर्दगी और लदान की अवधि और अपेक्षित अनाज की किस्म संबंधी बातों को ध्यान में रखकर हमारे मिशनों द्वारा खाद्यान्नों की खरीदारी तक की जाती है जबकि देश के दृष्टिकोण से ऐसी खरीदारी करना लाभदायक होता है स्थिति की नियत कालिक समीक्षा की जाती है और इस संबंध में अपनाई जाने वाली नीति के बारे में निर्देशक सिद्धांत समय-समय पर जारी किये जाते हैं। आयात के सम्बन्ध में अब तक जो प्रबन्ध किए गए हैं उन्हें बताना लोकहित में न होगा ।

बन रोपण

1066. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मानव द्वारा वनों का सफाया किए जाने की स्थिति ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से राज्य सब से अधिक प्रभावित हैं ; और

(ग) वन रोपण को बढ़ावा देने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग). आवश्यक सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिंचाई दर ढांचे के अध्ययन हेतु कृतिक बल (टास्क फोर्स)

1067. **श्री वसन्त साठे :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में सिंचाई दर ढांचे के गहन अध्ययन के लिए एक ऐसे अध्ययन दल/कृतिक बल की नियुक्ति का प्रस्ताव है जो उचित एवं लाभप्रद सिंचाई दरों के बारे में ऐसे सुझाव दें, जिनसे छोटे किसानों को प्रोत्साहन मिले और जल पर एकाधिकार करने वाले समाप्त हो जाएं; और

(ख) देश में पानी की दरों को युक्तियुक्त बनाने के लिए हाल ही में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) और (ख). सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई दरों को राज्य विधान मंडलों द्वारा निर्धारित किया जाता है । अभी राज्य सरकारों द्वारा नियत की गई जल दरें सामान्यत: निर्माण खर्चों और व्याज प्रभारों को संयुक्त रूप से पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है और इसलिए पहले से ही राज्य के राजस्वों में व्यय करने के लिए कमी आती जा रही है । जल दरों को युक्तियुक्त बनाने के प्रश्न पर सिंचाई और विद्युत राज्य मंत्रियों, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विकास परिषद् इत्यादि के विभिन्न सम्मेलनों में कई बार विचार किया जा चुका है । निजिलिंगप्पा समिति और सिंचाई आयोग ने भी इस प्रश्न पर विस्तार के साथ विचार किया है । केन्द्रीय सरकार ने सदैव ही राज्य सरकारों को जहां कहीं भी अनुज्ञेय हो अपने संसाधनों में वृद्धि करने के लिए जल प्रभारों और विकास शुल्क में वृद्धि करने के लिए जोर दिया है ।

अभी हाल में जल दरों और विकास शुल्क के संबंध में विवेचनात्मक अध्ययन किए गए और उन्हें राज्य सरकारों को मार्ग दर्शन के लिए भेज दिया गया । जुलाई, 1975 में सिंचाई मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य सरकारों के द्वारा सतत आधार पर जल दर संरचना का पुनरीक्षण करने के लिए स्थायी अन्तर्विभागीय जल दर पुनरीक्षण बोर्ड के गठन करने की सिफारिश भी की गई थी । भारत सरकार द्वारा 1975-76 के दौरान कुछ चुनी हुई परियोजना के लिए अतिरिक्त अग्रिम योजना सहायता की व्यवस्था करते समय निर्धारित शर्तों में से एक शर्त यह थी कि संबंधित राज्य सरकारें चालू वित्तीय वर्ष में जल दरों को संशोधित करने के लिए निश्चित निर्णय लेंगी ।

बिहार, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्य ने 1974 से बढ़ी हुई संशोधित जल दरों को पहले से ही अधिसूचित कर दिया है ।

कर्नाटक में मत्स्य बन्दरगाहों का विकास

1068. श्री पी० रंगानाथ शिनाय: क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मत्स्य बन्दरगाहों के रूप में कर्नाटक में कितने पत्तनों का विकास किया जा रहा है ; और

(ख) कर्नाटक में ऐसे अन्य पत्तनों के विकास के लिये, जिनसे इस समय पर्याप्त मात्रा में मछली भेजी जाती है, क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) कर्नाटक राज्य में मतकल, कुंडापुर, कागलगेरी, ताद्री, मंगलोर और करवड़ जैसे छोटे पत्तनों पर मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए बन्दरगाह संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ।

(ख) होन्नावर में एक मध्यम मत्स्य की बन्दरगाह का निर्माण किया जा रहा है और गहन समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं का संचालन करने के लिए एक मत्स्य की बन्दरगाह माल्पे के लिये पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है ।

978 L.S.—5

ग्रंथालयों की सुव्यवस्था करने के लिए कानून

1069. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से देश में ग्रंथालयों की सुव्यवस्था करने के लिए व्यापक कानून बनाने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). संविधान के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित तथा आर्थिक सहायता प्राप्त पुस्तकालय राज्य का विषय है। अतः संसद् को पुस्तकालयों से सम्बन्धित ऐसा व्यापक केन्द्रीय कानून बनाने का अधिकार नहीं है जो पूरे देश पर लागू हो। तथापि, राज्य सरकारों के स्वैच्छिक सहयोग से, राष्ट्रीय, राज्य तथा अन्य पुस्तकालयों के समन्वित विकास के लिये कदम उठाये गये हैं। यह केन्द्रीय तथा राज्य पंचवर्षीय योजनाओं का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालयों के अनुरक्षण एवं विकास के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार देश के विभिन्न भागों के पुस्तकालयों को आर्थिक सहायता तथा उन्हें राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के माध्यम से पुस्तकें भी दे रही है। पुस्तकालयों के फैलाव का विकस भी, गैर औपचारिक शिक्षा तथा सतत शिक्षा की योजनाओं का एक महत्वपूर्ण भाग है।

फरक्का बराज के गंगा से जल का बहना

1070. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फरक्का बराज के माध्यम से बंशलोई और पगला नदियों के चैनलों में गंगा के पानी के बढ़े हुये बहाव के कारण मुर्शिदाबाद जिले के उत्तरी भागों में कृषि भूमि के बड़े-बड़े क्षेत्र जलमग्न हो जाने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस सम्बन्ध में फरक्का बराज परियोजना के प्रबन्धकों द्वारा अपनाये जाने के लिये कुछ उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जून, 1975 में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने शिक्षा मजिस्ट्रेट, मुर्शिदाबाद से प्राप्त एक नोट भेजा था जिसमें जंगीपुर सब डिवीजन तथा इसके साथ-साथ फरक्का बराज परियोजना में जल निकास अवरुद्ध होने और जलमग्न हो जाने की सूचना दी गई थी।

(ख) और (ग). 30-6-75 और 1-7-75 को केन्द्र और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक बैठक में फरक्का बराज के निर्माण के उपरान्त जल निकास अवरुद्ध होने और जल जमाव हो जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गई थी। बंशलोई और पगला नदियों की

समस्या के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई थी। यह सुझाव दिया गया था कि हुगली-भागीरथी के दाहिने तट पर मार्जिनल तटबन्ध को बंशलोई और पगला नदी के साथ-साथ काफी दूरी तक प्रति प्रवाह में चालू रखा जाए जिससे कि बाढ़ का पानी इन नदियों के माध्यम से इस निचली भूमि में प्रवेश नहीं करेगा और वर्षा का संचित जल जो निम्नवर्ती क्षेत्रों में इकट्ठा हो जाता है उसे बंशलोई और पगला नदियों के तटबन्धों में दिये गये प्रवेश द्वारों के द्वारा निकाल दिया जाएगा। यह सिफारिश की गई थी कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा स्कीम तैयार की जाए।

4-12-75 को दिल्ली में हुई बैठक में जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों ने भाग लिया था, इस समस्या को सन्तोषजनक ढंग से सुलझाने के लिये विभिन्न विकल्पों पर विचार-विमर्श किया गया था। इस बात पर मतैक्य था कि पोषक नहर को कम किये गये पूर्ण आपूर्ति स्तर तक भूमि को अर्जित कर लिया जाये और इस क्षेत्र को शनैः शनैः मत्स्य पालन, मार्जिनल सिंचाई प्रयोजनों इत्यादि के लिये विकसित कर लिया जाये।

राज्य सरकार से उपर्युक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में अभी तक कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग

1071. श्रीमती पार्वती कृष्णन्:
श्री रामावतार शास्त्री:

क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने एक राष्ट्रीय बाढ़ आयोग स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) और (ख). गत 20 वर्षों के दौरान बाढ़ नियंत्रण उपायों के रूप में आयोजन, कार्यान्वयन और निष्पादन जिसे देश के विभिन्न भागों के लिये अपनाया गया है, के द्वारा प्राप्त अनुभव के आधार पर बाढ़ों के सम्बन्ध में नीति और बाढ़ नियंत्रण उपायों का व्यापक पुनर्विलोकन करने के लिए एक राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन करने का निर्णय किया गया है। आयोग के लिये कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावित निर्देश इस प्रकार है:—

(1) 1954 से बाढ़ सुरक्षा के लिये किए गए उपायों का पुनर्विलोकन करना और अभी तक किये गये उपायों से प्राप्त लाभों और उनके प्रभावशाली होने के सम्बन्ध में मूल्यांकन करना।

(2) गत वर्षों में बाढ़ों के कारण हुई क्षति का विश्लेषण करना और उन क्षेत्रों का पता लगाना जिनके लिये बाढ़ सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता है।

(3) देश में बाढ़ों की समस्या के सम्बन्ध में एक व्यापक मार्ग प्रस्तुत करना, जिसमें जल संसाधनों के इष्टतम विकास और बाढ़ नियंत्रण करने के लिए भूमि संरक्षण और वनरोपण की भूमिका शामिल हो।

(4) बाढ़ नियंत्रण उपायों पर लागत और लाभों का विश्लेषण करना और बाढ़ सुरक्षा के उपायों को हाथ में लेने के लिये मापदण्ड और उसके लिये साधन जुटाने के लिये स्रोतों का सुझाव देना ।

आयोग से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह बाढ़ के मैदानों की भूमि को उचित ढंग से प्रयोग करने, बाढ़ सुरक्षा कार्यों का अनुरक्षण करने, बाढ़ नियंत्रण के लिये प्रशासनिक और संठनात्मक संगठन, बाढ़ से हुई क्षति इत्यादि को निर्धारित करने के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिये सिफारिशें करे ।

आयोग में एक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य जो बाढ़ नियंत्रण इंजीनियरिंग, कृषि विज्ञान, अर्थशास्त्र के विषयों पर प्रतिनिधित्व करेंगे और एक सदस्य-सचिव होंगे । तीन अंशकालिक सदस्य होंगे जो देश में बाढ़ों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने वाले विभिन्न सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

आयोग को स्थापित करने के सम्बन्ध में अन्य ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं ।

सुवर्ण रेखा परियोजना

1072. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और बिहार के मुख्य मंत्रियों द्वारा सुवर्ण रेखा परियोजना में उपरि भाग (अपर रीच) में एक ऐसे जलाशय के निर्माण की व्यवस्था है जिससे बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकेगा; यदि हां, तो कितना जल (क्युसेकों) में इस प्रकार से नियंत्रित किया जाएगा ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने उड़ीसा से परामर्श किये बिना ही अपनी ओर बांध बनाने शुरू कर दिये हैं और क्या इससे उड़ीसा की बाढ़ रोक क्षमता पर दुष्प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) सुवर्ण रेखा परियोजना पर कुल कितना खर्च आयेगा और उसमें सम्बद्ध राज्य सरकारों का भाग कितना-कितना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) सुवर्ण रेखा परियोजना के सम्बन्ध में उड़ीसा और बिहार के मुख्य मंत्रियों के मध्य हुये समझौते में चन्दिल बांध में 4 लाख एकड़ फुट की बाढ कुशन परिकल्पित है । उड़ीसा में राजघाट के निकट रेलवे पुल पर इस संचय से 7.5 लाख क्यूसेक की उच्चतम बाढ़ का 5 लाख क्यूसेक तक सामान्य हो जाने की सम्भावना है । सुवर्ण रेखा परियोजना पर पश्चिम बंगाल के साथ समझौते को अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ख) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने बताया है कि उन्होंने सुवर्ण रेखा के बाएं तट पर अभी तक तटबन्ध के निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया है ।

(ग) बिहार सरकार के द्वारा तैयार की गई सुवर्ण-रेखा बहुद्देश्यीय परियोजना की कुल लागत 120 करोड़ रुपये है । बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों के द्वारा लागत के बटवारे को अभी तक हल नहीं किया गया है ।

सलाहकार समितियाँ

1073. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों से सम्बद्ध सलाहकार समितियों की नियुक्ति करते समय सरकार ने किन उद्देश्यों को ध्यान में रखा था ;

(ख) क्या ये समितियां उन उद्देश्यों को पूरा कर रही हैं ;

(ग) क्या सरकार उनके निर्णयों को क्रियान्वित करती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इन समितियों को किस प्रकार प्रभावकारी बनाना चाहती है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) इन समितियों को गठन का करने अन्तर्निहित लक्ष्य सदस्यों, मंत्रियों और सरकार के वरिष्ट अधिकारियों के बीच सरकारी नीतियों के सिद्धान्तों और समस्याओं तथा प्रशासनिक विभागों के कार्यचालन के सम्बन्ध में ऐसे ढंग से जो सामान्यत: सदन में व्यवहार्य नहीं है, औपचारिक चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना था ;

(ख) इन समितियों की बैठकों की संख्या और उनमें संसद सदस्यों की उपस्थिति का अवलोकन करने पर, यह आशा की जाती है कि ये समितियां पर्याप्त रूप से उस उद्देश्य को पूरा कर रही हैं ;

(ग) 'मार्गनिदेशिका' की व्यवस्थाओं के अधीन उन समितियों में लिये गये निर्णयों को यथासम्भव क्रियान्वित किया जाता है ; और

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Sugar Production

1074. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the sugarcane crushing work in the sugar mills of almost all the States is over;

(b) if so, total sugar production this year;

(c) whether the production of sugar is lower than that of last year; and

(d) if so, reasons therefor and action proposed to be taken by Government to remove the causes thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Out of the total of 251 factories which went into production in 1975-76 season, 184 were reported to be still in operation on the 17th March, 1976.

(b) The total production up to 7th March, 1976 was about 31·41 lakh tonnes.

(c) Yes, Sir, by about 56,000 tonnes.

(d) The production of sugar is significantly lower mainly in Tamil Nadu, Uttar Pradesh and Bihar compared to that of last season. In Tamil Nadu it is because of lesser availability

of cane due to drought last year. In U.P. and Bihar, the start of crushing was delayed due to delayed maturity of cane following continued monsoon rains in those States. Further it is reported that because of lack of timely and well spread winter rains, the recovery has gone down. As these reasons are connected with weather, there is no help for it.

गंगा-कावेरी नहर का डिजाइन

1075. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा-कावेरी नहर योजना अभी स्थगित कर दी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस नहर व्यवस्था का डिजाइन तैयार करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि स्थगित कर दी गई है तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह आवश्यक समझा गया है कि विभिन्न बेसिनों, उपबेसिनों और क्षेत्रों में जल के फ़ालतू और कमी की स्थिति का अध्ययन गम्भीरता पूर्वक कर लिया जाये और जल को अन्तर-बेसिन और अन्तर्क्षेत्रीय आधार पर ट्रान्सफ़र करने के लिये प्राथमिकता को सुनिश्चित किया जाये, जिसका एक भाग गंगा और कावेरी को जोड़ना हो सकता है । पांचवीं योजना के दौरान इन अध्ययनों को हाथ में लेने के लिये 2.45 करोड़ रूपये के प्राक्कलन को अनुमोदित किया गया है और केन्द्रीय जल आयोग में आवश्यक संगठन की स्थापना कर दी गई है ।

ये अन्वेषण और अध्ययन अपनी प्रकृति के अनुसार दीर्घगामी हैं और उनमें काफ़ी समय लगेगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

समुद्र विज्ञान का पढ़ाया जाना

1076. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के किसी कालेज ने समुद्र के बारे में अन्य विषयों के साथ-साथ समुद्र-विज्ञान पढ़ाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पढ़ाये जाने वाले विषयों की संक्षिप्त रूप रेखा क्या है ; और

(ग) क्या इन विषयों को रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, सूरतकल में पढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो०एस० नूरुल हसन): (क) और (ख). समुद्री-विज्ञान से सम्बन्धित कुछ पहलुओं के अध्ययन को कई विश्वविद्यालयों तथा प्रोद्योगिकी संस्थाओं में समुद्री जीव-विज्ञान, समुद्री भू-विज्ञान, समुद्री मौसम-विज्ञान, समुद्री परिस्थिति-विज्ञान, समुद्री-संरचनाओं तथा भूभौतिकी अध्ययन के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है ।

(ग) उक्त कालेज में समुद्री संरचनाओं में उत्तर-स्नातक (मास्टर) डिग्री कार्यक्रम में समुद्री-विज्ञान के भौतिक तथा इंजीनियरी पहलुओं को पाया जा रहा हैं ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) तमिलनाडु संशोधन अध्यादेश, 1976 तथा विलायक निष्कर्षित तेल, वितैलित मैदा और खाद्य आटा (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1976

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के उपबंधों के अन्तर्गत लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) तमिलनाडु संशोधन अध्यादेश, 1976 (1976 का तमिलनाडु अध्यादेश संख्या 6) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा 3 मार्च, 1976 को प्रख्यापित किया गया था ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०—10483/76]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत विलायक निष्कर्षित तेल, वितैलित मैदा और खाद्य आटा (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 6 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 112 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालच में रखागया । देखिये संख्या एल०टी०—10484/76]

उर्वरक (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश 1976 तथा आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड हैदराबाद की 30 जून, 1972 को समाप्त अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन ।

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उर्वरक (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 4 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 110(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०—10485/76]

[श्री प्रभुदास पटेल]

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, हैदराबाद की 30 जून, 1972 को समाप्त हुई अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-10486/76]

भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक का वर्ष 1973-74 का अनुपूरक प्रतिवेदन (भाग 2)

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1973-74 के अनुपूरक प्रतिवदन (भाग 2) संघ सरकार (सिविल) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत दिनांक 22 मार्च, 1976 का आदेश

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसीन) : मैं दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 को धारा 490 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897, की धारा 21 के साथ पठित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 490 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी किये गये दिनांक 22 मार्च, 1976 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 22 मार्च, 1976 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुआ था सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 10488/76]

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

198 वां प्रतिवेदन

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं कम्बलों की खरीद आपूर्ति के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के पैरा 43 पर लोक लेखा समिति के 137 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 198 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

79वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

7. सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश ।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) चलचित्र वित्त निगम लिमिटेड पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 79वां प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

सदस्य की गिरफ्तारी

ARREST OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि मैंने ज़िला मजिस्ट्रेट, मुंगेर, बिहार से दिनांक 20 मार्च, 1976 का निम्नलिखित टेलीप्रिन्टर संदेश प्राप्त किया है :—

"मुझे सादर सूचित करना है कि श्री रामावतार शास्त्री, सदस्य, लोक सभा को आज 20 मार्च, 1976 को जब वह भारत रक्षा नियमों के नियम 69(1) के अन्तर्गत और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत जारी की गई निषेधाज्ञा के उल्लंघन में अवैध जलसा कर रहे थे झाझा (मंगेर) में गिरफ्तार किया गया ।"

सदस्य का त्याग पत्र

RESIGNATION BY MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि बिहार के बांका निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, श्री मधु लिमये, ने लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया है और मैंने उनका त्यागपत्र 22 मार्च, 1976 से स्वीकार कर लिया है ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (तमिलनाडु)—1975-76

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (TAMIL NADU), 1975-76

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं वर्ष 1975-76 के लिये तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करती हुं ।

सामान्य बजट, 1976-77—सामान्य चर्चा

GENERAL BUDGET, 1976-77—GENERAL DISCUSSION

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सात या आठ मिनट से अधिक समय न लें।

Shri Mulki Raj Saini (Dehra Dun): There is a deficit of 320 crores in the budget and according to economists, this deficit is very heavy. This budget is being presented at a time when prices have stabilised.

Plan expenditure for 1976-77 is 52 crores which is 31 per cent more than 1975-76. Maximum amount has been earmarked for development. The budget is really encouraging.

Consumers have been given so many reliefs by way of exempting articles and commodities of daily use from Taxation. Taxes have been reduced on items like Television, Refrigerator, Airconditioners, water coolers, Tyre Tubes etc. etc., which is a welcome step. The Government should see to it that the relief which is being given, really reaches the consumers.

Certain Income Tax concessions have also been given. Writers, Dramatists, Actors and Musicians have also been allowed some income tax concessions.

This has yielded good results and so many bad things have come to an end. The credit for this goes to our leader Shrimati Indira Gandhi and to our Finance Minister and to the Cabinet also for implementing the programme seriously. The very bureaucracy which was criticised sharply has come forward and have seized goods worth several lakhs of rupees. Schemes for giving incentives and prizes to such dedicated employees should continue to be encouraged.

The emergency has created a spirit amongst our officers of district level and below district level to work hard. The process of screening of such employees should continue to be enforced. The reduction in prices of fertilizers has given concessions worth 105 crores to farmers. But during the past few years the costs of irrigation, land revenue have gone up. So the prices of agricultural produce are not remunerative. There is absence of education and employment opportunities in the villages which constitute about 80% of this country's population. Whatever roads etc. are build in villages these are done to cater the needs of cities. Certain economists are of the view that if we are serious to end poverty in the country we would have to undertake the schemes for village development. Apart from water and electricity the third requirement for village development are roads. With the increase in means of communication would create more avenues for employment etc.

I would like to point out that there are various difficulties in the implementation of 20 point programme among the Harijans and backward classes. The people responsible for committing atrocities towards Harijans should be punished.

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : चुनाव से पूर्व के वर्ष का यह बजट बिल्कुल उत्साहजनक नहीं है। देश के लोग अब ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं कि सरकार से कुछ अपेक्षा नहीं करते क्योंकि उसने अपने वायदों को नहीं निभाया है। आज राजनीतिक वातावरण ऐसा बन गया है कि घुटन और निराशा महसूस होती है। लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं क्योंकि वे अधिक राहतों की आशा कर रहे थे। बजट से पूर्व लोगों की जो आशायें थीं उन पर पानी फिर गया है।

हमारी वित्तीय व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। पिछले दो दशकों में पहली बार मूल्यों में स्थिरता आई है। अनाज उत्पादन काफी बढ गया है। बिजली, परिवहन, कोयला, कच्चे माल की कमी समाप्त हो गई है। वित्त मंत्री को वित्तीय राहत देने का अच्छा अवसर मिला था। प्रयत्न करने पर भी वह इसमें सफलता नहीं प्राप्त कर सके।

मुद्रा स्फोति को सफलतापूर्वक रोका जा सका है। जनता पर 307 करोड़ रुपये के करों का भार डाला गया है जिनमें से 80 करोड़ रुपये रेल भाड़े के तथा 140 करोड़ रुपये डाक दरो में वृद्धि करके लगाये गये थे। 1974-75 में बजट में 247 करोड़ का घाटा था जो 1975-76 में 490 करोड़ हो गया था। 1976-77 में यह 320 करोड़ रुपये रखा गया है।

सरकार ने अनाज के आयात तथा उर्वरक के वितरण के दायित्व को बैंकों पर छोड़ दिया है। धन की उपलब्धि वर्ष 1974–75 में 11222 करोड़ से बढ़कर 1975–76 में 12404 करोड़ रुपए हो गई है। इस बजट में परिव्यय की राशि में वृद्धि सबसे बड़ी उपलब्धि है। वर्ष 1975–76 के 6100 करोड़ के परिव्यय के स्थान पर 1976–77 में 7852.00 करोड़ रुपए रखा गया है। यह वृद्धि 31.6 प्रतिशत बैठती है। आयोजित अर्थ-व्यवस्था में इसका कोई उदाहरण नहीं है। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि इसका वित्त पोषण कैसे होगा और अन्ततः इस राशि का उपयोग कैसे होगा। इसका वित्त पोषण सार्वजनिक बचतों के माध्यम से नहीं होगा क्योंकि राजस्व में प्राप्तियां 8022 करोड़ रुपए से बढ़कर 8172 अर्थात् 1341 करोड़ अधिक हुई है इसका वित्त पोषण 1341 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता तथा 535 करोड़ रुपए बाजार ऋणों तथा 320 रुपए के बजट घाटे से होगा। विदेशी सहायता की प्राप्ति में अनिश्चितता के कारण यह भी अनिश्चित है कि क्या योजना परिव्यय के लिये 31.6 प्रतिशत संसाधन जुटाना सम्भव हो सकेगा अथवा नहीं।

आयकर की अधिकतम सीमा 77 प्रतिशत से घटाकर 66 प्रतिशत कर दी गई है। इसी तरह धन कर भी घटा दिया गया है। परन्तु इससे हमें 52 करोड़ रुपए की उपलब्धि होगी अतएव राजस्व में कोई हानि नहीं होगी। यह युक्तियुक्त नहीं है। सभी लोगों का मत है कि यदि सरकार वास्तव में कोई ऐसी नीति बनाना चाहती है जिससे देश में काला धन न रहे और ईमानदार व्यक्ति करों का भुगतान करें तो करों की अधिकतम दर 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

समाज के सम्भ्रान्त लोगों को अनिवार्य जमा योजना में अधिक देर तक पैसा जमा करना पड़ेगा। अनिवार्य जमा योजना और एक वर्ष के लिये जारी रखी जा रही है और इससे सम्भ्रान्त वर्ग से 80 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी। अनिवार्य जमा योजना के समूचे प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इसे जितना शीघ्र समाप्त किया जायेगा उतना ही अच्छा होगा।

कराधान की वर्तमान दरें बहुत ऊंची हैं। कुछ मामलों में तो लोग अपनी आय पर 300 प्रतिशत कर दे रहे हैं। सरकार को किसी भी करदाता पर समग्र रूप से 80 प्रतिशत से अधिक कर नहीं लेना चाहिए।

इस बजट को धनी व्यक्तियों का बजट, समाजवादी बजट, गरीब व्यक्ति का बजट आदि कहा गया है। परन्तु वास्तव में यह बजट ऐसा नहीं है। करों में थोड़ी सी छूटें दी गई हैं जबकि आयात पर बहुत अधिक शुल्क लगाये गये हैं। इस प्रकार के कार्यों से कुछ लाभ नहीं हो सकता। उत्पादन शुल्क 1950–51 में 52 करोड़ रुपए था जो 1976–77 में 4100 करोड़ रुपए हो गया है। वित्त में उसमें कम से कम 10 प्रतिशत की रियायत देनी चाहिये। यदि औद्योगिक वृद्धि की दर को बढ़ा कर 9 प्रतिशत कर दिया जाता है तो सरकार को 700 करोड़ रुपए उपलब्ध होंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि औद्योगिक विकास के लिये सभी सम्भव उपाय क्यों नहीं बरते जाते।

[श्री वीरेन्द्र अग्रवाल]

न्यूनतम आय वर्ग के सम्बन्ध में इस बजट में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस वर्ग को कोई राहत नहीं दी गई। हमें आशा थी कि वित्त मंत्री कर छूट की सीमा 10,000 रुपए कर देंगे। उन्हें तुरन्त यह छूट 10,000 रुपए कर देनी चाहिए। जिनके दो या कम बच्चे हैं उन्हें यह छूट 12,000 रुपए दी जानी चाहिए। वित्तीय कार्यक्रम को परिवार नियोजन कार्यक्रम के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए।

घरेलू बचतों को बढ़ाने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई। 12 प्रतिशत बचत में से 7 प्रतिशत छोटे व्यक्तियों से प्राप्त होता है। लाभांशों पर छूट सीमा 3000 से बढ़ाकर 6000 कर देनी चाहिए। वित्त मंत्री ने पैट्रोल पर 10 पैसे प्रति लिटर और डीजल पर 50 पैसे प्रति लिटर वृद्धि की शक्ति प्राप्त कर ली है। लेकिन हमारा मत है कि यदि हम अर्थ-व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं तो पैट्रोल का मूल्य कम करना चाहिए। पैट्रोल के मूल्य में 1 रुपए प्रति लिटर कम न करने में कोई औचित्य नहीं है।

कागज उद्योग पर जिसमें थोड़ी सी पूंजी लगी है वित्त मंत्री ने 20 करोड़ रुपए का उत्पादन शुल्क लगाया है। इस प्रस्ताव पर फिर से विचार किये जाने की आवश्यकता है। अन्यथा उद्योग पर कुप्रभाव पड़ेगा। वित्त मन्त्री ने गम्भीर रूप से रोगी व्यक्तियों को भी नहीं छोड़ा है। उन पर भी 18.2 करोड़ रुपए का शुल्क लगाया गया है। देश की समस्या संसाधनों को एकत्र करने की नहीं है अपितु नई सम्पत्ति पैदा करने की है।

पिछले 20 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि लक्ष्य 3 प्रतिशत का रखा गया था। 1974—76 में मूल्यों में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन 1046 करोड़ रुपए का रहा जिससे जनता की क्रय शक्ति में पर्याप्त कमी आई। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार गरीबी से निचले स्तर के लोगों का प्रतिशत 1966 में 40 था जो वर्ष 1975-76 में 66 प्रतिशत हो गया। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि प्रतिवर्ष 50 लाख रोजगार चाहने वाले बढ़ जाते हैं जबकि रोजगार क्षमता केवल कुछ हजार ही है। पिछले प्रगतिशील दशक में हरी क्रान्ति के बावजूद फ़ार्म उत्पादनों में केवल 1 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है। यदि आर्थिक स्थिति इसी तेजी से गिरती रही तो इस शताब्दी के अन्त तक देश की जनसंख्या 100 करोड़ हो जायेगी तथा हर एक व्यक्ति गरीबी के निचले स्तर पर पहुंच जायेगा।

यदि हमें अपने आर्थिक लक्ष्य पूरे करने हैं तो जनता की रचनात्मक प्रतिभाओं का सद्उपयोग करना चाहिए। गत 27 वर्ष में जिस वित्तीय नीति का पालन किया जाता रहा है आर्थिक आयोजना इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि देश के सभी नागरिकों का जीवन स्तर इस शताब्दी के अन्त तक पश्चिमी देशों के समान हो जाए।

750 लाख रोजगार पैदा कर ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने की सरकार की नीति सर्वथा उचित है। परन्तु यह भी सही है कि ग्रामीण जनजीवन में हम अब तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते जब तक इसके साथ व्यापक ग्रामीण आर्थिक कार्यक्रम को नहीं चलाया जाता।

उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने, भूमि सुधारों को तेजी से लागू करने तथा साथ ही सिंचाई की सम्भावनाओं को बढ़ाने का सरकार का प्रयत्न सराहनीय है। परन्तु इससे अधिक सफलता नहीं मिल सकती क्योंकि किसान को अधिक उत्पादन के प्रति कतई उत्साह नहीं है। सरकार द्वारा 105 रुपए प्रति क्विंटल वसूली मूल्य देने पर भी कृषि मूल्य देश भर में गिरे हैं। मुख्य मन्त्री अपना निर्णय बदलें और वसूली मूल्य 105 रुपए से बढ़ाकर 110 रुपए कर दें।

कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो कृषि उत्पादन 10.8 करोड़ टन से नहीं बढ़ सकता।

सहकारी क्षेत्र में पूंजी नियोजन के लिये 25 प्रतिशत की छूट दी गई है। मुद्रास्फीति को रोकने के उद्देश्य से वित्त मन्त्री बैंक दर कम करने को तैयार नहीं हैं। परन्तु इसे 9 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करना अत्यावश्यक है। ऋण की दर 16.5 से घटा कर 16 प्रतिशत की जाये। ऋण पर नियन्त्रण लगाने से उत्पादन में कमी नहीं आनी चाहिए। कुछ चुने हुए कार्यों के लिये ऋण मिलना आर्थिक उन्नति के लिये अत्यावश्यक है।

यह सही है कि इस समय मूल्य स्थिर हैं। कुछ मामलों में उनमें कमी भी आ रही है। परन्तु ज्यों ही 1000 करोड़ रुपये परिचलन में आयेंगे और प्रगति दर में 2 अथवा 2.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी तो 1976 के अन्त तक मूल्यों में 10.15 प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी।

आत्मनिर्भरता अब हमारा उद्देश्य नहीं रहा क्योंकि योजना परिव्यय का अधिकांश विदेशी सहायता द्वारा जुटाया जा रहा है। लोकतान्त्रिक समाजवाद और विकेन्द्रीयकृत ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था खुले वातावरण में ही पनपती है। आज लोकतन्त्र का स्थान फासिस्टवाद ने ले लिया है। संसद्, प्रेस तथा न्यायपालिका की शक्तियों में बहुत कमी आई है। आज हम अपने ही माल को पसन्द नहीं करते। कृषि मजदूरों को पर्याप्त वेतन नहीं मिल रहे। मुद्रा स्फीति की पूंजी व्यवस्था से काम नहीं चल सकता। इससे केवल गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा। जितनी जल्दी यह प्रवृत्ति बदले उतना ही हमारे देश के भविष्य निर्माण के लिये अच्छा होगा।

श्रीमती माया राय (रायगंज) : मैं इस बजट का समर्थन करती हूं और वित्त मंत्री ने कई वर्षों बाद जो सूझबूझ का परिचय दिया है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूं। यह शिकायत की गई है कि यह घाटे का बजट क्यों है। लेकिन जिन परिस्थितियों से हम गुजरे हैं और गुजर रहे हैं उन्हें देखते हुए ऐसा कहना ठीक नहीं। पिछले दिनों में तेल की कीमतें ही कितनी बढ़ी हैं?

मुझ से पूर्व वक्ता ने निगम कर का उल्लेख करते हुए कहा है कि वास्तव में राहत कुछ नहीं मिली है क्योंकि यह कर 55 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत तक हो गया है। लेकिन ये आंकड़े बिलकुल काल्पनिक हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने गहन अध्ययन के बाद पता लगाया है कि वास्तव में यह कर 40 प्रतिशत के आस-पास रहता है। इसलिए कर कम करने की कोई बात ही नहीं है। फिर उन्होंने कालडर की सिफारिशें स्वीकार करने की बात कही है जिससे कर अपवंचन रुक जायेगा। परन्तु मैं समझती हूं कि आवश्यकता राष्ट्रीय चरित्र में परिवर्तन की है।

बजट केवल आय और व्यय का लेखा-जोखा ही नहीं होता। यह तो एक ऐसा अस्त्र है जिसके जरिये विकास गति को तीव्र किया जा सकता है और साथ ही साथ विकास समान रूप से किया जाने में भी सहायता मिलती है।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे क्षेत्र या ऐसे कार्य छांट लिये जायें जिन्हें प्राथमिकता दी जानी है। जहां से अधिक संसाधन प्राप्त हो सकें, जहां तीव्र विकास हो सके ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज के दुर्बल वर्ग को बजट के माध्यम से ऊपर उठने के अवसर प्राप्त हो सकें। इस दृष्टि से वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं।

[श्रीमती माया राय]

फिर भी सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। सम्भवतया दुर्बल वर्ग को अधिक राहत दी जानी चाहिए थी। लेकिन एकदम तो कुछ हो नहीं सकता। अधिक प्रभावी कार्य के लिये अधिक सोच विचार और समय की आवश्यकता है। हमें आशा है कि शीघ्र ही इस विषय में और कार्य किया जायेगा।

इस बजट ने पुनः बहुत सी चीजों की मांग बाजार में पैदा कर दी है। यह बजट निवेशोन्मुख है। उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में पहले ही कमी हुई है और समाज के कुछ वर्गों को तुरंत ही राहत मिली है। कई वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया गया है। करों की दरों में कमी की गई है जिसका अर्थ यह है कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है जिससे वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। अब हमारा भी यह कर्तव्य हो जाता है कि ईमानदारी से कर अदा करें और कर अपवंचन से बचें। हमारे राष्ट्रीय चरित्र का यह एक गुण होना चाहिए।

बजट में उत्पादन तथा निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है। उत्पाद शुल्क घटाने, पुनः मांग पैदा करने के अतिरिक्त वित्त मंत्री ने सूती कपड़ा मिलों, पटसन, चीनी, सीमेंट और इंजीनियरी उद्योगों का आई०डी०बी०आई० तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से आधुनिकीकरण करने हेतु साधनों को उपलब्ध कराया है। लेकिन इस मामले में भी कुछ किया जाना शेष है। ये ऋण ब्याज की रियायती दरों पर दिये जायें और वापसी के लिए 10 से 15 वर्ष का समय हो तथा 5 वर्ष तक ऋण से छूट की रियायत भी दी जा सकती है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

पश्चिम बंगाल में पटसन तथा इंजीनियरी उद्योगों का आधुनिकीकरण अति आवश्यक है। लेकिन उसमें बहुत सी समस्याएं हैं। यहां एक बात की चेतावनी देना जरूरी है। इन ऋणों को वितरित करने वाला अधिकरण केवल मुख्यालयों तक ही सीमित न रहे अथवा इस विशाल देश में केवल एक ही स्थान पर केन्द्रित न हो जाये। यह बात बार-बार दोहरायी गई है लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता।

पूर्ण केन्द्रीकरण जैसे असम्भव विचार के कारण विभिन्न क्षेत्रों के तीव्र विकास में काफी बाधा पड़ती है। विभिन्न भागों के असमान विकास से यह तथ्य पूरी तरह सिद्ध हो जाता है। कई बार यह सुझाव दिया गया है कि उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में इन संस्थानों के अधिक से अधिक स्थानीय प्रतिनिधिमंडल होने चाहिए। चूंकि भारत एक विशाल देश है अतः प्रबन्धकों, उद्योगपतियों और अधिकारियों को भारत के एक भाग से दूसरे भाग में जाते रहना पड़ता है जिससे धन और समय की काफी बर्बादी होती है। इससे कार्य-निष्पादन में विलम्ब भी होता है। वर्तमान नौकरशाही और केन्द्रीकरण के मौजूद रहते प्रधान मंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने के लिए क्या छोटा व्यापारी या छोटा उद्योगपति इन वित्तीय संस्थानों के मुख्यालयों का ही चक्कर लगाता रहेगा ? यह बात व्यावहारिक नहीं है। ग्रामीणों को इससे नुकसान होता है और नया आर्थिक कार्यक्रम का उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। इसलिए ऋण सम्बन्धी आवेदनों पर क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा विचार के लिए राज्य सरकारों को भी भागीदार बनाया जाये।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही के वर्षों में किसी बजट का इतना अधिक स्वागत नहीं हुआ जितना इसका हुआ है। निष्ठावान और गतिशील नेतृत्व के परिणामस्वरूप चालू वर्ष के दौरान संतोषजनक आर्थिक प्रगति इस बजट से परिलक्षित होती है। इसके अतिरिक्त देश भर में अच्छी वर्षा के कारण भी फसल अच्छी हुई है ।

दुनिया भर के विकसित तथा अविकसित देशों में मुद्रास्फीति तीव्र गति से बढ़ रही है लेकिन भारत में न केवल वह कम हुई है बल्कि प्रवृत्ति भी बदल गई है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। थोक मूल्य सूचकांक में पिछले वर्ष 7.5 प्रतिशत की कमी हुई और राष्ट्रीय आय में वर्ष के दौरान 5.5 प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है। खाद्य उत्पादन का रिकार्ड पैदा हो गया है। अनाज 114 लाख मीटरी टन होने की आशा है तथा औद्योगिक उत्पादन में 5.5 प्रतिशत बढ़ जायेगा। भुगतान संतुलन के विपरीत रहने पर भी विदेशी मुद्रा का भंडार काफी अच्छे स्तर पर रहा।

बजट की सबसे अच्छी बात अगले वर्ष निवेश की वृद्धि है। यह बढ़कर 7,852 करोड़ किया गया जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 31.6 प्रतिशत अधिक है। यह राशि अब तक निवेश में लगाई गई किसी भी राशि से अधिक है। इसे कृषि, सिंचाई और विद्युत् जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में न्यायपूर्ण ढंग से वितरित कर दिया गया है। इसके कारण सिंचित क्षेत्र बढ़ कर 10 लाख हेक्टेयर होने की आशा है।

संतोष की बात यह है कि विद्युत, पैट्रोलियम, पैट्रो-रसयन और उर्वरकों के उत्पादन की ओर वांछनीय ध्यान दिया गया है। हमारे आर्थिक विकास के लिए इनका उत्पादन अति आवश्यक है। निवेश सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में किया गया है जिससे कृषि तथा औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा।

इस बजट की एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त मंत्री ने बचत के कई नये उपाय सुझाये हैं। बचत बढ़ाने और मंदी से प्रभावित उद्योगों को राहत देने के लिए मंत्री जी ने कई कदम उठाने की घोषणा की है। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है आय कर और धन कर की सीमांत दरों में कमी। इनसे बचत अधिक होगी। 25 प्रतिशत की दर से निवेश भत्ता देना भी एक महत्वपूर्ण और साहसी कदम है और 31 मार्च, 1976 के बाद लगाई गई मशीनरी की लागत के आधार पर 25 प्रतिशत भत्ते का अनुमान लगाया जायेगा।

बजट में कम्पनियों पर लगा 5 प्रतिशत अधिशुल्क भी हटाया गया लेकिन शर्त यह है कि कम्पनियाँ उतनी ही राशि आई०डी०बी०आई० के पास जमा करायें। इसके बदले में यह संस्था उन कम्पनियों को ऋण दे सकेगी।

फिर भी मैं मंत्री जी का ध्यान बजट के कई पहलुओं की ओर दिलाना चाहूंगा। बजट में निवेश के लिए भारी राशि एकत्र करने की व्यवस्था है लेकिन उसके लिए संसाधन एकत्र करने के प्रयास नहीं किये गये हैं। अतिरिक्त करों से केवल 80 करोड़ रुपये ही प्राप्त होंगे। कुछ धन अनिवार्य निक्षेप योजना और महंगाई भत्ते को रोकने से भी प्राप्त होगा। लेकिन इन सभी उपायों के बाद भी 320 करोड़ रुपये का घाटा रहा है। अगले वर्ष इस घाटे के बढ़ने की संभावना है। अतः वित्त मंत्री

[श्री वाई० एस० महाजन]

को यह देखने के लिए विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी कि इतना अधिक वित्तीय घाटा न रहने पाये।

स्वेच्छा प्रकटन योजना के सम्बन्ध में आयकर विभाग द्वारा किये गये कार्य की वित्त मंत्री ने ठीक ही सराहना की है। लेकिन जो कुछ प्रकट किया गया है वह तो बहुत मामूली है। अनेक लोग आयकर विभाग के फंदे से बचे हुए हैं। अतः कर समाहरण व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

गत छः महीने में कृषि उत्पादनों से मूल्य 40 प्रतिशत कम हो गये हैं और इससे कृषकों को भारी हानि उठानी पड़ रही है। मूल्य निर्धारण सम्बन्धी आर्थिक नीति इस तरह से तैयार की जानी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक विकास के कारण अधिकांश लोगों को हानि न उठानी पड़े।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री एस० के० राय (सिक्किम) : वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करने में जिस साहसिक, उत्साहजनक और व्यावहारिक नीति का परिचय दिया है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। इस बजट से प्रधान मंत्री के 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के दर्शन और देश की प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने की भावना का पता चलता है।

आय कर और धन कर की दरों में कमी के बारे में सैनान्तिक मतभेद हो सकते हैं। लेकिन मेरे विचारानुसार इस बजट से गैर-सरकारी क्षेत्र को भी अवसर मिला है कि वह मंदी के भूत को साहसपूर्वक भगा कर उत्पादन बढ़ाते हुए गतिशील बने। यह बजट प्रवर्तक है क्योंकि इसमें उच्च वर्ग और उच्च मध्य वर्ग की खपत को ध्यान में रख कर समर नीति तैयार की गई है। मध्य वर्ग समाज का बढ़ता हुआ वर्ग है जो उपभोक्ता वस्तुओं की नयी मांग पैदा कर सकता है। व्यक्तिगत कर में कमी स्वागत योग्य है।

मैं दो सुझाव देना चाहता हूं। उन वर्गों की खपत को, जिन्हें राशि निवेश करने के लिए धन कर से छूट दी गई है, उनके खर्चे से जोड़ना चाहिए ताकि मुद्रास्फीति न बढ़ने पाये। दूसरे विकलांग बच्चों के माता-पिता को भी कुछ राहत देने पर विचार करना चाहिए। शारीरिक रूप से अपंग बच्चों को स्कूल पहुंचाने में उनके माता-पिता के होने वाले वार्षिक वास्तविक खर्च को आय-कर से मुक्त रखना चाहिए। यदि राज्य इन बच्चों की शिक्षा में इस प्रकार सहायता दे सके तो इन विकलांग बच्चों को सक्रिय नागरिक बनाया जा सकेगा। अन्यथा ये बच्चे सामाजिक दायित्व ही रह जायेंगे।

सिक्किम में संसाधन और राजस्व के साधन कम हैं। अतः हमें उन सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग करना है ताकि अधिक राजस्व एकत्र किया जा सके।

सिक्किम को बहुधा पर्यटकों का स्वर्ग कहा गया है। राज्य में खनिज पदार्थों का बाहुल्य है। परन्तु इन संसाधनों का सम्यक् विकास नहीं किया गया।

नये होटलों, पर्यटक विश्राम गृह तथा युवक होटलों का निर्माण क्षमता बढ़ाने हेतु राज्य सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। पर्यटकों के आकर्षण के लिये केन्द्रीय सरकार को वहां एक केन्द्र चालू करना चाहिये।

श्री बसन्त साठे (अकोला): मैं वित्त मंत्री का इस लगभग चमत्कारी बजट लाने के लिये धन्यवाद करता हूं। पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में, जैसी कि हमारे देश में चल रही है, यह श्रेष्ट बजट है। वित्त मंत्री ने नर होते हुये नर विशेष का कार्य किया है और धरती पर स्वर्ग लाने की चेष्टा की है। हमें इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता जब हम प्रगतिशील नेतृत्व में अपने स्वप्नों को साकार कर रहे हैं। हमारे देश में केवल 3 करोड़ व्यक्तियों के पास क्रय शक्ति है। मैं नहीं जानता कि वित्त मंत्री 15 करोड़ रुपये से, जिसकी उन्होंने व्यवस्था की है, कैसे चमत्कारी कार्य कर पायेंगे? जब कभी भी ग्रामीण क्षेत्र में क्रय शक्ति आती है तब कहा जाता है कि मुद्रास्फीति रोकी जानी है। पूंजीवादी व्यवस्था में खरीदने की शक्ति कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित रहती है। इसलिये यह आवश्यक है कि पूंजीवादी स्रोतों से संसाधन गरीब वर्ग के पास पहुंचें।

शहरी क्षेत्रों में गगनचुम्बी इमारतों, भूमिगत रेलवे आदि जैसे गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्र पर पूंजी निवेश पर कम से कम पांच वर्ष के लिये रोक लगानी चाहिये। हमें दो करोड़ टन खाद्यान्नों का रक्षित भंडार बनाना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादकों के लिये कच्चे माल का लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने हेतु मूल्य में युक्तसंगत समानता के लिये हमें एक राष्ट्रीय विपणन संगठन बनाना चाहिये। हमें एक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास प्राधिकरण बनाना चाहिये। शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने हेतु एक व्यापक कानून बनाया जाना चाहिये। पूंजी निवेश प्रोत्साहन केवल उन्हें दिये जायें जो अपने उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करें। बचत को बढ़ावा देने के लिये लाभ सहित जीवन बीमा को लाभदायक बनाया जाये। परिवार नियोजन का अर्थ आर्थिक आयोजन होना चाहिये। 10,000 तक की आय पर आयकर नहीं लगना चाहिये।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई-उत्तर-पूर्व): वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत यह बजट विकास एवं उत्पादन को बढ़ावा देने वाला तो है ही साथ ही यह समाजवादी बजट भी है। इस बजट में पिछले वर्ष की समाजवादी नीतियों की उपलब्धियों को एकत्रित करेगा। इससे न केवल राजनीतिक लोकतन्त्र की रक्षा हुई है अपितु 15—20 वर्ष की हमारी समाजवादी नीतियों को भी प्रोत्साहन मिला है। इस बजट द्वारा समाजवादी नीतियों को समेकित किया गया है।

इस बजट में अधिक उत्पादन पर बल दिया गया है। उत्पादन बढ़ा कर 7800 करोड़ रुपये किया जा रहा है। कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की 460 करोड़ रुपये की राशि को विकास कार्यों पर लगाया जाएगा।

श्री सी० एम० स्टीफन: वित्त मंत्री ने बताया है कि रिजर्व बैंक के पास पड़े 480 करोड़ रुपये योजना कार्यों पर लगाये जायेंगे। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार अपने वचनों का पालन करेगी। स्पष्ट हैं कि बढ़ी हुई अवधि की राशि ही योजना अवधि में लगाई जाएगी।

978 LS—1

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक के पास 480 करोड़ रुपये की राशि को पूंजी निवेश के लिये उपयोग में लाया जायेगा। वित्त मंत्री महोदय इसे स्पष्ट करें।

श्री राजा कुलकर्णी : वित्त मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया है कि श्रमिक वर्ग का अंशदान 480 करोड़ रुपये है तथा भविष्य निधि में कुल 190 करोड़ रुपये की बचत हुई है। सरकार को 105 करोड़ रुपये की बचत होगी। इस प्रकार सरकार के पास कर्मचारियों से प्राप्त 700 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध हो जायेगी। अतः राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में एक कार्मिक क्षेत्र खोला जाना चाहिये।

जहां तक पैट्रोलियम रसायन और उर्वरकों का सम्बन्ध है शुल्की की वर्तमान दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है किन्तु वित्त विधेयक के माध्यम से सरकार को एक नया अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह बजट में शुल्क दर बढ़ा सकती है। और अधिकार सदन को मंजूर करना पड़ता है। इस उद्योग में 774 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश पर 1400 करोड़ रुपये की राशि राजस्व के रूप में प्राप्त होने की आशा है। अतः पैट्रोलियम पर उत्पादन शुल्क में कमी करने की काफी गुंजाइश है।

श्री के० एस० चावडा (पाटन) : पिछले सप्ताह विदेश मंत्री ने राज्य सभा में उल्लेख किया था कि स्वतन्त्रता सेनानी पाकिस्तान की जेल में पड़े हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : दूसरे सदन की कार्यवाही का उल्लेख करने की प्रथा नहीं है।

श्री के० एस० चावडा : बादशाह खान के स्वास्थ्य के लिये हम इस सभा में भी चिन्ता व्यक्त करते हैं। परन्तु उन नेताओं और स्वतन्त्रता सेनानियों का स्वास्थ्य कैसा है जो 26 जून 1975 से जेलों में बन्द पड़े हैं। यदि आपात स्थिति समाप्त करके उन्हें छोड़ दिया जाता है तो ठीक है। अन्यथा उनके स्वास्थ्य पर बुलेटिन प्रकाशित किये जायें।

वित्त मंत्री रोगियों पर इतने क्रूर क्यों हैं। औषधियों पर 30 करोड़ रुपये के कर लगा दिये गये हैं। औषध उद्योग 80 करोड़ पये उत्पाद शुल्क के रूप में देता है। यह उद्योग 360 करोड़ रुपये के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क देता है। अतएव वित्त मंत्री को औषधियों पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि करने के प्रस्ताव को वापस ले लेना चाहिये।

बहु-राष्ट्रीय निगमों की तोड़ फोड़ की तथा भ्रष्टता की गतिविधियां हमारे देश में जारी हैं। आरोप लगाया गया है कि मैसर्स एबट और मैसर्स मर्का शार्प एण्ड ठोम हमारे देश में सी० आई० ए० की गतिविधियों को प्रोत्साहन दे रही हैं। राष्ट्र और सरकारी क्षेत्र के हितों को दृष्टि में रखते हुये ऐसी कम्पनियों को डोक्सीसाईक्लाइन जैसी औषधियों का उत्पादन करने के लिये लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिये। सरकार के पास मैसर्स प्रीजर का डोक्सीसाईक्लाइन के उत्पादन के लिये आवेदन पड़ा हुआ है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि देश के हित में उन्हें लाइसेंस जारी न किया जाये।

वित्त मंत्री ने सूती कपड़े पर विशेष उत्पादन शुल्क समाप्त कर यथा मूल्य कर लगाने की प्रणाली आरम्भ करने का बजट में प्रस्ताव किया है। इस परिवर्तन का यही प्रभाव पड़ेगा कि सूती कपड़े का मूल्य बढ़ जायेगा और मोटे कपड़े के मूल्य कम नहीं होंगे। अतः इससे समाज के गरीब

और संवेदनशील वर्ग को कुछ राहत नहीं मिलेगी। इस बजट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे निर्धन वर्गों को राहत मिले।

प्रगतिशील दशक का सरकारी प्रेरणा से बहुत अधिक प्रचार किया गया है। अब तक कितनी प्रगति हुई है। बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। थोक मूल्यांकन जो 1965-66 में 131.6 था 1974-75 में 363.6 हो गया। इस प्रकार मूल्यों में 250 प्रतिशत वृद्धि हुई।

6 जून, 1966 को भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सुरक्षा परिषद् के स्थान के लिये भारत को 58 और पाकिस्तान को 73 मत पड़े।

कमजोर वर्ग की भलाई की बहुत चर्चा की जाती है। मुझे तो बजट में उक्त वर्ग के हित में एक भी बात नहीं दिखाई देती।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : इस वर्ष के बजट में सरकार के आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय देने की दृढ़ निश्चय की झलक मिलती है। यह सरकार की नीतियों का परिणाम है। आज हम समाज के प्रत्येक वर्ग को कुछ न कुछ सुविधायें देने की स्थिति में हैं। प्रत्यक्ष करों को घटा कर 76 से 66 कर दिया गया है। इससे औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त बढ़ाव मिलेगा।

परन्तु मुझे खेद है कि वित्त मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया। उपादानों में मात्र 100 रुपया प्रति मी० टन की राहत दी गई है। यह पर्याप्त नहीं है। ट्रैक्टरों के मूल्य बहुत अधिक हैं। बिजली पानी की दरें बढ़ रही हैं। इन सब बातों से किसानों की क्रय शक्ति घट गई है। जब तक 75 प्रतिशत जनसंख्या की क्रय शक्ति नहीं बढ़ाई जाती तब तक औद्योगिक प्रगति नहीं हो सकती। इसलिये मेरा अनुरोध है कि कृषकों को अधिक राहतें दी जायें। उर्वरक के मूल्य घटाये जायें; ट्रैक्टर सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराये जायें तथा इसी प्रकार अन्य सुविधायें कृषि क्षेत्र को भी दी जायें।

मुद्रा स्फीति से वेतनभोगी कर्मचारियों को सबसे अधिक हानि होती है। यह लोग ईमानदारी से कर अदा करते हैं। अतएव मेरा सुझाव है कि छूट की सीमा 8000 से बढ़ा कर 12000 रुपए कर दी जाये। इस प्रकार सीमांत कर दाताओं की संख्या घट जायेगी तथा आयकर विभाग बड़े करदाताओं की ओर अधिक ध्यान दे सकेगा। इससे सरकार को हानि भी नहीं होगी।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद हम ऐसे क्षेत्रों में बैंकिंग की सुविधाएं बढ़ाना चाहते थे। ऐसा लगता है कि बैंक हमारी नीतियों का अनुसरण नहीं कर रहें। ग्रामीण क्षेत्रों में धन नहीं लगाया जाता। इस समय बैंकों के 14 प्रबन्ध निदेशक हैं। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि बैंकों को 4 अथवा 5 मण्डलों में विभाजित किया जाये और उस क्षेत्र की सभी बैंकों की शाखाएं एक ही जोन में रखी जाएं।

पंजाब अपनी 60 प्रतिशत गेहूं तथा 95 प्रतिशत चावल केन्द्रीय पूल में देता है। परन्तु पंजाब की समस्याओं की ओर न जाने क्यों ध्यान नहीं दिया जाता। रावी में हर साल बाढ़ें

[श्री रघुनन्दन लाल भाटिया]

आती हैं क्योंकि नदी के उस पार पाकिस्तान ने बांध बनाया है । पंजाब में पानी का 33 प्रतिशत नष्ट हो जाता है । केन्द्रीय सरकार पंजाब के विकास के लिये आर्थिक मदद दे ।

लघु तथा सीमांत किसान योजना में पंजाब सबसे अधिक सहायता दे रहा है । वे हमें इस क्षेत्र में केवल 250 लाख रुपये देते हैं, जबकि हमारा कहना है कि हम छोटे किसानों की मदद कर रहे हैं । पंजाब को कुछ देने के बजाय उससे कुछ लिया जा रहा है । गत वर्ष के दौरान पंजाबियों का बैंक निक्षेप 250 करोड़ रुपये था, परन्तु राष्ट्रीयकृत बैंकों ने केवल 60 करोड़ रुपये का निवेश किया है । यह उचित नहीं है । मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि वह पंजाब की समस्याओं पर विचार करे । पंजाब अन्य राज्यों को चावल, गेहूं, जल और बिजली दे रहा है । परन्तु जो थोड़ी बहुत सहायता पंजाब को चाहिये, वह उसे मिलनी चाहिये ।

Shri Nathuram Mirdha (Nagaur) : The current year's budget is a new kind of budget and it is quite befitting to the present conditions. It is wrong to say that it is a capitalist budget because, without reducing the incidence of taxation and curbing the unnecessary public expenditure, the country cannot make any economic progress. It is a welcome feature of the present budget that mobilisation of fresh taxes has been lesser than in the previous years while there has been an appreciable increase of 31·6 per cent in the plan outlay.

The Finance Minister has said that there is a decline of 7 to 8 per cent in the general price index, but it does not reflect in the retail markets.

The prices of agricultural commodities such as wheat, cotton, jute etc. which are produced by small farmers have considerably declined, whereas the prices of manufactured goods have remained static. It is only an amount of Rs. 15 crores that have been provided in the budget for bringing about the development of our villages. It is a very meagre amount. Government should announce minimum support price for the produce of Rabi crop and should make arrangements for their purchase. Then, the other problems of storage or marketing of agricultural produce should be tackled at the appropriate level.

The present condition of a marginal farmer is pitiable because all sorts of arrears are being realised from him. It is, therefore, most essential that with a view to help poor farmers, arrangements must be made for the purchase of their produce at the remunerative price. The recommendations of the Agricultural Commission should be judiciously examined and steps should be taken to modify the policies in light of these recommendations.

Shrimati Savitri Shyam (Aonla) : The Finance Minister deserves congratulations for presenting a realistic budget which has given relief to almost every section of the society. The weaker sections of the society will now get consumer goods at reduced prices and the affluent sections of the society will get some relief in taxes. Industries have been benefited by this budget to the extent of 8 to 22 per cent. Still, Government have to be vigilant to see that the relief given to them is not misused by them.

The workers in the country have no doubt realised their responsibility and have made their contribution to the economic growth, but the industries have only a motive of profit so far, with the result that they take resort to lay-offs and retrenchment whenever the demands for their goods go down in the market. Government should seriously consider over this aspect.

Some industries have been started in the recent past in rural areas on the basis of recommendations of Khadi and Village Industries Commission. But it has been found that there is no market for the goods produced by them. It is, therefore, suggested that a national marketing Organisations be set up with its branches in each district in each state, with a view to facilitate the marketing of goods produced by these rural industries.

Family planning is a must for our country. Every state is framing its own legislation in this field, which is not proper. The Central Government should enact a uniform legislation for all states which should be implemented without any consideration of caste or creed. Efforts should be made to make family planning schemes successful by persuasion or by granting incentives in the first instance, and if necessary, we should not hesitate in making legislation also. With this view, it can be suggested that exemption limit for income tax be raised to Rs. 12,000 as an incentive to those who practised family planning.

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : इस वर्ष जनसामान्य के हित में बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री और सरकार बधाई के पात्र हैं। स्वतन्त्रता उपरांत पहली बार मूल्यों में कमी आई है और सरकार ने विभिन्न करों में रियायतें दी हैं जिससे जनसाधारण और विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग लाभान्वित होंगे।

वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता की प्रतिशतता क्रमशः 14.71 तथा 11.29 थी। अनुसूचित जाति की महिलाओं तथा अनुसूचित की जनजातियों की महिलाओं में साक्षरता क्रमशः 6.45 प्रतिशत तथा 4.86 प्रतिशत थी जब तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को शिक्षित नहीं किया जाता तब तक वे उपलब्ध सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते हालांकि नौकरियों के मामले में आरक्षण तथा रियायतें दी गई हैं फिर भी स्थिति संतोषजनक नहीं है।

न केवल केन्द्रीय सरकार में अपितु सरकारी उपक्रमों में भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व असंतोषजनक है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी अनुसूचित जातियों के अधिकारियों की प्रतिशतता 0 प्रतिशत से 1.10 प्रतिशत है। क्लर्कों में भी अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता 0.41 प्रतिशत से 7.67 प्रतिशत है। अतः सेवाओं में उनके कोटे को पूरा करने के लिए काफी प्रयत्न करने की आवश्यकता है। यह कहना सही नहीं है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में योगय उम्मीदवार नहीं हैं।

स्वतन्त्रता उपरान्त सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण में काफी रुचि ली है। सरकार ने 500 आदिवासीय विकास खण्डों की स्थापना की है। अब इन आदिवासीय विकास खण्डों को समेकित क्षेत्र विकास योजनाओं में मिला दिया गया है। हमें बताया गया है कि आदिवासीय विकास हेतु राज्यों की उपयोजनाएं तैयार करनी पड़ती हैं लेकिन अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने आदिवासीय विकास की किसी उपयोजना को अन्तिम रूप नहीं दिया है। सरकार को चाहिए कि वह राज्य सरकारों को यह उपयोजनएं अविलम्ब तैयार करने के लिए कहें। आदिवासीय विकास खण्डों में शराब जैसी बुराई को समाप्त किया जाए।

Shri V. Tulsi Ram (Peddapalli): I welcome the budget. I however, feel that necessary attention has not been paid to the agricultural sector. The prices of agricultural inputs like fertilisers etc., has gone up, but the prices of agricultural commodities has come down. This has created difficulties for the farmers and they are discouraged. This should be looked into.

Although banking facilities have been extended to rural areas, the procedure to receive loans is long and cumbersome. This should be simplified.

The 20-point Programme of our Prime Minister is commendable and will go a long way in providing relief and help to the poorer sections of our society. But we should ensure that it is properly and expeditiously implemented in the states. Unless the machinery to implement the programme is strengthened and made effective, its benefits will not penetrate to the masses.

I will like to draw the attention of the Government to a case of high-handedness on the part of the police in Hyderabad. In spite of the fact that an injunction was issued in favour of protected tenants by the Court, one of the tenants had been murdered by anti-social elements. It is unfortunate that in this dispute the police had blantantly sided with those elements. I will urge upon the Government to look into this case and see that the lawful tenants are protected.

श्री के० मायवर (डिंडावेंडीगुल) : यह एक यथार्थवादी और विकासोन्मुख बजट है जिसमें कल्पना-शीलता और गहरी अन्तर्दृष्टि से काम लिया गया है। पहली बार ऐसा बजट पेश किया गया

[श्री क० मायवर]

है जिसका अधिकांश लोगों ने स्वागत किया है। इसमें जनसाधारण का ध्यान रखा गया है। बजट प्रस्तावों का उन पर भार नहीं पड़ा है ।

प्रधान मंत्री का 20-सूत्री कायक्रम इस देश की जनता का कार्यक्रम है अतः हमें यह देखना चाहिए कि लोग इसमें भावनात्मक रूप से भाग लें।

आपातस्थिति की घोषणा के बाद कई वस्तुओं के मूल्यों में कमी हुई है लेकिन पैट्रोल की कीमत में कमी नहीं की गई है। सरकार को पैट्रोल की कीमतों में कमी करने के लिए शीघ्र और प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए। आज जो देश में अफवाहें फैलाई जा रही है, उससे हमें बचना चाहिए।

राजनीतिज्ञों की आयु सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। संविधान में इसके लिए उपबन्ध किया जाना चाहिए। कृषि श्रमिक तथा गरीब किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। वे समूचे देश को अनाज उपलब्ध करते हैं किन्तु स्वयं कर्जे में जन्म लेते हैं, कर्जे में ही जीवन बिताते हैं और अन्ततः कर्जे में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। यहां तक कि वह कर्जा उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अतः सरकार को उनकी दरिद्रता दूर करनी चाहिए। उन्हें रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिएं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक उद्योग स्थापित किए जाने चाहिएं ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। वर्ष के 385 दिनों में से उन्हें केवल 150 दिन रोजगार मिलता है। शेष दिन वे बेकार रहते हैं। अतः सरकार को उनके हितों की रक्षा करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए।

अब मैं कुछ हथकरघा उद्योग तथा करघा बुनकरो के बारे में कहना चाहूंगा। हमें पता है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने हमेशा ही इनकी उपेक्षा की है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बुनकरों के एक या दो केन्द्र हैं किन्तु इतने से कुछ नहीं होगा। तकनीकी तथा वैज्ञानिक विकास का हथकरघा उद्योग पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाना चाहिए। उन्हें मालिकों के चंगुल से बचाया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक सरकार में मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। संसद सदस्यों, विधायकों, मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों के 25 प्रतिशत पद महिलाओं के लए आरक्षित किए जाने चाहिएं।

Shri Satpal Kapoor (Patiala): This Year's budget is unique in the sense that it do not contain any irritation for any section of our population; on the other hand it has provided relief to certain sections.

One more opportunity has been extended to the private sector to participate in a big way is the economy of our country, so far our experience with the private sector has been discouraging. It is hoped that this time they will come up to the expectations and contribute to our growing economy.

The plan outlay has been increased by 31 per cent as compared to the last budget. This is a commendable step on the part of the Government. During the recent month's prices of agricultural commodities have been going down steadily. It is apprehended that this trend will continue unabated in the coming months because we have a record production this year. Therefore, it is imperative that procurement drive should be stepped up and all available foodgrains from the producers should be procured. The target of procurement should be raised to 15 m. tonnes.

I regret that Government have no foolproof price policy in regard to agricultural commodities which should take into consideration various factors like inputs, procurement, storage and issue price etc., of the agricultural commodities involved. I will urge upon the Government to give a serious thought to this matter. There are great possibilities of expansion of river transport. Government should explore potentialities for its development.

More attention should be paid towards Punjab which has not been given its due share of industries and development projects.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhun): This budget gives many concessions and reliefs to the private sector. A hope has been expressed in the budget that private sector willrise to the occasion and make its due contribution in the growth of our economy. However, so far our experience with the private sector has been disappointing. They are required to be dealt with a firm hand.

I regret that while duty on motor vehicles, television sets etc., has been reduced, no such reduction has been made in the case of pump sets used by the agriculturists. Although the duty on fertilizers has been reduced, but that small reduction is not going make any impact on the price of fertilizers.

While the prices of manufactured articles are more less stable, there has been a steady downward trend in the prices of agricltural commodities. Therefore, it is imperative to step up procurement drive so that further erosion in prices can be checked.

Government should introduce some kind of compulsory insurance scheme with a low rate of premium which can cover poor people in rural areas.

More attention should be paid to the essential requirements of the people who live in remote villages or in desert areas. Drinking water, medical facilities and other social services can be made available to them.

Although something has been done under the 20 point Programme but more is required to be done to help the poorer section of our Society so that they can also contribute their might in the development of our country.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon): The budget proposals reflect a practical approach of the Government. I, therefore welcome the budget.

The plan outlay in the budget has been increased by 31 per cent as compared to the last year's budget. It is a courageous and commendable step on the part of the Government.

Some reduction has been made in the prices of fertilizers. This will result in some relief to the farmers. It is expected that the production of foodgrains will go up to 114 million tonnes. This will not only meet the demand of our country but would enable us to have a sufficient buffer stock. My suggestion is that the procurement price of wheat which is at present Rs. 105 per quintal should be raised to Rs. 110 per quintal so that the producer might get incentive to produce more.

I am happy that efforts have been made to implement land reforms under the 20 point Programme. Necessary infra-structure for agricultural development should be created to give a boost to the rural economy.

The population of our Country is rising at an alarming rate. If it is allowed to rise at this rate this will cross 100 mark in the year 2000 A.D. Therefore, more funds should be allocated for family planning.

Shri Ram Deo Singh (Maharajganj): I could not understand how this budget can be called a socialist budget.

The Finance Minister has given some concessions to the private sector and said that by giving concessions to the private Sector, it will be encouraged to produce more. But in fact it is a election budget and even common man is also seized of it. The ruling party wants money for fighting next elections. They will get crores of rupees from private sector for elections. That is why Government have extended big concessions to them.

Government have claimed that there has been progress in the country. It is being propoguted through Radio and other news media. Although much has been said in regard to

[Shri Ram Deo Singh]

the achievements of the Government during the last decade there has been no increase in the *per capita* income. The availability of essential items like cloth has gone down. So all these things indicate that we are not progressing.

After the proclamation of emergency Government have for gotten five year plans. Now 20 point progress Programme has replaced five years plan. Wide publicity is being given to the 20 point programme.

Prices of machinery and manufactured articles like pumping sets, cement and tractors have risen steeply during the recent months. But the prices of agricultural commodities have come down. Steps should be taken to stabilise the prices of agricultural commodities.

Sugar mills owners have to pay arrears amounting to Rs. 50 crores to the cane growers, efforts should be made to clear the arrears so that the poor farmers may not suffer any further.

राजस्व तथा बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : कोई भी चाहे वह सरकार ही हो यह दाव नहीं कर सकता कि यह बजट त्रुटिहीन है । देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो कुछ अपेक्षित था, वह हम करते रहे हैं । ठीक ही कहा गया है कि वित्त मंत्री के पास बहुत कम विकल्प रहता है । एक ओर तो उसे विकास की आवश्यकता पर ध्यान देते हुए बजट पेश करना होता है तो दूसरी ओर यह भी देखना होता है कि देश की आर्थिक स्थिति न बिगड़े । इस संदर्भ में अधिकांश वक्ताओं ने यह स्वीकार किया है कि योजना परिव्यय में 31.6 प्रतिशत वृद्धि होने से काफी लाभ होगा जिससे विनियोजन करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और अन्ततः यह देश के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा ।

आशंका व्यक्त की गई है कि राजस्व में पूरे न किए गए अन्तर से मूल्यों में और स्थिरता आयेगी । वर्तमान स्थिति, आर्थिक उपाय तथा अन्य की गई कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मूल्य स्थिरता को बनाये रखना संभव हो सकता है बशर्ते कि कुछ अप्रत्याशित घटनाएं न घटें । प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में कमी से देश के कुछ राजस्व में कमी नहीं आयेगी ।

यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि बजट धन एकत्रित करने के लिए बनाया गया है या इसमें एकाधिकार गृहों को रियायतें दी गई हैं । वस्तुतः करों में कमी से समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ होगा । साथ ही यह भी कहा गया है कि निम्न आय वर्ग में आयकर की दर बहुत कम मात्रा में घटाई गई है जबकि उच्च आय वर्ग के लिए आयकर की दर बहुत घटाई गई है । इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारी जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए कराधान बहुत ही महत्वपूर्ण है । इससे आर्थिक विषमता दूर होगी । किन्तु इसके साथ ही हमें निवेश नीति और औद्योगिक लाइसेंस नीति की ओर भी ध्यान देना होगा । तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं । इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि गत कुछ वर्षों में सरकार ने इस दिशा में प्रयत्न किए हैं । अतः आयकर की दर कम करने पर यह कहना सही नहीं कि हम समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता को दूर करने के प्रति जागरूक नहीं हैं ।

कुछ लोगों को आश्चर्य है कि करों की दर कम क्यों नहीं की गई है । हाल ही के वर्षों के अनुभव से हमें पता चला है कि कर की ऊंची दर रखने से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि काले धन की वृद्धि का एक कारण यह भी है इसीलिए वित्त मंत्री ने करों में यह परिवर्तन किया है ।

मैं अपने मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त को यह स्पष्ट कर दूं कि सरकार द्वारा निरन्तर सख्ती की जा रही है । फरवरी 1975 में हमने 119 छापे मारे तो फरवरी 1976 में हमने 175 छापे मारे । पिछले वर्ष से हमने छापे मारने का कार्य काफी तीव्र कर दिया है । सम्पत्ति को

जब्त करने के कार्य में भी तीव्रता आई है । माननीय सदस्य मेरे साथ इस बात पर सहमत होंगे कि यह छापे बिना किसी भेदभाव के अनेक स्थानों पर मारे गये । परन्तु इसके साथ ही हमें यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि केवल मात्र छापे मारने या तलाशी लेने से ही आर्थिक जीवन में व्याप्त अनियमितताओं को समाप्त नहीं किया जा सकता । इसके लिए निश्चय ही में कुछ आर्थिक उपाय भी करने होंगे । यह दावा भी किया गया है कि शुद्ध राजस्व में कोई कमी नहीं होगी। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जो लोग करो की जाल से अपने आपको बचा लेते हैं, उन्हें करों से बचने नहीं दिया जायेगा ।

प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में कुछ करने से पूर्व मैं एक सामान्य बात यह कहना चाहता हूं कि 1950-51 में हमने 173 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर प्राप्त किये थे तो 1976-77 में यह बढ़कर 2,152 करोड़ रुपये हो गये हैं । प्रत्यक्ष करों की वसूली के लिए हमने कुछ कारगर कदम उठाए हैं जिनके फलस्वरूप कर अपवंचन को रोका जा सके । इस सम्बन्ध में एस० आर० पी० समिति की सिफारिशों पर भी विचार किया जा रहा है । इसी प्रकार तम्बाकू के उत्पादन शुल्क के संबंध में समिति द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें सुझाये गये उपायों पर भी विचार किया जा रहा है ।

यह कहा गया है कि निम्न आय वर्ग में आय की दर बहुत कम घटाई गई है जब कि उच्च वर्ग में इसे काफी कम किया गया है परन्तु तथ्य यह है कि ऐसा कहना सही नहीं है । अब 8000 रुपये तक कोई आयकर नहीं गया । 10,000 रुपये तक आयकर 3.3 प्रतिशत की दर से लिया जाता है जबकि 3 लाख रुपये की आय पर आयकर की दर 58.37 प्रतिशत है । अतः कर की दर में दर स्तर पर उतरोत्तर वृद्धि होती जाती है । इसके साथ ही इस सम्बन्ध में हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि अभी पिछली जुलाई में ही निम्न आय वर्ग के लिए आयकर से छूट की सीमा को छः हजार से बढ़ा कर आठ हजार किया गया था ।

हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि विलासिता की वस्तुओं तथा टेलीविजन, रेफ्रीजरेटर आदि पर राहत क्यों दी गई है । इसमें सन्देह नहीं है कि हमारे देश में इन वस्तुओं का अधिक उपयोग धनी वर्ग द्वारा ही किया जाता है । परन्तु इसके साथ ही हमें यह भी देखना होता है कि यदि किसी उद्योग में धन लगाया गया है तो उसकी क्षमता का उपयोग करना भी हमारा दायित्व होता है । जब स्थिति यह हो गई थी कि मांग के कम हो जाने पर टेलीविज़न और रेफ्रीजरेटरों के कारखानों की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा था । अतः इन परिस्थितियों में इन उद्योगों के लिए कुछ रियायतें देना आवश्यक हो गया ।

कार उद्योग के सम्बन्ध में भी कुछ सदस्यों द्वारा टिप्पणी की गई है ।

[श्री जी० विश्वनाथन् पीठासीन हुए ।]

[SHRI G. VISHWANATHAN *in the Chair*]

मैं इस सम्बन्ध में केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि कार उद्योग की मांग को बढावा देने के लिए ही कुछ रियायतें दी गई हैं । उनके समक्ष कुछ कठिनाइयां थीं जिन्हें दूर करने के लिए यह कदम उठाये गये हैं ।

[श्री प्रणबकुमार मुखर्जी]

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा बैंक दर का भी उल्लेख किया है । बैंकों की स्थिति यह है कि अब उन्हें बहुत कठिन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ रहा है । प्रत्येक 100 रुपये में से 33 रुपये बैंकों को सीधे स्वीकृत सिक्यूरिटियों में लगाने पड़ते हैं । इन पर बैंको को 6 प्रतिशत का ब्याज मिलता है । कुछ धनराशि ऐसी भी होती है जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता । कहने का तात्पर्य यह है कि भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न ब्याज दर है । अतः बैंकों की ब्याज दर के बारे में अधिक कुछ कर पाने की गुंजाईश नहीं है । हां, बैंकों की कार्यकुशलता में सुधार करके, उनकी लागत को कुछ कम किया जा सकता है ।

कुछ सदस्यों का कहना था कि ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था के विकास के लिए बैंकों से सहायता उपलब्ध नहीं होती है । मैं इस सम्बन्ध में विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत कर, माननीय सदस्यों को बोर तो नहीं करना चाहता, हां मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण के उपरान्त गांवों में बैंकों की शाखाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है । आज ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की संख्या 1700–1800 से बढ़कर 7000 के लगभग हो गई है ।

जहां तक ऋण आवश्यकताओं का सम्बन्ध है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अवसर पर यह मांग 54 करोड़ रुपये थी तथा जून 1975 तक यह बढ़ कर 540 करोड़ रुपये हो गई । अब हमारा अनुमान है कि बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऋण देने के लिए 3 हजार करोड़ रुपयों की आवश्यकता है । यदि हमारे सहकारी क्षेत्र और व्यापारिक क्षेत्र में बैंक मिलकर भी प्रयत्न करें तो वह 1400 या 1500 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण उपलब्ध नहीं करवा सकते । अतः बीच के इस बड़े अन्तर को हमें किसी न किसी प्रकार तो पूरा करना ही पड़ेगा । यही कारण है कि तीसरे ऋण संस्थान के रूप में प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है । अब तक 12 बैंकों की स्थापना की जा चुकी है तथा 4 अन्य को स्वीकृति दी जा चुकी है जो शीघ्र ही स्थापित हो जायेंगे । परन्तु, तथ्य तो यह है कि केवल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना से ही लोगों की ऋण की समस्या का समाधान नहीं हो जायेगा । हमें इस कार्य के लिए अन्य समर्थक संगठनों की स्थापना भी करनी पड़ेगी ।

मैं अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व माननीय सदस्यों द्वारा की गई इस टिप्पणी का स्पष्टीकरण भी कर दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित किये गये 10 मीलों वाले फ़ार्मूले में हम आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी कर सकते हैं । यह फ़ारमूला ऐसा नहीं है कि जिसमें परिवर्तन न किया जा सके । हम इस सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या को भी दृष्टिगत रखते हैं ।

श्री वसन्त साठे: क्या सरकार कोई ऐसा समाधान नहीं निकाल सकती जिससे कि लोग ऋण की अदायगी किसी अन्य वस्तु देकर कर सकें ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : इस सुझाव पर ध्यान से विचार करना होगा । इस ओर हमने कुछ कदम उठाये भी हैं जो अपर्याप्त हैं ।

Shri Rajdeo Singh (**Jaunpur**): There has been a lot of reaction to this budgets through out the country but majority of country men do not understand the significance of this budget.

We should not ignore the economic structure of the country while analysing this budget. 40 per cent masses are still living below the poverty line even after 25 years of independence. Some 80 per cent of the masses cannot afford clothing. Let us see how this budget help relieve the miseries of the down trodden section of the society.

Taxes have been removed from so many items of daily use like refrigerators and soap, but 4 percent of the population cannot afford these items and this relief hardly means anything to them.

The Government seems to be paying special attention towards car factories but motor car cannot be popular until petrol prices are brought down.

Six crore children of the country are not getting nutritious food as a result of which 2½ crore children are dying every year. Government should do something to provide nourishing food to such children.

Excise duty on patent medicines has been increase which is against the interest of the poor people. The Government should withdraw this increased duty.

We should pay also sufficient heed towards food production by identifying and sealing the leakage spots.

Rat menace is also causing incalculable damage to the foodgrains. A drive towards killing the rates needs to be launched by providing necessary incentives througl television, radio and newspapers.

Uttar Pradesh has not benefited through out the long period of planning in the country. Its condition has rather detetiorated after launching the 4th five year plan. No financial assistance was provided to it during 1st and 2nd plan periods. The per capita income in that state in 1951 was Rs. 259·62 .... (*Interruptions*).

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया (मंजरी) : मैं इस बजट का समर्थन करता हूं क्योंकि इससे एक आशा की किरण उभरी है। मन्त्री महोदय ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर सम्बन्धी कुछ रियायतों की घोषणा की है। लेकिन इन रियायतों के बावजूद भी कीमत नहीं घटी हैं। खाद्यान्नों तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी होना जरूरी है। सर्वसाधारण के उपयोग के मोटे कपड़े के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

केरल राज्य के लिये 95,000 टन चावल जरूरी है और आशा है कि सरकार इस मात्रा में चावल की सप्लाई कर लेगी। यदि केन्द्रीय सरकार खाद्यान्न की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं करती है तो केरल राज्य को एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ेगा।

यह बात प्रसन्नता की है कि सरकार ने उर्वरक की कीमतें कम कर दी हैं और किसानों को इससे अवश्य लाभ पहुंचेगा। केरल की अर्थव्यवस्था नारियल पर आधारित है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से नारियल के न्यूनतम मूल्य निश्चित करने के लिये कहा है लेकिन केन्द्रीय सरकार ने अभी तक इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया है।

इड्डिकी परियोजना के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। कहा जाता है कि दूसरे चरण का काम राशि के अभाव में अभी शुरू नहीं किया जा रहा है।

विदेशी मुद्रा के अर्जन को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में ईंधन के निर्यात जैसी कुछ पाबन्दियों को हटाया जाना चाहिये। केरल राज्य के सामने शिक्षित बेरोजगारी की समस्या है। हमारे शिक्षित युवक कुछ प्रतिबन्धों के कारण रोजगार प्राप्त करने के लिये अन्य राज्यों तथा विदेशों को नहीं जा सकते। यदि सरकार विदेशों को जाने सम्बन्धी प्रतिबन्धों को हटाये तो न केवल विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा बल्कि बेरोजगारी समस्या भी हल होगी।

20 सूत्री कार्यक्रम के लिये लोगों के बीच काफ़ी उत्साह है। इस उत्साह को बनाये रखना चाहिये। मुझे आशा है कि सरकार पैट्रोल के मूल्य कम करने की ओर उचित ध्यान देगी।

निर्माण तथा आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : अभी अनेक सदस्यों ने अपने अपने भाषण देने हैं। अतः मेरा सुझाव है कि सभा आज 7 बजे शाम तक बैठे।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि सभा इस सुझाव से सहमत है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निज़ामाबाद) : मैं वित्त मन्त्री को इस बजट को प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं।

खाद्यान्न को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने सम्बन्धी पाबन्दियां हटाई जानी चाहियें। सारे ज़ोन समाप्त किये जाने चाहिये ताकि अनाज आसानी के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य को ले जाया जा सके।

एक बार प्राप्त किया गया उत्पादन लक्ष्य कम नहीं होने दिया जाना चाहिये। चीनी का उत्पादन लक्ष्य इस वर्ष 4 लाख टन कम होने की आशा है। लेकिन उत्पादन कम होने की दशा में भी हमें अधिकाधिक चीनी का निर्यात करना चाहिये ताकि विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके।

सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर 20 प्रतिशत से अधिक राशि खर्च नहीं की जानी चाहिये। यह बात खेदजनक है कि बजट का 70 प्रतिशत भाग राज्यों अथवा केन्द्र में कर्मचारियों के वेतन पर व्यय किया जाता है। विचित्र बात तो यह है कि कुछ राज्य सरकारें ओवर ड्राफ्ट लेकर अपने कर्मचारियों का वेतन बढा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार को राज्यों की वित्तीय स्थिति पर नियन्त्रण रखना चाहिये। कुछ राज्य कर्मचारियों के वेतनों में बहुत वृद्धि कर रहे हैं। मूल्यों में अब गिरावट आ गई है। इस स्थिति में, मन्त्री महोदय क्या सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कमी कर रहे हैं?

सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋणों की वसूली के लिये भी उसी प्रकार का कानून बनाना चाहिये जो सहकारी बैंकों के लिये बना है।

व्यापार में लगभग 5 अथवा 6 प्रतिशत लोग अपराधी हैं। परन्तु इतने व्यक्ति ही बैंक को समाप्त कर सकते हैं।

यदि सरकार जनता की सहायता नहीं करती, उन्हें पर्याप्त पानी उर्वरक उपलब्ध नहीं कराती तो उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा। पानी बिजली तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ा दिये गये हैं। परन्तु किसानों को पिछले वर्ष को आधार मान कर भुगतान किया जा रहा है। भूमि कर दुगना कर दिया गया है। महाराष्ट्र में शिक्षित बेरोजगारों के लिये एक योजना बनाई गई है। दस शिक्षित बेरोजगार एक सोसाइटी बनाते हैं तथा जिला कलक्टर उन्हें कुछ न कुछ कार्य देता है। आय कर देने वालों की आय औसत आय का 10 या 12 गुना होती है। अतएव छूट की सीमा 8000 से अधिक न रखी जाये।

Shri Paripoorna nand Painuli (Tehri-Garhwal) : This Budget can rightly be termed as a Janta Budget. Shri Subramaniam was holding Finance port folio last year as well so the most of credit for this budget goes to the Emergency. After the declaration of 20 point economic programme by the Prime Minister there has been an all round improvement in every where.

I agree that unemployment has risen in our country. During September 1975 the number of the unemployed in the country was 92 lakhs 54 thousand. I feel that miseducated are unemployed persons. I think there is need for a total change in education.

Our budget should be indicative of our programmes from five years and our plans should visualize the economic position of the country from fifty years. We find that our budget and plan do not have prefer link with the past.

Certain concessions have been given in industrial sectors and some incentives have been provided for highter production. Shri Pai declared that these concessions and incentives have been given in order to benefit the consumers. Efforts should be made to see that the consumers are really benefited.

There has been an increase in production by 35 percent in public sector where as the production has not increased in private sector in that proportion. Same policy declaration should be issued so that production increases in the private sector as well.

Sufficient provisions have not been made for weaker sector. Harijans Adivasis and backward classes.

I congratulate the Government for taking stern action against the smugglers. The number of tax evadors is higher than the tax payers. It is not known why proper attention is not being given towards this matter.

The Government has not given any protection or support price to growers of apples etc. in hilly areas. The economy of hill regions would deteriorate.

Droughts and the floods create havoc every year. No. provision has been made to check these natural clamities on a long term basis.

Bundelkhand is one of the three backward regions of Uttar Pradesh but this region is not given its due in the matter of financial assistance. It should be treated at par with other regions.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : आपात स्थिति की घोषणा तथा 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किये जाने के बाद यह पहला बजट है। इस पर बहुत आशाएं लगी हुई थी।

यह सही है कुछ राहतें दी गई हैं और योजना पर भी बल दिया गया है। आम जनता की भलाई के लिये अपेक्षित कार्य नहीं किया गया। बजट विदेशी सहायता पर अधिक निर्भर करता है।

बजट का आने वाले समय में मुद्रा स्फीति पर प्रभाव पड़ेगा।

सरकार आम जनता के लाभ की योजनाएं लाने में विफल रही है। स्वैच्छिक प्रकटीकरण के दौरान कुछ कांग्रेसी सदस्य उच्चतम आय वाले वर्ग के लिये कम करों की वकालत कर रहे थे। उनकी यह मांग पूरी कर दी गई है।

वर्ष 1971–72 में अधिकतम आय कर की दर 93.5 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष उसे 77 प्रतिशत कर दिया गया और इस वर्ष 66 प्रतिशत किया जा रहा है। जिन लोगों को वास्तव में सहायता दिये जाने की आवश्यकता है उन्हें थोड़ी सी सहायता दी गई है।

जयपुर शुगर तथा आन्ध्र प्रदेश में करोड़ों रुपए की आय छिपा कर रखी गई है परन्तु उस बारे में समुचित कार्यवाही नहीं की गई है। वित्त मन्त्री विश्व को धोखा दे रहे हैं कि यह बजट थोड़े घाटे का है।

बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मन्त्री ने कहा था "490 करोड़ रुपये घाटे का बजट में 100 करोड़ रुपए घाटा कम हो जाता यदि रिजर्व बैंक से विशेष ऋण का लाभ उठा लिया जाता। पिछले वर्ष घाटा 490 करोड़ रुपए का घाटा बिना पूरा किये छोड़ दिया गया है। इस वर्ष आपका सुझाव 450 करोड़ रुपया बैंक से लेने का है और 320 करोड़ का घाटा बिना पूरा किये छोड़ दिया गया है। इस प्रकार

[श्री सी० के० चन्द्रप्पन]

वर्ष के अन्त तक घाटा 800 करोड़ रुपए का हो जायेगा। इस बारे में यदि समुचित उपाय न बरते गये तो देश में मुद्रा स्फीति की स्थिति पैदा हो जायेगी।

हम देश में समाजवाद ला रहे हैं इसलिए हमें अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष करों पर अधिक आश्रित रहना चाहिए। हमें, देश में अप्रत्यक्ष करों में कमी करनी चाहिये। जब हम उच्च आय वालों को दी गई रियायतों का विरोध करते हैं तब यह तर्क दिया जाता है कि ऊंची दर के कर लगने से करों की चोरी अधिक होती है।

ब्रिटेन में करों की उच्चतम सीमा 80 प्रतिशत है। जहां आपने 66 प्रतिशत कर दी है। बीड़ी बनाने वालों पर तो अधिक कर लगाया गया है परन्तु बिड़ला और टाटा आदि को छूटें दी गई हैं। आज भी अच्छी फसल का दावा किया जा रहा है परन्तु हम आयातित अनाज पर निर्वाह कर रहे हैं। आपात स्थिति में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की गई है। परन्तु खेद है देश में फासिस्टवाद का खतरा पैदा करने वालों को अधिकाधिक रियायतें दी जा रही हैं।

मात्र आपातस्थिति घोषित करने से आप प्रतिक्रियावादी शक्तियों से नहीं लड़ सकते। आज आर्थिक समीक्षा में सरकारी क्षेत्र की बढ़ती हुई शक्ति की तो चर्चा की जाती है परन्तु राष्ट्रीयकरण की चर्चा नहीं की जाती। सरकार चीनी, वस्त्र और पटसन उद्योगों के राष्ट्रीयकरण में विफल रही हैं। जून 1975 में दावा किया गया था कि भूमि सुधारों और भूमि की उच्चतम सीमा के कानूनों को क्रियान्वित किया जायेगा। इसमें कितनी सफलता मिली है। बिजली उत्पादन में जो धन आप लगायेंगे उससे ग्रामीण क्षेत्रों में अमीर लोग पैदा हो जायेंगे जिनकी हमारे लोकतन्त्र को आवश्यकता नहीं है।

Shri Kuskak Bakule (Ladakh): The budget presented by the Finance Minister is very benifieial. The 20 point economic programme announced by the Prime Minister has improved the economic situation of the country.

The budget does not mention as to what amount has been alloocted to Ladakh. Ladakh is a very backward area with problems of its own. The Central Government should set up a Committee to tackle its problems. Steps should be taken to generate electricity there.

Ladakh has a stategic position with China an one side and Pakistan on the other. Pakistan cannot harms us. But China is building heavy projects whereas no development work has been undertaken there. Its area is 49000 sq. miles. Leh is its district headquarter and is 150 miles from China. First of all the Government should arrange to electrify Ladakh.

A Hydro-electric scheme known as Stakhna project was started some time back and an amount of rupees three crores was spent on it.

(श्री सी० एम० स्टीफन पीठासीन हुए।)

(SHRI C.M. STEPHEN *in the Chair*)

It is not known as to why it was dropped last year. The project should be completed in under to bring about economic development of the area. It is said that a second project namely "Upashi" would also be started Stakhna project would cost 40 crores of rupees and as such it has been shelved for the present. What is the justification for it. So I request you to complete the Siakhna project.

The officials of All India Radio working in Leh do not get their full allowance. As these officials work from morning till late night they must be given winter allowance. There is

no big businessmen in Ladakh and the dealers of the area are not liable to tax. No income tax should, therefore, be imposed on the businessmen of Ladakh, for next four to five years.

It was stated under 20 point economic programme that special attention would be paid towards backward areas. But no attention is being paid to Ladakh. Ladakh should be declared a scheduled Tribes and scheduled area. It would facilitate the people of Ladakh to make use of facilities that would be provided under that programme to help the backward areas.

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : वाद-विवाद में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए मैं उनका ध्यान एक अन्य मामले की ओर दिलाना चाहती हूं। यह तो स्वाभाविक ही है कि माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र के आर्थिक मामले सभा में रखे जिससे समूचे देश में विकास हो सके तथा क्षेत्रीय असमानताएं दूर हो सकें।

बीमा योजना तथा राष्ट्रीय योजना जैसे उपक्रमों से लोगों की बचत में वृद्धि हुई है और इन योजनाओं ने राष्ट्रीय विकास के विस्तृत कार्यों में भारी योगदान दिया है। लेकिन बीमा के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि क्षेत्रीय असमानताएं दूर हों, पालिसीधारियों के धन में से केवल अधिकतम लाभ हो बल्कि इसके साथ ही यह जनसाधारण के हितो में सहायक हो। जीवन बीमा निगम के राशि निवेश के तरीके के अनुसार इस धन का अधिक भाग केन्द्रीय प्रतिभूतियों या राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के माध्यम से इस तरह से खर्च करना तय किया गया है कि अधिक धन आधारभूत क्षेत्रों के निर्माण में लगाया जाये। जो समग्र रूप से कुल अर्थ-व्यवस्था के लिये अनिवार्य है। कुल मिला कर पालिसियों की संख्या पहले से कहीं अधिक है। इनमें से अधिकांश पालिसियां उन लोगों की हैं जो मेहनत और कठोर कार्य करते हैं। गृह-लक्ष्मी पालिसी से जरूरतमन्द लोगों, विधवाओं, वृद्धाओं को सहायता मिलेगी।

31-3-75 को आवास के लिये 410 करोड़ रुपये की राशि थी। अप्रत्यक्ष रूप में यह राशि कई प्रकार से दी गई है। दावे कम करने तथा विलम्ब दूर करने हेतु हाल ही में किये गये सघन अभियान से हमें पता चला है कि कुछ स्तर तक अर्थ-व्यवस्था में सुधार हुआ है। इन सभी कारणों से जीवन बीमा निगम की पालिसीधारियों का भविष्य बहुत उज्ज्वल होगा।

पशु बीमा योजना आरम्भ की गई है तथा इसका विस्तार किया जायेगा।

सामान्य बीमा निगम 31 मार्च से 'जनता एक्सीडेंट पालिसी' के नाम से चालू की जा रही है। उससे तथा अन्य वाहनों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को कुछ राहत मिलेगी। कृषि के क्षेत्र में पम्प सेटों का भी बीमा किया जा रहा है। इससे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

पालिसीधारियों से जो पैसा वसूल होता है उसका सही उपयोग होता है। हम फ़सल बीमा के बारे में जल्दी कार्यवाही करना चाहते हैं परन्तु इस बारे में कई बातों को ध्यान में रखना है। प्रतिवेदन आने पर इस सम्बन्ध में कोई निर्णय ले सकेंगे।

जहां तक छोटी बचत का सम्बन्ध है, उस समय जब मुद्रास्फीति बढ़ रही थी और सूखा पड़ रहा था तब हम ने छोटी बचत आन्दोलन के माध्यम से 1,384 करोड़ रुपये एकत्र किये जबकि 769 करोड़ रुपये का लक्ष्य बनाया गया था। अतः हमारे देश में संसाधन जुटाने के लिए बचत आन्दोलन विशालतम साधन है।

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

माध्यमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक हमारे देश में कुल 10 करोड़ छात्र हैं और यदि प्रत्येक छात्र एक रुपया मासिक जमा करे तो हम भारी सफ़लता प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से एक वर्ष में राजकोष में 100–120 करोड़ रुपये की राशि जमा हो सकती है। इस राशि का देश के विकास कार्यों में उपयोग किया जा सकता है।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : बजट की यह एक सराहनीय विशेषता है कि आय कर की ऊंची दर 77 प्रतिशत से घटा कर 60 प्रतिशत कर दी गई है। लेकिन अधिकाधिक लोगों को आयकर के नियमों के अधीन लाने की आवश्यकता है। अपने ही रोजगारो में लगे लोग, वर्कशाप मालिक, मैकेनिक तथा अन्य लाखों लोगों को आयकर देना चाहिए क्योंकि ये लोग आयकर नहीं देते हैं। इस प्रयोजन के लिए मंत्री जी को ऐसा नियम लागू करना चाहिए कि समग्र धन का आदान-प्रदान कम कर के न्यूनतम कर दिया जाये और सभी कार्य-व्यवहार चैको और ड्राफ्टों के माध्यम से किया जाना चाहिए। तभी एक व्यक्ति की आय का पता लग सकता है।

इस कार्य के लिए अधिक बैंको की आवश्यकता होगी। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक या वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं खोली जानी चाहिए ताकि गांवो में रहने वाले लोगों को नकद राशि के बजाय चैको और ड्राफ्टों में अपना कार्य व्यापार करने के लिये बाध्य किया जा सके। ग्रामीण लोगों को ऋण देने हेतु वित्त मंत्री को तुरन्त कदम उठाने चाहियें। समझ में नहीं आता कि जिन बैंकों ने 50 करोड़ रुपये की सीमा लांघ ली है, उनका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया गया है। यह नीति निर्धारित की गई थी कि जिन बैंकों की सम्पत्ति 50 करोड़ रुपये से अधिक हो जायेगी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जायेगा। सरकार को तत्काल ऐसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए और तत्पश्चात् अधिनियम में संशोधन करना चाहिए ताकि भविष्य में 50 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण स्वतः ही एक आदेश द्वारा किया जा सके।

औद्योगिक क्षेत्र को बैंको से 57 प्रतिशत ऋण मिलता है जबकि कृषि क्षेत्र को केवल 9 प्रतिशत ऋण मिलता है। कृषि क्षेत्र को बैंक ऋणों का एक-तिहाई या एक-चौथाई भाग मिलना चाहिए।

उत्पाद शुल्कों तथा अन्य क्षेत्रों में दी गई रियायतों में जन साधारण और विशेषकर मध्यम वर्ग को बहुत राहत मिली है। इस बजट का उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था की प्रगति दर को बढाना है और यह बहुत अच्छी बात है कि इस वर्ष हमारी प्रगति दर में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

Shri Nageshwar Dwivedi (Machhalishahr) : I welcome the General Budget for the year 1976-77 and congratulate the Finance Minister for presenting such a budget. It is a welcome feature of the present budget that no new taxes have been proposed and some relief has been given to all sections of the people. Special attention is being paid to increase irrigation facilities and power generation to boost agricultural production. It is very good that some relief has been given in the prices of fertilisers. In this connection, it can be suggested that the prices of agricultural produce should be fixed keeping in view the increased cost of production and higher wages of agricultural labour. Government should pay sufficient attention towards improving the lot of agriculturists, because is their condition is not improved, there will be no economic growth in the country.

If Government make procurement of goodgrains from the farmers as against the land revenue or the cost of irrigation or fertilisers that is to be paid by farmers, it will facilitate the farmers and at the same time, it will become easier for the Government to obtain foodgrains.

The farmers have not so far been able to take advantage of nationalised banks in rural areas. Government should create such conditions that the farmers can take advantage of banks.

Cheap tractors should be manufactured so that small farmers can afford to purchase them.

Government should take steps to start industries in the districts of Sultanpur, Jaunpur and Pratapgarh in Eastern U.P., Government should also take some concrete steps to provide employment to rural youths.

डा० महिपत राय मेहता (कच्छ) : ग्राम तौर पर बजट सरकार की वित्तीय नीति ग्रर्थात् देश में विद्यमान ग्रार्थिक नीति का ग्राभास देता है। स्वतंत्रता से लेकर ग्रब तक हम देश में मिश्रित ग्रर्थ-व्यवस्था की नीति ग्रपना रहे हैं। ग्राज सभी यह कह रहे हैं कि यह एक बहुत ग्रच्छा बजट है, परन्तु इसे मिश्रित ग्रर्थ-व्यवस्था की नीति, जो सरकार की मूल नीति है, के ग्रनुरूप रहना है। मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के 23 वर्षों के बाद हमें यह कहां ले गई है? क्या निर्धनता से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत में कमी हुई है या वृद्धि हुई है? क्या गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के प्रतिशत में कमो हुई है या वृद्धि हुई है? क्या जीवन निर्वाह के लिए ग्रपना खून ग्रौर शरीर बेचने वाले लोगों के प्रतिशत में कमी हुई है या वृद्धि हुई है? सभी लोग बजट की प्रशंसा कर रहे हैं परन्तु यह हमें कहां ले गई है?

कहा गया है कि योजना परिव्यय में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह एक ग्रच्छा निवेश है परन्तु इस परिव्यय का वितरण कैसे होगा? यह बात महत्वपूर्ण है। चौथी योजना में विकास के लिए 42,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था जिसमें से 33,000 करोड़ रुपये या 80 प्रतिशत धन शहरी क्षेत्रों में बड़े-बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए व्यय किया गया जिससे राष्ट्रीय ग्राय में 8 प्रतिशत वृद्धि हुई ग्रौर 10 प्रतिशत रोजगार के ग्रवसर प्राप्त हुए। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 9,000 करोड़ रुपये व्यय किये गये ग्रौर इससे 8 प्रतिशत राष्ट्रीय ग्राय हुई तथा 50 प्रतिशत रोजगार के ग्रवसर पैदा हुए। ग्रतः मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस बार योजना परिव्यय का वितरण किस तरह किया गया है। बजट में इस वर्ष योजना परिव्यय में 31 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

भारत की ग्रसली सम्पत्ति मानव शक्ति है। हमें ग्रपनी ग्रर्थ-व्यवस्था को ऐसे मोड़ना है जिसमें ग्रनिवार्य रोजगार मुख्य बात हो। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को विकास प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। हम ग्रपनी मानव शक्ति का उतना प्रयोग नहीं कर रहे हैं जितना किया जाना चाहिए।

इसी तरह बड़ी मात्रा में हमारे जल संसाधन व्यर्थ जा रहे हैं। चीन ग्रपने कुल जल का 68 प्रतिशत उपयोग में लाता है किन्तु हम केवल 10 प्रतिशत जल का ही उपयोग कर पाते हैं। जल संसाधनों का ग्रधिकतम उपयोग करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए।

कपड़ों पर की जाने वाली छपाई पर उत्पाद शुल्क $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे गरीब लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि छापे के कपड़े ग्रधिकांशतः गरीब लोग पहनते हैं। इसके ग्रलावा कपड़ा छपाई एक घरेलू उद्योग है जिसमें कार्यरत लोग निर्धन हैं। इस ग्रोर ध्यान दिया जाना चाहिए।

यह एक राजनीतिक बजट है। हम भारत में प्रतिगामी प्रवृत्तियों से लड़ना चाहते हैं। ग्रतः मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

Shri Amarnath Vidyalankar (Chandigarh) : I feel this budget is in accordance with the era of discipline which has ushered in after promulgation of emergency. Our economy is

[Shri Amarnath Vidyalankar]

under the complete control of Government and our Finance Minister deserves congratulations, for this.

Government have made commendable efforts in curbing inflation was setting at naught all, our planned efforts. As a result, the rising spiral of prices has not only been stabilised but in certain cases has been brought down. The black-market which was rampant has almost vanished and the functioning of parellel economy has been made impossible. This shows that the Government have a firm control on the economy of the country. Let us hope that we have have entered into a new era of progress and prosperity.

Although prices of some commodities have come down but the prices of some essential items like potatoes, onions, fuel, power, etc. have gone up. Efforts should be made to bring down their prices also.

The limit of wealth tax for Hindu undivided families has been reduced from two Lakhs to one lakh. This should be reconsidered.

The exemption limit for income tax should be raised from Rs. 8,000 to Rs. 10,cco. This will bring relief to commonman.

Some relief has been given for fans and refrigerators, etc. Relief should also be extended to deep freezers, which are generally used in hospitals.

More attention should be paid towards rural economy which needs to be toned up.

Money-lenders have now been eliminated from our villages. Government should ensure that there is no difficulty to the poorer sections of the villages, in receiving loans from the banks.

The cost of administration in the Government is heavy. There is much scope for economy in administrative expenditure. This should be looked into.

Shri Swami BrahmanandJI (Hamirpur) : I congratulate the Finance Minister for presenting such a budget. Huge wealth is lying idle with the rich. A law should be enacted to bring out all the wealth. If Constitution puts hurdle in it, it should be amended.

All wealth and property whch is in the hands of individuals should be nationalised.

Representatives of the people like MPs and MLAs should be given more powers so that they can effectively help the people.

High courts and Supreme Court serve no purpose. Parliament, legislatures and Zila Parishads shoud be given power to dispense justice. This will make justice speedy and cheap.

The present Constitution has become old and out-dated. This should be scrapped altogether in the interest of the society.

No purpose is being served by Rajya Sabha or Vidhan Parishads. They have become an asylum for old and defeated politicians. These should be wound up.

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : अधिक बजट घाटे और ऋण उदारता का संयुक्त परिणाम यह होगा कि मुद्रा सप्लाई में काफ़ी वृद्धि हो जायेगी। यह मुद्रा स्फ़ीति का मुख्य कारण है। मैं जानना चाहता हूं कि इससे होने वाले मुद्रा स्फीति के खतरे को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं।

हम सरकारी क्षेत्र में अधिक धनराशि का निवेश करने का स्वागत करते हैं। किन्तु क्या वित्त मंत्री जी इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि इसका अधिकतम लाभ ग्रामीण क्षेत्र तथा समाज के कमजोर वर्गों को मिलेगा न कि धनी वर्ग के लोगों को।

देश में आर्थिक विषमता तथा असमानता को कम करने के बारे में मैं एक-दो सुझाव देना चाहता हूं। क्या हम अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को यह कह सकते हैं कि आपको बहुत राहत

दी गई है? नहीं इसके लिए हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। केवल धनी लोगों को ही कई रियायतें दी गई हैं। उन्हें अतीत में भी कई रियायतें दी गई हैं। कहा गया है कि इस बजट को सामाजिक न्याय के साथ प्रगति की दर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। कृषि पर मुख्य रूप से निर्भर रहने वाले 82 प्रतिशत लोगों को क्या सामाजिक न्याय दिया गया है।

20 सूत्री कार्यक्रम में से 7 सूत्री कार्यक्रम पूर्णतया ग्रामीण निर्धन लोगों के लिए हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए निर्धारित 2,160 करोड़ रुपये की धनराशि में से 2000 करोड़ रुपये विद्युत् तथा सिंचाई पर व्यय किया जायेगा।

उड़ीसा सरकार के प्रतिवेदन के अनुसार वहां 1,62,000 एकड़ बेकार भूमि भूमिहीन लोगों में बांटी गई है। किन्तु इस भूमि के विकास के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं है ताकि सहकारी फ़ार्मिंग और सामूहिक प्रयासों से इस भूमि का सुधार किया जा सके। जब तक लोगों को अधिकाधिक ऋण नहीं दिया जाता तब तक वे उस भूमि का विकास नहीं कर सकते। वे उस पर रबी तथा अन्य फ़सलें नहीं उगा सकते। अतः ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए हमें उन क्षेत्रों में अधिक धन का निवेश करना चाहिए।

उड़ीसा में असंख्य परियोजनाएं हैं, किन्तु उनकी उपेक्षा की जा रही है। मध्यम और बड़ी परियोजनाओं का वकास करने के लिए उड़ीसा को 516 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उड़ीसा को अपनी विद्युत् परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता दी जाये।

Shri M. C. Daga (Pali): The 22 Crores of People living under poverty line were expecting a budget which could bridge the wide gap between the rich and the poor, but the budget has belied their expectations. Today the need of the hour is to remove disparity between the rich and the poor. Unless we do not remove disparity and inequality prevailing in our society, we can not maintain peace in the country. This is the biggest problem before us.

The Government have not taken any steps to check waste ful expenditure in Government departments.

No attention has been paid for the upliftment of Adivasis.

The Railways being the biggest undertaking with an initial investment of Rs. 50·50 crores is under debt to the Central Government to the tune of Rs. 126 crores. The Delhi Transport Corporation with an investment of Rs. 27 crores has been incurring losses year after year. This is needed to be seriously looked into.

There is duplication of work. The same work is being done by the Agriculture Department and the Community Development . This should be avoided.

Shri Chandulal Chandkakar (Durg) : There is widespread unemployment in the rural areas. In order to tackle this problem schemes should be formulated on a large scale for providing irrigation facilities, generation of power and for construction of rural roads.

The Government should take steps for providing gobar gas in rural areas. Cow dung should be collected at one place in a village and then gas should be provided to the people. If that is done adequate quantity of manure would be available. There will be a saving of crores of rupees which we spend now on chemical fertilizers. Also our forest wealth will be protected.

Cost of production of agricultural produce has gone up because price of agricultural inputs has increased. Price of agricultural produce should be fixed taking into consideration cost of production and allowing some profit to farmers.

[Shri Chandulal Chandrakar[

A new device called "Dariya" has been found out in Wardha Sewagram for taking out rice from paddy. Through this device paddy can give 75 percent rice. This device should be popularised.

There should be a multi-purpose agricultural farm for a population of 10 lakhs In those farms new methods should be adopted for cultivation of foodgrains, vegetables and fruits. Similarly there should be a multi-pourpose industrial estate for a population of 10 lakhs. Educated people should be given training in those estates so that they could set up small industries by taking loans from banks. These steps will help in takling the problem of unemployment.

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक) : इस बजट का सर्वत्र स्वागत हुआ है क्योंकि पहली बार योजना परिव्यय में 31.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह कहना गलत है कि इस बजट से मुद्रास्फीति बढ़ेगी।

इस बजट में निवेश तथा बजट पर बल दिया गया है। राष्ट्र के पुनर्निर्माण तथा देश में समाजवादी समाज की स्थापना में यह बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। इस बजट से उत्पादन के विभिन्न वर्गों को प्रोत्साहन मिलेगा।

देश में समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिये सरकारी तंत्र सक्रियता से कार्य कर रहा है। आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सरकारी तंत्र तथा जनता, दोनों को ही कठिन परिश्रम करना होगा। मूल्यों को कम करने में युवकों ने बहुत सहयोग दिया है।

मुझे आशा है कि देश में जन साधारण तथा गरीब किसानों का उद्धार होगा। कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सकता है।

मैं जानना चाहता हुं कि क्या कृषि अर्थव्यवस्था में भविष्य में स्थिरता पैदा कर ली जाएगी। आर्थिक नीति के अतिरिक्त वित्तीय नीतियां तथा आर्थिक अनुशासन भी महत्वपूर्ण हैं। क्या सरकार कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिये उत्सुक है ? हम न्यूनतम मजूरी, बंधक श्रमिक सम्बन्धी कानूनों का स्वागत करते हैं किन्तु प्रश्न यह है कि प्रति एकड़ उपज कितनी हो रही है।

कृषि गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिये एक पृथक विभाग खोला जाना चाहिये। सरकार को सहकारी फार्मिंग के बारे में भी सोचना चाहिये।

श्री शंकरराव सावन्त (कोलाबा) : मंत्री महोदय एक वास्तविक बजट पेश करने के लिये बधाई के पात्र हैं।

वर्तमान कराधान नीति से आय में विद्यमान विषमता दूर नहीं होगी। जब तक देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था रहेगी तब तक आय में विषमता दूर नहीं होगी। मेरा वित्त मंत्री से निवेदन है कि आयकर के लिये न्यूनतम छूट सीमा 12,000 रुपये कर दी जानी चाहिये। यद्यपि आय बढ़ी है तथापि व्यय में भी वृद्दि हुई है। अतः मध्यम वर्ग के लोगों को राहत पहुंचाने के लिये आयकर की छूट सीमा 12,000 रुपये कर दी जाये।

बजट में यह व्यवस्था की गई है कि 81 वर्गमीटर के पूरे क्षेत्र में बनी हुई इमारत पर पांच वर्षों के लिए सम्पत्ति कर से छूट दी गई है। वास्तव में 81 वर्ग मीटर के पूरे क्षेत्र पर बनने वाली इमारत पर सामान्यतः एक लाख से कम लागत लगती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वास्तविक रूप से कोई छूट नहीं दी गई है। अतः यदि सरकार भवन निर्माण कार्य को प्रोत्साहन देना चाहती

है तो उन्हें 150 वर्ग मीटर पर बनने वाली इमारतों को सम्पत्ति कर से छूट दे देनी चाहिये। तभी उसे वास्तविक रियायत कहा जा सकता है।

राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों तथा ग्रामीण कारीगरों की उतनी सेवा नहीं कर रहे जितनी कि उनसे आशा की गई थी। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में साहूकारों पर ऋण देने पर प्रतिबन्ध लग गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों को कहा जाना चाहिये कि वे कृषकों तथा ग्रामीण कारीगरों को अधिकाधिक ऋण दें। और ब्याज की दर वर्तमान दर से कम होनी चाहिये। आजकल ब्याज की दर बहुत अधिक है।

कृषि जन्य वस्तुओं जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, दाल आदि की कीमतें घट रही हैं किन्तु उद्योगों में निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में किसी प्रकार की गिरावट नहीं आ रही है।

जहां तक टेलीविजन सेटों का सम्बन्ध है, उन पर करों में कमी की गई है किन्तु सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि टेलीविजनों के गुणों प्रकार में किसी तरह की कमी न की जाये। इसका लाभ निर्माताओं को ही नहीं अपितु उपभोक्ताओं को भी पहुंचना चाहिये।

Shri Tuna Oraon (Jalpaiguri) : I want to draw the attention of the Government towards the plight of the workers engaged in tea plantations. Under the Plantation Labour Act, 1951, the owners of the tea plantations are bound to provide facilities like residential accommodation, opening of schools, medical facilities etc. to their workers. Under this Act they should spend annually 8 percent of their income for constructing houses to the workers. But they do not want to do anything for their welfare. The owners of tea plantations say that iron and cement is not available and so it is difficult to construct houses for them. In this way they make lame excuses. I request the Government to make houses for the workers and charge the cost thereof from these owners.

Unemployment is a grave problem there. Steps should be taken to solve this problem. The purchasing power of tribals is very low. Therefore, it is necessary that Khadi and Cottage industries are set up there. It will help in solving the unemployment problem and increasing their purchasing power.

The tribal people consume more liquor. I want that liquor should be totally prohibited in the whole country. On the pay day they spend 50 percent of their pay on liquor, therefore, it is necessary that the sale of liquor should be banned there.

There is Highway No.31 in my constituency There was a proposal to construct a bridge on Siltursa river. It is learnt that a sum of Rs. 1 1/2 crores has already been sanctioned for this purpose, but the bridge has not been constructed so far. I strongly plead that the said bridge should be constructed immediately.

The Adivasis of that area should be helped to rid them of indebtedness so that they may be freed from the clutches of the moneylenders.

श्रीपाओकाई हाओकिप (बाहय मनीपुर) : मैं वित्त मंत्री को यह बजट पेश करने के लिये बधाई देता हूं। इस बजट से सभी वर्गों के लोगों को राहत मिली। सरकार को उनके हितों का भी छोटे तथा सीमान्त किसानों को पर्याप्त सुविधायें नहीं मिल रही हैं। सरकार को उनके हितों को पूरा ध्यान रखना चाहिये।

पेंशनभोगियों की परेशानियों तथा शिकायतों की ओर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिये। इन लोगों ने अपने जीवन के एक बेहतरीन भाग को सरकारी सेवा में लगाया है।

बजट में पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों के विकास की चर्चा भी की गई है। यह बात खेदजनक है कि उत्तर पूर्वी परिषद् अब तक अपने उद्देश्यो की पूर्ति में सफल नहीं हो सकी है।

[श्री पाओकाई हाओकिप]

जब तक इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा, तब तक वहां का पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता। अतः मैं सरकार से इस क्षेत्र के विकास की ओर विशेष ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

श्री एम० एस० संजीवीराव (काकीनाडा) : मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। योजना परिव्यय को 5960 करोड़ रुपये से बढा कर 7852 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बजट में कृषि और उद्योग की ओर विशेष ध्यान दिया गया है।

असली भारत गांवों में रहता है। कृषि और उद्योगों को प्राथमिकता देने के लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। भटिंडा, पानीपत और फूलपुर में नये उर्वरक कारखाने खोले जायेंगे।

मैसूर ने केन्द्रीय पूल के लिये 10 लाख टन चावल दिये हैं। बिजली परियोजनाओं के लिये भी राशि की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय विकास के लिये बिजली एक बुनियादी ढांचे का काम करती है। सरकारी क्षेत्र के बिजली उद्योगों ने सराहनीय प्रगति की है और अब हम बिजली के सामान का निर्यात करने की स्थिति में हैं। कृषि पर आधारित औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। हमें चीनी के उत्पादन वृद्धि की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। कपड़े और पटसन की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिये। यह प्रसन्नता की बात है कि वाणिज्य मंत्रालय में एक पृथक कपड़ा विभाग खोला गया है। हमें कृषि पर आधारित उद्योगों को आधुनिक ही नहीं बनाना है बल्कि उद्योगों के स्तर को ऊंचा भी बनाना है ताकि हम अधिकाधिक मात्रा में कपड़े तथा पटसन का निर्यात कर सकें।

हमें इलैक्ट्रानिक्स के महत्व को नहीं भूलना चाहिये क्योंकि इससे काफी विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। ऐसे औजारों के निर्माण की ओर भी ध्यान देना चाहिये जिसकी दक्षिणी-पूर्वी देशों में मांग हो।

मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इन सब बातों की ओर ध्यान देंगे।

श्री पी० गंगादेव (अंगुल) : इस उत्पादनोन्मुखी बजट को पेश करने के लिये मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। इससे समाज के हर वर्ग में विश्वास की लहर उमड़ आयी है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों तथा देश के पिछड़े क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधान मंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम का सभी वर्गों ने समर्थन किया है। वित्त मंत्री को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की ओर कुछ अधिक ध्यान देना चाहिये। अधिक अच्छा होता यदि आयकर छूट की सीमा 12,000 रुपये तक बढायी जाती। उड़ीसा क्षेत्रीय विषमता का शिकार है। वित्त मंत्री को संतुलित क्षेत्रीय विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। मुझे पूरी आशा है कि यह बजट सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल होगा।

श्री **चपलेन्दू भट्टाचार्य** (गिरिडीह) : प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में यह बजट महत्वपूर्ण है। हम इस बजट का स्वागत करते हैं क्योंकि यह उत्पादनोन्मुखी तथा आशाजनक है। हमें आशा है कि यह बजट भारत की अर्थ व्यवस्था के आधार को मजबूत बनायेगा।

मंत्री महोदय हमें बतायें कि क्या हम मुद्रास्फीति पर पूर्णतः काबू पाने में सफल हुये हैं।

हमें बचत, पूंजीनिवेश तथा सरकारी व्यय आदि आदि बातों को ध्यान में रखते हुये ब्याज की दरों की ओर भी ध्यान देना चाहिये। विभिन्न प्रगतिशील देशों के बैंकों ने ब्याज की दरों में कमी कर ली है। अतः हमारे देश में भी इस ओर ध्यान देना आवश्यक हो गया है।

कपड़ों पर उत्पादन शुल्क लगाने का भी हम स्वागत करते हैं। औषधियों पर उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिये। ब्याज की दरों में भी कमी होनी चाहिये।

सम्पत्ति कर सम्बन्धी दंड पर पुनः विचार किया जाना चाहिये। दण्ड की यह व्यवस्था बहुत कठोर है। इसकी व्यवस्था आयकर के अनुसार की जानी चाहिये।

हमें प्रति वर्ष 50 करोड़ टन कोयले का निर्यात करना चाहिये। इसके लिये हमें पारादीप, हल्दिया, विशाखापटनम बन्दरगाहों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। जितने कोयले का मूल्य देश में 85 रुपये है, उसका मूल्य बाहरी देशों में 650 रुपये मिलेगा। अतः हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये।

इस्माइल हुसैन खां (बारपेटा) : मैं इस बजट के लिये वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। मेरे विचार में इस बजट से 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन हेतु सहायता मिलेगी। सामाजिक तथा आर्थिक समानता के लिये हमें पूंजीवाद को समाप्त करना होगा।

सरकार को कृषकों के कल्याण हेतु कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने चाहियें। मूल्य गिरने के साथ-साथ अन्य वस्तुओं की तुलना में कृषि पैदावार के मूल्यों में भी गिरावट आ गई है। कभी-कभी तो कीमतें इतनी गिर जाती हैं किसानों को अपनी पैदावार की उत्पादन लागत भी नहीं मिलती। आसाम में पटसन के उत्पादकों की दशा बहुत ही दयनीय है। वे कलकत्ता स्थित पटसन कारखानों की कृपा पर आश्रित रहते हैं। सरकार को पटसन उद्योग की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ताकि पटसन उत्पादकों को अपनी पैदावार के उचित दाम मिल सकें।

देश के किसानों को दुग्धशालाओ, मुर्गीपालन, भेड़-बकरी पालन आदि आदि कार्य करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योग स्थापित करने की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। किसानों को बैंकों से ऋण दिलाये जाने चाहिये। इसके अतिरिक्त भूमिहीन तथा छोटे किसानों की दशा में सुधार करने के लिये विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

सरकार को शिक्षा प्रणाली की ओर भी ध्यान देना चाहिये ताकि शिक्षा पूरी होने के बाद विद्यार्थी अपने लिये स्वयं रोजगार जुटा सके।

हम कितना ही उत्पादन क्यों न बढा लें कितने ही उद्योग उन्नति कर लें परन्तु हम तब तक बेहतर और आर्थिक जीवन की आशा नहीं कर सकते जब तक हमारा जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो जाता। इसलिये जनसंख्या पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है।

Prof. S. L. Saksena (Maharajganj) : Sir, although the leaders of Opposition are not present in the House but certainly there are some members of Opposition. They should be given more time to speak on this Budget. Discussion should not be a farce only. We have been given only five minutes to speak. Some more time should have been allowed.

However, I want to congratulate the youngest but brilliant Finance Minister for presenting this Budget which is so realistic. Plan amount has been increased by $1\frac{1}{2}$ times and some concession have been announced in taxation also. But he has not increased the limit of income tax from Rs. 8000/- to Rs. 15000/-. It should have been done because the rupee value has gone down by one third.

Last year Khandsari industry did not receive good treatment. This year also no concession has been given to it. This is not proper.

[Prof. S. L. Saksena]

It has been possible to bring forth this Budget because of 20 Point Programme. Now there is discipline in all spheres of life. I am a blind supporter of discipline. It will definitely improve our economy.

The leaders of the Opposition are still in prison. After all they had demanded only the implementation of 20 Point Programme. Those are being implemented. So they should be freed now and I hope they will support the Government. The Government should not earn disgrace by keeping them in gaols.

It has been reported that that the Governors have decided to amend article 226 relating to the provision of writ and habeas corpus. But I want to submit that Governors are not legal experts. Habeas corpus is the very life of our Constitution. I want that our fundamental rights should be kept intact. It is not proper to erode them because of temporary difficulties.

Compulsory sterilisation and imposition of fines etc. have been suggested to check population. I oppose it. Gandhiji had written a book 'Self Control versus Self Indulgence' I am also in favour of self control. We can sustain more population, if we plan properly and work properly. There should not be any element of compulsion in family planning.

You have provided only Rs. 70 crores for education. It is not adequate. This amount should be doubled. Moreover, the amount is not equally distributed. You are spending more money on the Nehru University. You should provide for hostels and teachers' quarters in the affiliated colleges.

So far as the agriculture is concerned you have not announced the support price of wheat. It is being sold at a cheap rate. But the farmer needs fertilizers and other inputs which are costlier. So, I suggest Rs. 150/- as the procurement price.

We should enter into negotiations with the Nepal Government to control Rapti river which is the cause of floods.

You had promised to nationalise the sugar industry but you have not done it. Minimum wage in sugar industry is much less. It must be increased.

Then you have provided very little for freedom fighters. The amount of their pensions should be increased keeping in view the high prices. Rs. 500/- should be fixed as the minimum pension.

There is no electricity in villages. Efforts should be made to remove the power shortage.

सभापति महोदय : वित्त मंत्री कल दोपहर 12 बजे वाद-विवाद का उत्तर देंगे ।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

60वां प्रतिवेदन
Sixtieth Report

निर्माण तथा आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 60वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय : सभा कल मध्याह्न पूर्व 11 बजे पुन: समवेत होने के लिये स्थगित हुई ।

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 23 मार्च, 1976 / 3 चैत्र, 1898 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sahha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, March 23, 1976/3 Chaitra, 1898 (Saka).

GMGIPND—978 LS—Mono N/S—22-7-76—200.

P.L.S. 48. LVIII.10.76(N)
200

© 1976 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और मुख्य व्यवस्थापक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली-110001 द्वारा मुद्रित।

© 1976 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition) and Printed by the General Manager, Government of India Press, Minto Road, New Delhi-110001